खण्ड-414, अंक-3
शुक्रवार, 14 माघ, शक संवत् 1916
(3 फरवरी, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1995)

खण्ड 414 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. ..	क
उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में हुई घटना से संबंधित नियम 311 की सूचना सुने जाने की मांग...	(जारी)	1
प्रश्नोत्तर	.. .. ..	1-101
उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में हुई घटना से संबंधित नियम 311 की सूचना सुने जाने की मांग	..	101-102
मुजफ्फरनगर काण्ड की चर्चा में सुने जाने हेतु वरीयता के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न...	(जारी)	102-110
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)	(सदन के पटल पर रखा गया)	110
उत्तर प्रदेश वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1991-92 ...	(सदन के पटल पर रखा गया)	110-111
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य-कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन 1989-90...	(सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1989-90....	(सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1992-93...	(सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994	(सदन के पटल पर रखा गया)	111
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव...	(स्वीकृत)	111-113
उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995...(पुरः स्थापित किया गया)	.. .. ..	113
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरः स्थापित किया गया)	.. .. ..	113-114
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995... (पुरः स्थापित किया गया)	.. .. ..	114
उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में हुई घटना से संबंधित नियम 311 की सूचना सुने जाने की मांग	..	114-115
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव... प्रस्तुत किया गया)	.. .. ..	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995..(पारित)	115-117
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995.... (पारित)	117-119
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995...(पारित)	119-120
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995... (पारित)	120-122
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	122-123
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, सिद्धार्थनगर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
जनपद वाराणसी सहित सम्पूर्ण राज्य में शादी व्याह तथा अन्य अवसरों पर लोगों को नियंत्रित मूल्य पर चीनी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद हरदोई की बिलग्राम वि0स0 क्षेत्र के ग्राम दहलिया के पास कुण्डा नदी पर पैन्टून ब्रिज बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम मडीरी, हसैला, गड़ीमा की हजारों एकड़ फसल फतेहपुर सीकरी शाखा के सीपेज के कारण नष्ट न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित नवाबगंज गोण्डा की इकाई की अवैधानिक बन्दी से गन्ना उत्पादकों एवं श्रमिकों में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	125-126
ग्राम/टाउन एरिया और जनपद बांदा की सैकड़ों एकड़ भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी करके चोरी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में हैपमो डायलिसिस यूनिट एवं सी0टी0 स्केन यूनिट हेतु अपेक्षित धन उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	127-128
नत्थियां	129-145

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अरविन्द प्रताप सिंह कुंवर	फर्रुखाबाद
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आनन्द यादव, श्री	देवरिया
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
गोपाल काली, श्री	मेरठ
जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री	बहराइच
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
मदन भइया, श्री	मेरठ
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
मोलई, श्री	गोरखपुर
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजेश कुमार, श्री	वाराणसी
राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम कृष्ण वर्मा, इन्जी0	मेरठ
लालजी, श्री	वाराणसी
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष, श्री धर्नीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में हुई घटना से सम्बन्धित नियम 3।। की सूचना सुने जाने की मांग (जारी)

(कांग्रेस आई के सर्वश्री महेन्द्र सिंह माहरा, प्रीतम सिंह, शूरवीर सिंह सजवाण, गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा उनके साथ कुछ और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्री हरक सिंह रावत, शिव प्रताप शुक्ल, रमेश पोखरियाल "निशंक", रवीन्द्र प्रताप मल्ल, घनश्याम शुक्ल आदि अनेक माननीय सदस्य सदन की फ्लोर पर आकर अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे।...(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायें ।

भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य 'पहाड़ विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' "बलात्कारियों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा", आज दो अभी दो, "उत्तराखण्ड राज्य दो" के नारे लगाते हुये अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् ।। बजकर 02 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी, 1995

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ0प्र0 में नगर पंचायतों के चुनाव कराने की मांग

**1.-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में नगर पंचायतों के चुनाव कब तक पूर्ण कराये जायेंगे ?

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)-

यथासम्भव मार्च, 1995 तक ।

प्रदेश में माह दिसम्बर, 1994 में किसानों को औसत प्रतिदिन तेरह घण्टे विद्युत आपूर्ति

**2-श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश के किसानों को 16 घण्टे बिजली की आपूर्ति का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो प्रदेश के किसानों

नोट:-प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

को माह दिसम्बर, 1994 से औसत कितने घण्टे बिजली मिली है ? क्या 16 घण्टे से कम बिजली प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हां ।

माह दिसम्बर, 94 में किसानों को औसत प्रतिदिन 13 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई।

जी हां ।

16 घण्टे विद्युत आपूर्ति न किये जाने के मुख्य कारण निम्न हैं :-

(1) माह सितम्बर, 94 से दिसम्बर, 94 तक वर्षा न होने के कारण विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

(2) तापीय विद्युत गृहों के कई महीनों की ओवर हालिंग आदि के कारण बन्द रहने से तापीय विद्युत उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के सापेक्ष कम रहा।

(3) एन0टी0पी0सी0 द्वारा विद्युत विक्रय की दर में वृद्धि होने से विद्युत आयात को लगभग 34.0 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक सीमित रखना पड़ा।

(4) प्रदेश के कुछ जनपदों जैसे उन्नाव, खीरी, हरदोई, मुरादाबाद आदि में कन्डक्टर की चोरी से विद्युत आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(5) प्रदेश के 25 जनपदों में 190 विद्युत उपकेन्द्रों के क्षमता से अधिक भारित होने के कारण इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थानीय विद्युत कटौती के कारण प्रभावित हुई।

(शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न 1)

प्रदेश में औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ती विद्युत मांग की पूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन बढाये जाने की घोषणा

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही विद्युत मांग की पूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने की कोई कार्य योजना है ? क्या निजी क्षेत्र में भी कोई विद्युत प्लांट स्थापित हो रहा है? क्या इस दिशा में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो कहां और इसमें क्या प्रगति है ?

मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

निजी क्षेत्र में विद्युत प्लांट लगाने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये हैं। औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं पी0पी0ए0 हस्ताक्षरित करने के पश्चात् विद्युत प्लान्ट स्थापित किये जायेंगे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद नगर में जलस्तर नीचे जाने से पेयजल, गंग नहर से उपलब्ध कराने की योजना

*2-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में जल स्तर के नीचे जाने की स्थिति को देखते हुये उक्त नगर को जल आपूर्ति के लिये गंग नहर से पानी उपलब्ध कराने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी ? कितने दिनों में उक्त योजना पूरी हो जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी नहीं, अपितु गाजियाबाद के ट्रान्स हिन्डन एवं समीपवर्ती क्षेत्र में जल खारा होने के कारण गंग नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है ।

योजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास विकास परिषद् तथा नोयडा से वित्त पोषित होना है । कार्य प्रारम्भ । उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित होने पर निर्भर करेगा ।

जनपद लखनऊ की कुर्सी रोड स्थित विकास नगर कालोनी की जीर्ण-शीर्ण मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग

*3-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ की कुर्सी रोड स्थित विकास नगर कालोनी की मार्ग प्रकाश व्यवस्था अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है? यदि हां, तो उसे दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि सेक्टर-1 से सेक्टर-7 तक जाने वाली सीधी सड़क जिस पर विकास विहार कालोनी तथा मकान नं0-3/236 एवं 3/512 स्थित है, पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था न होने से यहां आये दिन घटनायें घटित होने के कारण वहां के निवासियों में भय व्याप्त है? यदि हां, तो उक्त सड़क पर अविलम्ब कब तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सीमित संसाधनों के अन्तर्गत आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

मार्ग प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण आये दिन घटनायें घटित होने तथा स्थानीय निवासियों में भय व्याप्त होने की जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के खदरा स्थित टी0जी0 हास्टल रोड के निवासियों द्वारा जलापूर्ति समय बढ़ाने की मांग

*4-श्री बची सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0जी0 हास्टल रोड खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ के निवासियों को पीने के पानी को प्रतिदिन कितने घंटे दिया जाता है ? क्या वहां पीने का पानी सुबह, शाम सिर्फ आधा-आधा घंटा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पानी का समय आधा घंटा से बढ़ाकर दो घंटा सुबह, दो घंटा दोपहर और दो घंटा शाम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

टी0जी0 हास्टल रोड पर खदरा, सीतापुर रोड, निवासियों को प्रतिदिन सुबह और शाम दो-दो घंटे जलापूर्ति दी जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जलापूर्ति दो घंटा सुबह और दो घंटा शाम को दी जा रही है। शुक्रवार को दोपहर में एक घंटे जलापूर्ति सीधे नलकूप से की जाती है परन्तु इसके कारण शाम की जलापूर्ति प्रभावित हो जाती है, अतः सम्प्रति दोपहर में जलापूर्ति किया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

श्री राम आधार, टाउन एरिया सचिव, रुद्रपुर, जनपद देवरिया को फर्जी हस्ताक्षर के सम्बन्ध में निलम्बित किया जाना

*5-श्री मुक्तिनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अधार टाउन एरिया सचिव, रुद्रपुर, जनपद देवरिया द्वारा प्रश्नकर्ता का फर्जी हस्ताक्षर करके दूसरे विधायक के पैड पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने निजी स्थानान्तरण हेतु स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने माह अप्रैल/मई, 94 में मुख्य मंत्री से की थी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई थी ? दोषी को दण्डित करने की कार्यवाही कब तककर दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां।

अपर परगनाधिकारी, देवरिया से जांच कराई गई थी।

शासन के आदेश दिनांक 12 जनवरी, 1995 द्वारा श्री राम अधार को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ वाटर वर्क्स की जलापूर्ति में शुद्धता लाने के लिये ठोस कदम उठाने एवं योजना बनाने की मांग

*6-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ वाटर वर्क्स की जलापूर्ति में खराब पानी आने के कारण नगर में जो बीमारियां फैलीं, उनकी रोकथाम के लिये जलापूर्ति में शुद्धता लाने हेतु कोई ठोस कदम, जैसे टूटी पाइप लाइन में बदलाव आदि की कोई शासन की योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या भविष्य में यह अशुद्ध जलापूर्ति ठीक हो सके एतदर्थ लखनऊ के जन प्रतिनिधि तथा संबंधित अन्य अधिकारियों की एक साथ बैठक बुलाकर कोई योजना बनायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

लखनऊ जल संस्थान द्वारा पेयजल की आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है। नगर में पूर्व में फैली बीमारियों का कारण अशुद्ध जलापूर्ति नहीं है। ग्रीष्म ऋतु अथवा संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका होने पर सुपर क्लोरीनीकरण किया जाता है। पाइप लाइनों की सर्वेक्षण कराकर टूटी एवं क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत शीघ्रातिशीघ्र कर दी जाती है। यथाआवश्यकता क्षतिग्रस्त लाइनों को बदल भी दिया जाता है। अलग से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा से जबलपुर और ग्वालियर आदि मार्गों पर डीलक्स बस चलाने की मांग

*7-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में बांदा से जबलपुर, बांदा से ग्वालियर वाया महोबा-मऊरानीपुर, बांदा से भोपाल वाया छतरपुर एवं बांदा से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो एवं बांदा से गोरखपुर आदि मार्गों पर परिवहन निगम की डीलक्स बसें चलना कब से प्रारम्भ हो जायेंगी ?

परिवहन मंत्री (श्री आर0के0 चौधरी)-

बांदा-जबलपुर, बांदा-ग्वालियर, बांदा-भोपाल तथा बांदा-खजुराहो मार्ग अन्तर्राज्यीय हैं। ऐसे मार्गों पर अन्तर्राज्यीय समझौते के आधार पर संचालन किया जाता है। बांदा-खजुराहो मार्ग को छोड़कर मध्य प्रदेश से हुये अन्तर्राज्यीय समझौते में इन मार्गों को सम्मिलित नहीं किया गया। अतः इन मार्गों पर संचालन प्रस्तावित नहीं है। बांदा-खजुराहो एवं बांदा-गोरखपुर मार्ग फिलहाल डीलक्स बस चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश के नगर पंचायत परिषद् एवं निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के लंबित पेंशन

*8-श्री रमेश कान्ति लवानिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद्/

नगर निगम के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरण निदेशक, स्थानीय निकाय के यहां लम्बित हैं ? इसका क्या कारण है तथा समय से निस्तारण न करने के लिये शासन ने उक्त निकायों अथवा निदेशक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

निदेशक, स्थानीय निकाय के यहां नगर पंचायत/नगर पारिषद्/नगर निगम के 109 पेंशन प्रकरण लम्बित हैं।

अभिलेख पूर्ण न होने के कारण ।

प्रदेश की कुल 689 स्थानीय निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की प्रत्येक की 30-35 वर्षों की सेवा अवधि के अभिलेखों को पूर्ण कराकर पेंशन निर्धारण का कार्य विस्तृत श्रमसाध्य एवं दुरूह है तथा इसमें पर्याप्त समय लगना स्वाभाविक है। अतः निकायों अथवा निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण प्रभावी कार्य योजना

*9-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतें जैसे विद्युत बिलों की गड़बड़ी, विद्युत कनेक्शन की प्राप्ति, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान से उत्पन्न काठनाइयों के त्वरित निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्न हैं :-

संबंधित कार्यालय के अतिरिक्त विशेष कैम्प लगाकर बिलों की त्रुटियों को ठीक किया जाना ।

नये विद्युत कनेक्शनों को अधिमुक्त करने के लिये निर्धारित प्रणाली का सरलीकरण। जिसके अन्तर्गत पारिषद् की एल0टी0 लाइनों से 40 कि0मी0 की दूरी तक बिना सर्वेक्षण के निर्धारित दरों पर कनेक्शन दिया जाना । घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोग के लिये सिंगल फेस कनेक्शन की सीमा 2 कि0वाट से बढ़ाकर 4 किलो वाट कर दी गई है । अतिरिक्त शिकायत सेलों की स्थापना तथा शिकायतों को त्वरित गति से दूर किया जाना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति के लिये ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

*10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर में विद्युत सप्लाई

सुचारु रूप से चालू करने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि 132 सब स्टेशन पर 5 एम0वी0ए0 के तीनों ट्रान्सफार्मर 7.5 एम0वी0ए0 या और बड़े ट्रान्सफार्मर लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शाहजहांपुर की 4 लाख जनता के हित में यह परिवर्तन लागू कर देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, यह सत्य है कि 132 के0वी0 उपकेन्द्र शाहजहांपुर पर स्थापित 5 एम0वी0ए0 क्षमता के तीन 66×11 के0वी0 ट्रान्सफार्मरों पर क्षमता से अधिक भार हो गया है, तथा इनकी क्षमता बढ़ाई जानी अथवा अतिरेक्त ट्रान्सफार्मर लगाये जाने आवश्यक हो गये हैं ।

इस समस्या के निराकरण के लिये एवं शाहजहांपुर नगर की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु एक प्रणाली सुधार योजना आवश्यक वित्तीय वर्ष की प्राप्ति हेतु तैयार की जा रही है, जिसकी कुल लागत लगभग 3.58 करोड़ रुपये है ।

राज्य विद्युत परिषद् की विद्यमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभी उपरोक्त प्रणाली सुधार योजना के लिये वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में समय-सीमा का निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

*11-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

(14वें सोम में ता0प्र0सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लोकास्ट सेनीटेशन व्यवस्था के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जाना

*12-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लो कास्ट सेनीटेशन व्यवस्था क्या है ? क्या इस योजना के तहत कुछ कार्य हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

घरेलू शुष्क (कंभाऊ) शौचालयों को यू0एन0डी0पी0 डिजाइन के अनुसार सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की योजना ही लोकास्ट सेनीटेशन व्यवस्था है ।

जी हां ।

प्रदेश की नगर स्थानीय निकायों में स्थानीय निकाय निदेशालय के अधीन चल रही योजनाओं के अन्तर्गत 1,51,906 शुष्क शौचालयों को सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की वार्षिक चरित्र पंजिका में गोपनीय आख्यायें अंकित करने विषयक नीति एवं प्रक्रिया की जानकारी

*13-श्री रमा कान्त यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

के अध्यक्ष एवं सदस्यों की वार्षिक चारित्र पंजिका लिखने हेतु सचिव, ऊजा, उत्तर प्रदेश शासन को किस नियम के तहत कब अधिकार दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतानें की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है ? विद्युत परिषद् के गठन के समय अध्यक्ष और सदस्यों के वार्षिक चारित्र पंजिका के उल्लेख के संबंध में क्या नीति बनी थी ? उसका पालन हो रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चारित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय आख्यायें शासनादेश संख्या 7326 पी-2/86-23-43ई/86, दिनांक 3-11-86 (प्रतिलिपि संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अंकित की जाती है ।

राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश शासन का एक उपक्रम है जिसका गठन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-5 के अनुसार किया गया है तथा इसकी स्वायत्तता उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है ।

उपर्युक्त शासकीय आदेशों दिनांक 3-11-86 के पूर्व वार्षिक गोपनीय आख्या के संबंध में कोई विशिष्ट शासनादेश नहीं था । अब उक्त शासनादेश का पालन किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ-129 पर)

नगर निगम बाराबंकी के अन्तर्गत बजरडीहा, पाण्डेयपुर एवं दिरदोपुर आदि स्थानों में से बरसाती पानी को निकालने की मांग

*114-श्री ऊदल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम वाराणसी के अन्तर्गत बजरडीहा, पाण्डेयपुर, दिरदोपुर, तुलसीपुर, सिगरा, छित्तुपुर, सरैया, ठेलवरिया, कोनिया, नगवा, सुन्दरपुर, सुदामापुर, लक्ष्मनपुर, नरायनपुर, मडुवाडीह कालोनी आदि स्थानों में अभी भी वर्षा का पानी भरा हुआ है ? उसको निकालने के लिये नगर निगम को कितना रुपया दिया गया था ? क्या पानी ठीक ढंग से नहीं निकाला गया ? क्या इससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और शेष पानी निकासी की व्यवस्था करेगी ? क्या सरकार उपरोक्त स्थानों पर भीषण जल जमाव से जो भवन गिर गये हैं, उसकी जांच करायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी नहीं ।

वर्तमान समय में संबंधित स्थानों पर जल भराव की स्थिति नहीं है ।

नगर निगम वाराणसी द्वारा अपने संसाधनों से जल भराव क्षेत्र का पानी सही ढंग से निकाला गया है । इसके लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पूर्ण क्षेत्र जल जमाव से मुक्त है। अतः इसकी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जल जमाव के क्षेत्र में कोई भी भवन गिरने की सूचना प्राप्त नहीं है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

*15-श्री जगदाम्बिका पाल-

(4थे गुरु में तारांकित प्र0सं0 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

अतारांकित प्रश्न

जनपद पीलीभीत नगर बीसलपुर निवासी श्री राम किशोर पुत्र श्री श्रीराम द्वारा तहसील बीसलपुर के कतिपय राजस्व ग्रामों पर अनधिकृत कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

1-श्री राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के राजस्व गांव बसारा, उचसिया, शेरगांव, धरमगदपुर, खमरिया, नवादेया तथा नगर बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में नगर बीसलपुर निवासी श्री राम किशोर पुत्र श्री श्रीराम ने अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पट्टे करवाकर अथवा अनाधिकृत कब्जे करके भूमियों पर कृषि कराकर अथवा निर्माण कर लिया है जिसकी जानकारी परगनाधिकारी एवं प्रभारी न0पा0 बीसलपुर श्री बी0एल0 यादव को है ? यदि हां, तो अब तक वांछनीय कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस हेतु आवेलम्ब प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

सूचना एकत्र की जा रही है।

2-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश के नगरों में विस्तार की जा रही कालोनियों में सीवर योजना मानचित्र में संशोधन की नीति एवं कृत कार्यवाही

3-श्री लाजकृष्ण गांधी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नगरों में कालोनियों के विस्तार को देखते हुये सीवेज योजना के मानचित्र को समय-समय पर संशोधन की क्या नीति है ? क्या उक्त नीति का पालन नगर सहारनपुर के सीवेज योजना मानचित्र को समय-समय पर संशोधन के संबंध में लागू किया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

नगरों में विस्तार की जा रही कालोनियों में यदि सीवर व्यवस्था का प्रावेधान स्वीकृत योजना में नहीं है तो योजना के मानचित्र को तद्नुसार यथावश्यकता संशोधित किया जाता है।

नगर सहारनपुर में भी उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम का नगर सहारनपुर की सीमा के संबंध में अनुपालन की मांग

4-श्री लाज कृष्ण गांधी-

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम, 1965 की धारा 62 (1) के अन्तर्गत वसूल किये गये दो प्रतिशत आवास शुल्क में से उक्त अधिनियम की धारा 62 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका को देय अंश एवं इसके प्रतिवर्ष हस्तान्तरण की प्रक्रिया तय की जा चुकी है ? यदि हां, तो नगर सहारनपुर की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम लागू होने के उपरान्त से दिनांक 31-3-93 तक आवास शुल्क की एकत्र धनराशि में से नगरपालिका, सहारनपुर को देय अंश का हस्तान्तरण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम की धारा 62 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका को देय अंश एवं इसके प्रतिवर्ष हस्तान्तरण की प्रक्रिया कब तक होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासन की अधिसूचना संख्या 2365/37-2-93 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के अनुसार राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जिन नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर की नियमावली गजट में प्रकाशित एवं प्रभावी हो गयी है, इन्हें उक्त कर की धनराशि उनकी नियमावली प्रभावी होने की दिनांक से नियमानुसार आहरित होगी :-

(1) जहां पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् या विकास प्राधिकरण कार्यरत है, वहां पर प्राधिकरण या परिषद् तथा नगर महापालिका, नगरपालिका को उक्त कर का भुगतान अनुषांगिक व्यय काटकर 50-50 के अनुपात में किया जायेगा, या (2) जहां पर परिषद् या प्राधिकरण कार्यरत नहीं हैं वहां पर उक्त कर की 2 प्रतिशत धनराशि नगर महापालिका, नगरपालिका को अनुषांगिक व्यय काटकर प्राप्त कराया जायेगा।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के अंतर्गत भण्डारागारों में डम्प पड़ी विद्युत उपकरण सहित अन्य वस्तुओं की खरीद में प्रश्नकर्ता द्वारा अनियमितता का आरोप

5-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भण्डारागारों में फिजिकल वेरीफिकेशन के अनुसार किन-किन स्थानों पर विद्युत उपकरण सहित अन्य वस्तुयें कितनी मात्रा में और कब से डम्प पड़ी हुई हैं ? इनको क्रय करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या है ?

कितना धन उक्त क्रय में अन्य मदों में से परिषद् का व्यय किया गया है? क्या यह सत्य है कि विद्युत सम्बन्धी उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं के क्रय में अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उनमें से कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत सामानों एवं उपकरणों के खरीद में क्वालिटी कन्ट्रोल पर ध्यान दिया जाता है? क्या घटिया स्तर का सामान भी ऊंचे दामों पर खरीदा गया है ? यदि हां, तो ऐसे किन-किन स्थानों पर लम्बित है तथा वह सामान/उपकरण क्या है ? इन पर कितनी धनराशि अब तक व्यय की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ नगर में महानगर, अलीगंज तथा निरालानगर आधुनिक कालोनियों की सीवर लाइन तथा कच्ची गलियों को ठीक कराने की मांग

6-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में महानगर, अलीगंज तथा निरालानगर आधुनिक कालोनी को महापालिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कर, बेचा गया है, यदि हां, तो इन वाडो में सीवर लाइन न होने का क्या कारण है ? सीवर लाइन बीच-बीच में स्थान-स्थान पर अलग-अलग क्यों है ? क्या इसे शीघ्र ठीक कराने का आदेश दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इन आधुनिक कालोनियों में कच्ची गलियों को शीघ्र बनाया जायेगा ? यदि हां; तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां।

निरालानगर योजना के सीवरेज की निकासी हो रही है। अलीगंज योजना के सीवरेज की निकासी सेक्टर ए, बी, सी, एवं इ के भाग की महानगर क्षेत्र के सीवर में हो रही है, अलीगंज योजना के शेष भागों की निकासी अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था के द्वारा की जा रही है। महानगर के 85 प्रतिशत क्षेत्र के सीवरेज की निकासी तीन पम्पिंग स्टेशनों के माध्यम से हो रही है। केवल 15 प्रतिशत क्षेत्र की निकासी एवं पम्पिंग स्टेशन के प्रदूषण बोर्ड एवं जनता की आपत्तियों के कारण न बन पाने की वजह से नहीं हो पा रही है।

सीवर लाइन बीच-बीच में अलग-अलग नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इन विकसित योजनाओं में कोई गली कच्ची नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिकाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नये वेतनमान के आधार पर भुगतान किया जाना

7-श्री रमेश कन्त लवानियां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिकाओं के वह कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1986 की अवधि से सेवानिवृत्त हुये हैं, की पेंशन निर्धारित करने में नये वेतनमान का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा नये वेतनमान में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत करने पर उन्हें नये वेतनमान में वेतन निर्धारित कर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

को-आपरेटिव साधन सहकारी समितियों में कार्यरत सेल्स मैनों को न्यूनतम वेतन का भुगतान

8-श्री हृदय नारायण-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोआपरेटिव साधन सहकारी समितियों में कार्यरत हजारों सेल्स मैनों को न्यूनतम वेतन दिये जाने के आदेश कब व किस माह से जिला केन्द्रों पर कार्यरत सहायक निबन्धकों को भेजे गये थे ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के आदेश के बावजूद अनेक सहायक निबन्धकों ने न्यूनतम वेतन देना अब तक प्रारम्भ नहीं किया है ? क्या सरकार न्यूनतम वेतन सम्बन्धी आदेश का परिपालन न कराने वाले सहायक निबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

निबन्धक, सहकारी समितियां के परिपत्र संख्या सी-164/आर्थ०, दिनांक 21-1-93 द्वारा सेल्समैनों को न्यूनतम वेतन देने के आदेश जारी कर दिये गये थे ।

कुछ अनार्थिक समितियों को छोड़कर प्रदेश की समस्त समितियों में न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लेसू लखनऊ में फर्जी भुगतान सम्बन्धी आंकड़े फीड करने का कार्य अवर अभियन्ता द्वारा कराये जाने का आरोप

9-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लेसू, लखनऊ के अधीन कांडे कोड सं0 42 के माध्यम

से वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में कितनी धनराशि के फर्जी भुगतान सम्बन्धी आंकड़े फीड करके परिषद् के राजस्व का गबन किया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त वर्षों में कौन-कौन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं डाटा फीडिंग का डिस्पैच क्लर्क नियुक्त रहा है ? क्या यह सत्य है कि भुगतान सम्बन्धी आंकड़े फीड करने हेतु किसी अवर अभियन्ता को कार्य पर लगाया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त स्थान पर लेखाकार को न लगाये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर विकास के क्षेत्र में अनु0 जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति आदि का कोटा पूरा किये जाने की मांग

10-श्री बशीर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास के क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में पिछड़ी जातियों का 27 प्रतिशत, अनु0 जा0, व अनु0 ज0 जा0 का 22.5 प्रतिशत व अल्प संख्यक का ? प्रतिशत कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो कब तक कोटा पूरा किया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अनु0 जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जातियों का कोटा पूर्ण नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिये अलग से शासन ने कोई आरक्षण निर्धारित नहीं किया है।

विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिये निर्धारित कोटा पूर्ण किया जाना प्रक्रियाधीन है। सम्प्रति, इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

जनपद रामपुर के शाहाबाद तथा चमरौआ विकास खण्डों के ग्रामों में विद्युतीकरण की जानकारी

11-श्री परमानन्द दण्डी-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर के ब्लाक शाहाबाद व ब्लाक चमरौआ में पिछले 10 वर्षों से आज तक चयन समिति द्वारा किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया है ? क्या चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से ग्राम हैं ? क्या जिन ग्रामों में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है, उन चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पिछले 10 वर्षों में वर्ष 1983-84 से वर्ष 1993-94 तक जनपद रामपुर के चमरौआ तथा शाहाबाद विकास खण्डों में चयनोपरान्त उर्जीकृत ग्रामों की सूची संलग्न है।

विद्युतीकरण के लिये ग्रामों का चयन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है । जो ग्राम विद्युतीकरण से वंचित रह जाते हैं उन ग्रामों का विद्युतीकरण पुनः चयन समिति द्वारा चयनित होने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

(देखिये नत्थी 'ख' पीछे पृष्ठ 130-131 पर)

जनपद देवरिया में नहरों के किनारे निर्मित ट्यूबवेलों के विद्युत तार एवं ट्रान्सफार्मर की हुई चोरी में कोई अभियुक्त तथा सामान की बरामदगी न होने पर पुलिस विभाग की अन्तिम रिपोर्ट दाखिल किया जाना

12-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में नहरों के किनारे जल स्तर को बरकरार रखने हेतु लगाये गये ट्यूबवेलों में विश्व बैंक की सहायता से लगाये गये लाइनों के विद्युत तार, ट्रान्सफार्मर एवं मोटर चोरी हो गये हैं ? यदि हां, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या उन ट्यूबवेलों को उपयोगी बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सिंचाई विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देवरिया जनपद में नहरों के जलस्तर को बरकरार रखने हेतु लगाये गये नलकूपों की विद्युत लाइन का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से नहीं कराया गया है । देवरिया जनपद में नहरों के किनारे वर्ष 77-78 से लेकर वर्ष 1989 तक 3 क्येसेक्स क्षमता के 150 नलकूपों का निर्माण हुआ था जिसमें से 61 नलकूप ऊर्जीकृत हुये तथा 89 नलकूपों का ऊर्जीकरण नहीं हुआ । यह नलकूप मण्डक योजना के अंतर्गत निर्मित किये गये थे । देवरिया जनपद में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 138 नलकूपों का निर्माण किया गया था परन्तु यह नलकूप नहर के किनारे व नहर के कमाण्ड क्षेत्र में नहीं लगाये गये हैं । नहर के किनारे निर्मित नलकूपों पर सबमर्सिबल पम्पिंग सेट लगाये गये थे इसलिये मोटर चोरी का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया । जहां तक लाइनों के विद्युत तार एवं ट्रान्सफार्मर की चोरी का प्रश्न है इस संबंध में राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1987-88 से वर्ष 1993-94 की अवधि में 28 अवसरों पर तार की चोरियां हुई, जिनमें 104.95 किलोमीटर तार चोरी चला गया । चोरी के मामलों में पुलिस विभाग द्वारा जांच करने के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है, जिसके अनुसार किसी भी अभियुक्त या सामान की बारामदगी नहीं हो सकी है ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विभागीय जांच कराई गई है । जांच में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है ।

नहर के किनारे निर्मित नलकूपों के उपयोग करने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस संबंध में प्रस्ताव/संस्तुति आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से मांगा गया है, प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त होने पर इन नलकूपों के उपयोग के संबंध में विचार किया जायेगा ।

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों का उपयोग हो रहा है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओवरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अधीक्षण अभियन्ता के कार्यकाल में फर्म द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी की प्रश्नकर्ता द्वारा मांग

13-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओवरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अधीक्षण अभियन्ता (तृतीय) श्री आर0 डी0 एस0 मौर्य द्वारा उनके कार्यकाल में कौन सा कार्य किस फर्म से और कब-कब कराया गया और कितना भुगतान हुआ ? क्या उक्त फर्म से इन कार्यों के कराने के आदेश अपने उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये थे ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-1-94 जो कि अध्यक्ष, उ0प्र0 रा0 वि0प0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या परिषद् को हुई हानि की क्षतिपूर्ति कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम् सेक्टर एच कालोनी में सड़कों पर भरे बरसात के पानी के निकासी हेतु व्यवस्था करने की मांग

14-श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जानकीपुरम् सेक्टर एच, लखनऊ में सड़कें व नालियां अभी तक नहीं बनायी गई हैं ? क्या उस क्षेत्र के सभी सड़कों में गहरे गड्ढे है जिसमें बरसात का पानी भर जाने से दलदल की स्थिति आ जाती है ? क्या अभी तक वहां नालियां व सीवरों को मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है जिससे सीवर व नलों का पानी नालियों में हर समय भरा रहने से बीमारी फैलने का भारी भय बना हुआ है ? क्या सरकार उक्त सड़कें व नालियां बनवाने एवं सीवर को मेन लाइन से जुड़वाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जानकीपुरम् सेक्टर 'एच' में जहां कब्जा दिया गया है तथा अभ्यासी रह रहे हैं वहां सड़कें एवं नालियां लगभग पूर्ण हैं नाली एवं पटरी पर अतिक्रमणों द्वारा मिट्टी कचरा आदि भरे जाने के कारण पानी, सड़कों पर फैल जाता था । जिसकी सफाई कराई जा रही है । अब किसी प्रकार से जल भराव व दलदल की स्थिति नहीं है ।

सीवर की सफाई पम्प द्वारा कराई जा रही है। सीवर मेन लाइन से जुड़ा है, परन्तु आऊटलेट का डिसपोजल विचाराधीन है जहां से फिलहाल मेन पम्पिंग स्टेशन द्वारा नाले में पम्पिंग किया जा रहा है।

जनपद देवरिया के तरयासुजाना विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप

15-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के तरयासुजाना विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य में धांधली से संबोधित क्षेत्रीय विधायक के आरोप पत्र पर कोई जांच कार्यवाही चल रही है ? यदि जांच कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद देवरिया में तारेयासुजाना विद्युत उपकेन्द्र से संबंधित इलेक्ट्रिकल कार्यों की विद्युत कार्य खण्ड मोहद्दीपुर द्वारा पूर्ण किया गया है। प्रश्न में संबंधित आरोप पत्र का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः इस पर की गई कार्यवाही के विषय में सूचना देना सम्भव नहीं है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में खुदाई की मिट्टी के निस्तारण हेतु पूर्वी रेलवे को किये गये भुगतान के संबंध में जानकारी देने की प्रश्नकर्ता की मांग

16-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के एम0जी0आर0 की 4,00 से 5,00 किलोमीटर की बीच की गई खुदाई का समस्त मिट्टी के निस्तारण व भुगतान, परियोजना द्वारा पूर्वी रेलवे को वर्ष 1980-81 में किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना भुगतान किया गया था ? क्या यह सत्य है कि इस कार्य से निकली मिट्टी की ढुलाई दिखाकर अलग से अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना किया गया और किसको ? इन दोनों कार्यों को कराने वाले कौन-कौन अधिकारी थे तथा दोनों की शर्तें क्या थीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के ग्राम पारा के निवासियों को क्षेत्रीय विरोध के कारण नये विद्युत कनेक्शन न दिया जाना

17-श्री मयंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पारा, जनपद लखनऊ के निवासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु वर्तमान क्षमता के ट्रान्सफार्मर पर ही इस्टीमेट जून, 1992 में जमा करवाकर वर्क आर्डर कर दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक संबंधित उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन इस क्षेत्र में अवैध विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन अवैध कनेक्शन से विद्युत

शुल्क की वसूली की जा रही है ? क्या उक्त धनराशि को विद्युत विभाग के खाते में भी जमा किया जा रहा है ? यदि हां, तो जून, 1992 से अब तक कितनी धनराशि जमा हो गई है ? यदि नहीं, तो इन अवैध कनेक्शन को दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

ग्राम पारा के 10 व्यक्तियों को सामूहिक रूप से विद्युत कनेक्शन देने हेतु वर्तमान ट्रान्सफार्मर से कनेक्शन हेतु जून, 92 में वर्क आर्डर निर्गत किया गया था ।

ग्राम पारा के संबंधित व्यक्तियों को स्वीकृत वर्क आर्डर के अनुसार विद्युत कनेक्शन देने हेतु 6 पोलों की एल0टी0 लाइन बना दी गयी थी परन्तु क्षेत्रीय लोगों के विरोध के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा सके ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय श्रम न्यायालय द्वारा दिये गये एवार्ड के पालन में रुपयों की वसूली तथा एतद् विषयक कृत कार्यवाही का विवरण

118-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि क्या उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, 32-गार्डेन रोड, आगरा ने माननीय श्रम न्यायालय, आगरा द्वारा अभिदेश वाद संख्या 137/83 में दिये गये एवार्ड के पालन में रुपया 39,422.96 की वसूली अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस, अलीगढ़ एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् से किये जाने हेतु आदेश संख्या 6734 दिनांक 26-6-92 कलेक्टर, अलीगढ़ द्वारा जारी किया है ? यदि हां, तो इस आदेश के अन्तर्गत रु0 39,412.96 की वसूली अभी तक न करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या यह सही है कि संबंधित कर्मचारी श्री हीरा लाल मोहन पुत्र श्री जमुना प्रसाद यादव द्वारा कलेक्टर, अलीगढ़ को 15-2-93 व 3-1-94 को पत्र लिखकर उक्त राशि की वसूली कर भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा किस तिथि तक यह धनराशि की वसूली करके कर्मचारी को भुगतान करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ में कार्यरत द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को आवास आवंटित करने की मांग

119-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत ऐसे

कितने कर्मचारी हैं, जो द्वितीय श्रेणी की आवासीय सुविधा पाने के पात्र हैं तथा जिन्हें अभी तक द्वितीय श्रेणी के आवास आवंटित नहीं किये गये हैं ? ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम, परियोजना पर तैनाती की तिथि व द्वितीय श्रेणी आवास हेतु पात्रता की तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों से कनिष्ठ कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी के आवास आवंटित कर उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के नाम, पदनाम, परियोजना पर तैनाती की तिथि व द्वितीय श्रेणी आवास हेतु पात्रता की तिथि क्या है ? वरिष्ठ कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी का आवास किस तिथि तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ स्थित इन्दिरानगर कालोनी के बगल में स्थित नजूल भूमि पर कब्जे की शिकायत के संबंध में कार्यवाही

20-श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ ए ब्लाक 1407/11, आवास विकास कालोनी के बगल में गनेश नामक व्यक्ति का मकान बना है जो कि नजूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा है ? क्या भूमि के कुछ फर्जी पट्टे कराये जाने के बाद पट्टे से अधिक भूमि पर कब्जा है ? क्या आवास विकास की जमीन पर आवंटित कब्जाधारियों के जमीन में भी जबरदस्ती सीवर डलवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके द्वारा बनाये गये अवैध मकान को जो नजूल की जमीन है, की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुये दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्नगत भवन नजूल की भूमि पर नहीं है।

प्रश्नगत सीवर लाइन को परिषद् की सीवर लाइन से अनियमित रूप से संयोजित किया गया है।

भूमि नजूल की नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा विकास प्राधिकरण की इन्दिरानगर आवासीय योजना में हुई अनियमितताओं की प्राधिकरण द्वारा जांच

21-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भ्रष्टाचार एवं श्रमिक शोषण समिति के प्रान्तीय संयुक्त मंत्री श्री राज नारायण सिंह के द्वारा दिनांक 25-8-90 को बांदा विकास प्राधिकरण की अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायतों एवं तकनीकी जांच हेतु पत्र के संदर्भ में समिति बनाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री राज नारायण सिंह, प्रान्तीय संयुक्त मंत्री, उ0प्र0 भ्रष्टाचार एवं श्रमिक शोषण निरोधक सेवा समिति का पत्र दिनांक 25-8-90 तथा 8-9-90 प्राप्त हुआ, जिसमें बांदा विकास प्राधिकरण की इन्दिरा नगर आवासीय योजना में अनियमितताओं की शिकायत करते हुये तकनीकी जांच हेतु समिति बनाये जाने का उल्लेख है। प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा तकनीकी जांच करायी गई, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया सेवरही, जनपद देवरिया द्वारा यू0पी0 शुगर फैक्ट्री सेवरही से स्थानीय करों के बकाये की मांग

22-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 शुगर फैक्ट्री सेवरही, देवरिया के ऊपर टाउन एरिया सेवरही देवरिया ने अपने स्थानीय करों के भुगतान हेतु मांग की है ? यदि हां, तो क्या फैक्ट्री ने उक्त देय धनराशि टाउन एरिया सेवरही का भुगतान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी नहीं।

जी नहीं।

बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

जनपद लखनऊ स्थित कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर 'जे' रेलनगर कालोनी के भवनों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा वांछित जानकारी

23-श्री देवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जे' रेल नगर कालोनी में सी-। टाइप के कुल कितने भवन हैं ? इन्हें किस वर्ष में कितनी कीमत पर किस-किस को भुगतान पद्धति के द्वारा आवंटित किया गया है ? क्या कोई भवन अभी भी रिक्त है ? यदि हां, तो दिसम्बर, 93 में प्रश्नकर्ता के आवेदन-पर मकान आवंटित न करने का मूल कारण क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जे' रेलनगर कालोनी में सी-। टाइप के कुल 64 भवन हैं।

<u>विवरण संलग्न है।</u>

नहीं।

दिसम्बर, 93 में प्रश्नकर्ता का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 132-135 पर)

उ0प्र0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर की आवासीय कालोनी के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से की गयी कटौती के एक समान नीति के अन्तर्गत उन्हें वापस करने की मांग

24-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर की आवासीय कालोनी में किन-किन श्रेणी के कुल कितने आवासीय भवन निर्मित हैं तथा कब से कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी रह रहे हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थल, खण्ड का नाम एवं मकान नं0 क्या है ? क्या यह सत्य है कि उनके वेतन से एच0आर0ए0 की कटौती नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन आवासों में रहने वालों से उनके वेतन से कटौती नहीं की जा रही है ? क्या एक समान नीति के अनुसार जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से एच0आर0ए0 की कटौती की जा चुकी है उसे वापिस कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद में अतिवृष्टि जलभराव से भविष्य में बचने के लिये समुचित व्यवस्था की मांग

25-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 व 22 जुलाई, 1993 की मध्य रात्रि को भयंकर वर्षा के कारण प्रदेश के कितने नगरों में बाढ़/जल भराव हुआ था ? उक्त जल भराव से गाजियाबाद नगर को कितनी जन-धन की हानि हुई ? क्या इस भयंकर जल भराव का गाजियाबाद नगर में अतिवृष्टि के अलावा कोई भी अन्य कारण था ? क्या भविष्य में जल भराव से होने वाली हानि से बचने के लिये गाजियाबाद नगर की कोई योजना नगरपालिका या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है ? क्या प्रदेश सरकार द्वारा बरसाती पानी की निकासी हेतु नालों की सफाई के लिये कोई विशेष अनुदान गाजियाबाद को प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो उक्त अनुदान किस मद में खर्च किया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

प्रदेश में चार नगरों में बाढ़/जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी।

गाजियाबाद मुख्यालय तथा टाउन एरिया लोनी में 1000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुये तथा 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

अतिवृष्टि ही जल भराव का कारण था।

भविष्य में जल भराव से होने वाली हानि से बचने के लिये नालों की सफाई तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

जी नहीं।

जनपद लखनऊ स्थित सरफराजगंज, थाना ठाकुरगंज में दलितों एवं पिछड़ों की कृषि भूमि को बेचे जाने का मामला

26-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सरफराजगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ में दलितों एवं पिछड़ों की कृषि भूमि और गांव खसरा नं0-1 से लेकर 106 तक, श्री कृष्ण अग्रवाल को अफसरजहां आदि ने बेचने हेतु एग्रीमेंट किया था ? क्या इसके विरोध में मुकदमा जिला जज लखनऊ के यहां दायर हुआ था ? क्या इसकी संख्या 178/85 दिनांक 8-8-86 है ? यदि हां, तो आज उक्त भूमि को अफसरजहां आदि पुनः किस आधार पर बेच रहे हैं ? इसके रोकने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही तुरन्त की जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

इस आशय की कोई जानकारी नगर निगम, लखनऊ के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

नगर निगम, लखनऊ के अभिलेखों में वाद संख्या 178/85, दिनांक 8-8-86 का कोई उल्लेख नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर 22 में श्री गनेश राम चौरसिया के भवन की सीवर लाइन, परिषद् की सीवर लाइन से अनियमित रूप से संयोजित

27-श्री रमापति शास्त्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री मयंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास इन्दिरा नगर, लखनऊ योजना के अन्तर्गत मानचित्र के अनुसार सेक्टर 22, भूखण्ड संख्या 641, 640, 619, 618 पर सड़क है ? यदि नहीं, तो क्या आवंटित 641 भूमि पर अवैध रूप से दिनांक 9-6-93 को गनेश राम चौरसिया द्वारा सीवर पाइप लाइन डाली गई है ? क्या उक्त सीवर लाइन को हटाये जाने के संबंध में सदस्य, विधान परिषद् श्री राम चन्द्र बक्श सिंह का शिकायती पत्र दिनांक 16-7-93 को महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ एवं श्री रमा शंकर कौशिक का शिकायती-पत्र दिनांक 23-6-93 सचिव, आवास विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसे अब तक न हटाये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त पाइप हटाया जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर 22 के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र के अनुसार इंगित 641, 640, 619 एवं 618 भूखण्ड न होकर दुबंल आय वर्गीय भवन हैं।

भवन संख्या 641 से संलग्न, अतिरिक्त भूमि श्री गनेश राम चौरसेया के भवन की सीवर लाइन परिषद् की सीवर लाइन से अनियमित रूप से संयोजित है।

महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ को इंगित पत्र प्राप्त हुआ है। सचिव, आवास विकास परिषद् को इंगित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

परिषद् की इन्दिरानगर योजना लखनऊ की सेक्टर 22 की सीवर लाइन तथा अन्य सभी आवश्यक जन सुविधायें नवम्बर, 1992 में लखनऊ नगर निगम/जल संस्थान को हस्तांतरित की जा चुकी हैं, अनियमित सीवर के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद निवासी मऊ, खुसुरहर के सेवा निवृत्त सहायक सचिव श्री राम नारायण उपाध्याय का पुनः समिति में समायोजन

28-श्री परशुराम यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में सहायक सचिव, के पद पर लगातार सात वर्ष तक कार्य करने के पश्चात् श्री राम नारायण उपाध्याय, निवासी मऊ खुसुरहर, जनपद फैजाबाद को मनमानी तौर पर विभाग ने सेवामुक्त कर दिया है ? क्या इस संबंध में मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-3-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक शिकायत-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्री राम नारायण उपाध्याय निवासी मऊ, खुसुरहर जनपद फैजाबाद को साधन सहकारी समिति लि0 चौरे बाजार में 3 वर्ष 8 माह (30-11-82 से 28-8-86 तक) सहायक सचिव पद पर कार्य करने के पश्चात् समिति के प्रशासक ने निबन्धक के परिपत्र संख्या सी-83, दिनांक 24-11-83 के क्रम में सेवा मुक्त कर दिया था।

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच कराई गई और यह पाया गया कि प्रशासक ने मनमाने तौर पर श्री राम नारायण उपाध्याय की सेवायें समाप्त की थी। श्री उपाध्याय को पुनः उक्त समिति में समायोजित करने हेतु आदेश दिनांक 23-1-95 को पारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कराये जाने की मांग

29-श्री परशुराम यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक

26 अप्रैल, 1994 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या शासन द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर 'एच' के विकास कार्यों का स्वीकृत प्रोजेक्ट एवं सड़क निर्माण कार्य

30-श्री समर पाल सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रोजेक्ट स्वीकृति की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी ? प्रोजेक्ट स्वीकृति के कितने दिनों बाद प्रश्नगत सड़क बना दी जायेगी ? क्या सरकार प्रोजेक्ट स्वीकृति के प्रश्चात् सड़क का निर्माण का समय निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कानपुर रोड योजना सेक्टर 'एच' के विकास कार्यों का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। प्रश्नगत सड़क निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष 1994-95 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर योजना के अन्तर्गत सेक्टर 22 में निर्मित संख्या 641 एवं 648 के बीच निर्मित श्री बनेश राम चौरसिया तथा श्री त्रिलोकी नाथ अवैध भवनों को हटाने की मांग

31-श्री गोपाल काली तथा डा0 सरजीत सिंह बंग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरानगर, लखनऊ ए ब्लाक स्थित आवास विकास योजना के अन्तर्गत भवन संख्या 1403/10, 1405/1, 1407-11 सेक्टर 22 के भवन संख्या 641 से 648 के दक्षिण दोनों ब्लाकों के बीच की भू-खण्ड संख्या क्या है ? उक्त भूमि पर किन-किन लोगों के मकान बने हैं व उनके नाम क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि कब और किस विभाग द्वारा उक्त भूमि, कितने-कितने वर्गफुट में प्राप्त की गई ? वर्तमान समय में बने भवनों के क्षेत्रफल क्या हैं ? क्या उक्त भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कब और किस विभाग द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अवैध निर्माण कार्यों के संबंध में दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इन्दिरानगर योजना लखनऊ के ए ब्लाक में स्थित भवन संख्या 1403/10, 1405/1, 1407/11 व सेक्टर 22 के भवन संख्या 641 से 648 के बीच परिषद् द्वारा कोई भूखण्ड विकसित नहीं किये गये हैं तथा न ही कोई भूखण्ड संख्या परिषद् द्वारा निर्धारित की गई है। कथित क्षेत्र में श्री गनेश राम चौरसिया एवं श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता के परिषद् योजना की विज्ञप्ति के पूर्व के भवन बने हुये हैं। उनके भूखण्ड/भवन का परिषद् द्वारा कोई नम्बर निर्धारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त भवन ग्राम बस्तौली के खसरा सं0 129 में बने हुये हैं। खसरा संख्या 129 का कब्जा परिषद् को 7-9-73 से 27-4-84 के मध्य विभिन्न तिथियों में 46 बीघा 12 बिस्वा 14 बिस्वांसी प्राप्त हुआ।

कथित क्षेत्र में श्री गनेशराम एवं त्रिलोकीनाथ गुप्ता के परिषद् को योजना की विज्ञप्ति से पूर्व के भवन बने हुये हैं जिनके भूखण्ड का क्षेत्रफल क्रमशः 540 वर्गमीटर एवं 570 वर्गमीटर है। उक्त भवनों के मानचित्र वर्तमान में परिषद् से स्वीकृत नहीं हैं। उक्त भवन स्वामियों को परिषद् अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत अवैध निर्माण हटाने हेतु नोटिस निर्गत की जा चुकी है।

जनपद फतेहपुर स्थित क्षेत्र बिन्दकी के ग्रामों में विद्युतीकरण सम्बन्धी जानकारी

32-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर स्थित विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कुल कितने ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण हो चुका है ? क्या कुछ गांव का विद्युतीकरण होना अभी शेष है ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 में विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कुल 193 गांवों का एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किया जा चुका है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में आबादी वाले कोडेड गांवों की संख्या 295 है, जिनमें से 102 गांवों का एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किया जाना अभी शेष है।

जी नहीं। यह सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की विद्यमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के समस्त अविद्युतीकृत (अवशेष) गांवों का एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किये जाने के लिये समय-सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा जनरेटर तथा वायरिंग का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

33-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, विकास प्राधिकरण, बांदा द्वारा दिनांक 4-10-90 को निर्मल आटो मोबाइल्स, स्टेशन रोड, बांदा से बिल नं0 510, दिनांक 22-9-93 को पांच हार्सपावर का जनरेटर रुपये 16,500 का प्राधिकरण कार्यालय हेतु क्रय किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त जनरेटर का उपयोग कार्यालय में न करके संदर्भित सचिव द्वारा अपने आवास में किया जा रहा है ? क्या उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से 1,200 रुपये की वायरिंग भी आवास में कराई गई है ? क्या प्रश्नगत प्रकरण पर उक्त सचिव को पद के दुरुपयोग करने एवं अनियमितताये बरतने के आरोप में दण्डित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

बांदा विकास प्राधिकरण में सचिव का पद रिक्त है । जिलाधिकारी स्तर पर यह व्यवस्था की गई कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बांदा अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण के कार्यों/दायित्वों का भी निर्वाह करेंगे, जिसके अनुपालन में सचिव पद का कार्यभार अपर जिलाधिकारी, बांदा द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त निर्वाह किया जा रहा है । अपर जिलाधिकारी का एक ही पद है जिन्हें राजस्व एवं कानून व व्यवस्था तथा अन्य विभागों के अतिरिक्त प्राधिकरण का कार्य भी देखना होता है इसलिये आवासीय कार्यालय में ही कार्य करना पड़ता है । इस प्रकार उक्त जनरेटर सेट एवं सामग्री का उपयोग अपर जिलाधिकारी/सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण के आवासीय कार्यालय में किया जा रहा है ।

जनरेटर सेट के संचालन हेतु चेंजओवर आदि के लिये सामग्री की आपूर्ति भी नियमानुसार कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम कोटेशनदाता से रुपये 1204 में क्रय की गई है । लेखा-परीक्षक द्वारा आडिट किया गया और किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गई है ।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा न तो कोई अनियमितता ही बरती गयी और न ही पद का दुरुपयोग किया गया । इसलिये दण्डित किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों तथा नेत्रहीनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने विषयक आदेश

34-श्री राज कुमार शिवहरे-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन

निगम की बसों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधायें उपलब्ध कराने के आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यात्रा के समय विकलांग यात्रों से लिया जाने वाला यात्रीकर, सरचार्ज, यात्री बीमाकर माफ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को 16-6-92 तथा नेत्रहीनों को 1-7-92 से निःशुल्क यात्रा की सुविधायें उपलब्ध कराने के आदेश हैं। विकलांगों एवं नेत्रहीनों से यात्रीकर, सरचार्ज, यात्री बीमा कर आदि लिया जाता है।

नगरपालिका बांदा में पट्टों के मध्यवर्ती नवीनीकरण सम्बन्धी जानकारी

35-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राज्य सरकार के आश्वासनों एवं निर्देशों के बावजूद नगरपालिका, बांदा द्वारा अनगिनत पट्टाधारकों के नजूल भूमि के पट्टों के मध्यवर्ती नवीनीकरण न करके शासनादेशों तथा नजूल मैनुअल की एवं पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करने से पालिका की राजस्व की हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या पीड़ित सैकड़ों पट्टेदारों ने नगरपालिका, बांदा द्वारा अपनाई गई इस प्रणाली के विरुद्ध न्यायालय की शरण ले रखी है ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में आर्थिक रूप से खोखली नगरपालिका, बांदा का धन जो विकास कार्यों में खर्च होना है, अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी में खर्च हो रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विकास कार्यों हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु तथा पट्टों के मध्यवर्ती नवीनीकरण हेतु न0 पा0, बांदा को तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा आदेशित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नगरपालिका, बांदा में पट्टों के मध्यवर्ती नवीनीकरण का कार्य पट्टे की शर्तों एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः ऐसे मामलों में नियमानुसार नवीनीकरण न किये जाने से राजस्व हानि का प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में केवल दो पट्टों के नवीनीकरण का मामला न्यायालय में लम्बित है।

नजूल भूमि राजस्व की सम्पत्ति है जिसका स्थानीय स्तर पर प्रबन्धकीय कार्य नगरपालिका, बांदा द्वारा किया जाता है और इसके बदले में नगरपालिका को नजूल भूमि के पट्टों से प्राप्त आय का एक अंश दिया जाता है। प्रबन्धकीय कार्य के अन्तर्गत

ही नगरपालिका द्वारा नजूल भूमि के मामले में शासकीय हितों के विरुद्ध दायर मुकदमों की पैरवी की जाती है। अतः विकास कार्यों से इस हेतु धन व्यय होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 की साधन सहकारी समितियों में अनुसूचित वर्ग का कोटा पूर्ण करने की मांग

36-श्री योगेन्द्र कुमार सागर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में अनुसूचित वर्ग का कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो उ0प्र0 में कितने कर्मचारी, साधन सहकारी समितियों में सचिव, आंकिक के पद पर कार्यरत हैं ? यदि कोटा पूर्ण नहीं है, तो कब तक पूर्ण किया जायेगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सूचना एकत्र की जा रही है।

टी0जी0 हास्टल रोड पर खदरा सीतापुर रोड, लखनऊ में नियमित जलापूर्ति की मांग

37-श्री बची सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0जी0 हास्टल रोड पर खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ स्थित निवासियों के निजी पानी के नलों एवं सरकारी नलों में प्रतिदिन कितने घण्टे पानी दिया जाता है ? नलों में बूंद-बूंद पानी आने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इसका आकस्मिक निरीक्षण करके पीने के पानी में प्रेशर बढ़वाकर, जनता में मची त्राहि-त्राहि को दूर करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

टी0जी0 हास्टल रोड पर खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ के निवासियों को प्रतिदिन सुबह और शाम दो घण्टे जलापूर्ति दी जाती है।

जलापूर्ति विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहती है। यदि विद्युत आपूर्ति में बाधा पड़ती है तो उक्त जलापूर्ति प्रभावित रहती है।

प्रतिदिन सुबह और शाम दो-दो घण्टे जलापूर्ति दी जा रही है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

38-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

(तीसरे सोम0 में अता0 प्र0 सं0 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लखनऊ नगर की विद्युत आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की मांग

39-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में बिजली आपूर्ति प्राय. बाधित रहती है ? क्या इसे ठीक करने की शासन कोई परियोजना है ? क्या सरकार ने लखनऊ में खराब ट्रान्सफार्मर, पुराने बिजली के तार, भूमिगत बिजली आपूर्ति की खराबी को ठीक करने की कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली बाधित होना सब प्रकार के कारोबार तथा कार्यों को प्रभावित करता है ? क्या ऊर्जा मंत्री कोई विशेष योजना बनाकर लखनऊ की बिजली आपूर्ति ठीक करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

खराब ट्रान्सफार्मर, पुराने बिजली के तार तथा भूमिगत केबल की खराबियों को ठीक किया अथवा आवश्यकतानुसार बदला जाता है । क्षेत्र के एल0टी0 ट्रान्सफार्मर में खराबी आने पर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत ट्राली ट्रान्सफार्मर का प्रबन्ध रखा गया है । नये ट्रान्सफार्मर, बिजली के तार तथा भूमिगत केबिल को लगाकर विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य समय-समय पर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, किन्तु राजधानी में विद्युत आपूर्ति में बाधा सामान्यतः बहुत कम समय के लिये होती है । अतः कारोबार एवं कार्यों पर उसका प्रभाव नगण्य होता है ।

जी हां ।

विशेष योजना बना ली गई है परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में उसके कार्यान्वयन की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

मार्टिन पुरवा, हजरतगंज, लखनऊ में लगे खराब हैण्डपम्पों को जल निगम द्वारा ठीक कराने की मांग

40-श्री चरन सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया अवगत हैं कि मार्टिन पुरवा, हजरतगंज, लखनऊ में लगे इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प-2 खराब हो जाने के कारण भयंकर पेयजल समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या पेयजल समस्या के निवारण हेतु उक्त हैण्ड-पम्प जल निगम, लखनऊ द्वारा अविलम्ब ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिवानी बिहार, कल्याणपुर स्थित श्री राम तीरथ कुशवाहा के मकान के सामने इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाया जाना

41-श्री महावीर सिंह (बिजनौर)-

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी है कि शिवानी बिहार, कल्याणपुर, लखनऊ स्थित श्री बदलू यादव की पुरानी ट्यूबवेल के पास श्री राम तीर्थ कुशवाहा के मकान के सामने सार्वजनिक पार्क में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क-2 के दो हैण्ड पाइप लगवाने हेतु श्री राम तीरथ व अन्य निवासीगण उपरोक्त के प्रार्थना पत्र को नगर विकास राज्य मंत्री ने श्री कोमेश श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, जल निगम डण्डीहेया बाजार, लखनऊ को दस्ती देते हुये उक्त कार्यवाही शीघ्र कराने का मौखिक आदेश दिया था ? उक्त आदेश के अनुपालन में जल निगम कार्यालय ने उक्त स्थान पर इण्डिया मार्ग-2 का एक हैण्ड पाइप लगाने हेतु अपने पत्रांक 4125/डब्लू-31/220, दिनांक 20-5-94 के क्रमांक 26 पर प्रस्ताव भेजकर जिला अधिकारी, लखनऊ से स्वीकृत प्राप्त की है ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्ड पाइप वांछित स्थान पर लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

गत माह दिसम्बर, 1994 में हैण्ड पम्प लगा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति, बिठुआ, विकास खण्ड सीयर, जनपद बलिया में कार्यरत सहायक निबन्धक को बीज धान आदि न बांटने के संबंध में दण्डित करने की मांग

42-श्री मुक्ति नाथ-

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि साधन सहकारी समिति, बिठुआ विकास खण्ड सीयर, जनपद बलिया पर कार्यरत सचिव, श्री दूबे इस समय निलम्बित चल रहे हैं ? क्या यह सही है कि कुछ दिन पहले भी जनपद बलिया से ही निलम्बित हुये थे ? यदि हां, तो किस नियम के तहत जिला सहायक निबन्धक द्वारा उनको निलम्बन आदेश समाप्त करके बहाल करके बिठुआ समिति का चार्ज दिया गया ? क्या यह सही है कि सचिव श्री दूबे द्वारा बिठुआ समिति पर जाकर भी भ्रष्टाचार किया गया? क्या किसानों को बीज धान, खरीद की फसल हेतु न बांटने पर वे निलम्बित हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इसमें सहायक निबन्धक, बलिया भी दोषी पाये गये हैं ? क्या उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विजेन्द्र सिंह, पेशकार, सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ के बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु आदेश जारी करने की मांग .

43-श्री हरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री विजेन्द्र सिंह, पेशकार, सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ का विगत 8 वर्षों का बकाया वेतन उनके तथा उनकी पत्नी द्वारा अनेक प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों को दिये जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस बकाया वेतन के भुगतान करने के आदेश अविलम्ब जारी किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

श्री सिंह के बकाया वेतन भुगतान के आदेश निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, देहरादून को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मस्टररोल पर नियुक्त कर्मियों को नियमित एवं वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कृत कार्यवाही

44-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटेया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जनपद वितरण), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (सिविल), ए-539, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा वर्ष 1-1-88 के उपरान्त कुल कितने व्यक्ति मस्टर रोल पर रखे गये हैं ? उनके नाम, तैनाती स्थान एवं कार्य अवधि क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनके पूर्व के मस्टररोल कर्मियों की वरिष्ठता सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो वह सूची क्या है ? इसमें से कितनों को नियमित किया जा चुका है ? ऐसे कितने मस्टररोल कर्मी हैं जिनको नियमित नहीं किया गया है ? उनके नाम व पता क्या है ? क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की नियुक्तियों पर वर्ष 1978 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है ? यदि हां, तो इन अनियमित नियुक्तियों के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या है ? क्या यह सत्य है कि मस्टररोल कर्मियों की कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई थी तथा मनमाने तौर पर अधिकारियों एवं यूनियन के पदाधिकारियों के रिश्तेदार आदि को नियमित किया गया है ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ तथा मुख्य अभियन्ता (सिविल), ए-539, इन्दिरानगर, लखनऊ के नियंत्रणाधीन वर्ष 1-1-88 के उपरान्त क्रमशः 2 97 एवं 2 व्यक्ति मस्टररोल पर रखे गये हैं ।

नाम, तैनाती स्थान एवं कार्य अवधि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण के नियंत्रणाधीन 1-1-88 से पूर्व के कार्यरत मस्टररोल कर्मियों की वरिष्ठता सूची ज्वाइनिंग तिथि से बनाई गई है जो सदन के पटल पर रख दी गई है । मुख्य अभियन्ता (सिविल), ए-539, इन्दिरा नगर, लखनऊ के नियंत्रणाधीन 1-1-88 से पूर्व का कोई भी मस्टररोल कर्मी कार्यरत नहीं है, अतः वरिष्ठता सूची का प्रश्न नहीं उठता है । मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण के नियंत्रणाधीन 1-1-88 से पूर्व में मस्टर रोल पर कार्यरत 14 कर्मियों में से 3 कर्मियों को नियमित किया जा चुका है ।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) ए-539, इन्दिरानगर, लखनऊ के संबंध में यह प्रश्न नहीं उठता है । मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण के नियंत्रणाधीन 1-1-88 से पूर्व के कार्यरत 14 मस्टररोल कर्मियों में से क्रम संख्या 9, 10, 11 पर उल्लेखित सर्वश्री राकेश चन्द्र, राजू कश्यप व धनासिंह को छोड़कर 11 (ग्यारह) को तथा 1-1-88 के बाद के मस्टररोल पर नियुक्त 297 कर्मियों में से क्रम सं0 177 एवं 178 पर सर्वश्री रजी उल्लाह एवं शिव बहादुर जो ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं, को छोड़कर किसी को नियमित नहीं किया गया है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

जी हां ।

(अ) मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण शाक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के सुरक्षा अग्नि सुरक्षा, टेलीफोन आपरेशन, वाहनों का परिचालन इत्यादि के जो नये कार्य आये तथा कालोनियों में आवासों की संख्या बढ़ जाने के कारण जो अनुरक्षण के कार्य में वृद्धि हुई उनको सुचारु रूप से चलाने हेतु जो कम से कम कर्मचारी आवश्यक थे उन्हें परिषद् के तत्कालीन सदस्य सचिव की अनुमति से मस्टररोल पर रखा गया है ।

(ब) मुख्य अभियन्ता (सिविल), ए-539, इन्दिरानगर, लखनऊ के अन्तर्गत 2 (दो) मस्टररोल कर्मचारी चालक के पद पर, उपलब्ध गाड़ियों को चलाने हेतु परिषदीय कार्यहित में रखे गये हैं । अतः इन नियुक्तियों हेतु कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0 द्वारा खरीदे गये जेनरेटिंग सेट्स के लिये उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के निर्धारित दर से मूल्य का भुगतान किया जाना

45-श्री तीरथ राज, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पुराने जेनरेटिंग सेट्स विभिन्न खण्डों द्वारा उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम को बेचे गये थे ? यदि हां, तो उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम के मध्य किस प्रकार का समझौता किया गया

था ? क्या मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) ने अपने अर्द्ध0 शा0पत्र सं0 1430 मु0 अ0 (सा0 प्र0)/23 बी-9, दिनांक 12-7-94 द्वारा जिन डिवीजनों के वस्त्र निगम को जनरेटिंग सेट्स बेचे हैं, उनका विवरण मांगा गया था ? यदि हां, तो ऐसे कितने डिवीजन हैं, जिनको भुगतान नहीं मिला है ? क्या फर्जी भुगतान दिखाया गया है ? कुल बेचे गये जेनरेटिंग सेट्स की संख्या क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड उक्त जेनरेटिंग सेट्स की राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत के भुगतान करने के लिये वचनबद्ध है।

जी हां।

जी नहीं। उपरोक्त द्वारा बेचे गये डीजल जेनरेटिंग सेट्स की संख्या 6 है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ के अधीन कम्प्यूटर को कथित फर्जी आंकड़े भेजकर गबन करने के संबंध में कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

46-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के अधीन अगस्त, 1993 में सी.सी. 42 के माध्यम से कम्प्यूटर को फर्जी भुगतान के आंकड़े भेजकर गबन करने का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में कितने उपभोक्ता एवं कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित थे? गबन की धनराशि एवं अवधि क्या थी ? क्या इस गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या गबन धनराशि की वसूली की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता श्री एस0बी0 मिश्रा के विरुद्ध शिकायत

47-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एक ए0ई0 श्री एस0बी0 मिश्रा जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कई वर्षों से सेवारत है, उन्होंने पहले नेहरू इन्कलेव, फिर विराट खण्ड व फिर विपुल खण्ड, विकास/विनीत खण्ड में कार्य किया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त ए0ई0 के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के मामले लम्बित हैं? क्या उक्त ए0ई0 को प्रमोशन देकर वहीं पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्त कर दिया गया है, जो कि शासन के नियमों के विपरीत है ? क्या सरकार उक्त सारे प्रकरण की जांच कराकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान में श्री एस0बी0 मिश्रा नाम का कोई सहायक अभियन्ता अथवा अवर अभियन्ता सेवारत नहीं हैं। प्राधिकरण में श्री एस0बी0 मिश्रा नामक एक अधिशासी अभियन्ता है जो प्राधिकरण में इस पद पर मार्च, 1994 से नियुक्त है। नेहरू इन्कलेव का कार्य श्री मिश्रा के द्वारा तीन अन्य अधिशासी अभियन्ताओं के साथ देखा गया है तथा विराट खण्ड का कार्य इनके द्वारा लगभग 4 माह देखा गया है। विकास तथा विनीत खण्ड का कोई कार्य इनके द्वारा नहीं देखा गया है। वर्तमान में श्री मिश्रा द्वारा विपुल खण्ड का कार्य देखा जा रहा है।

श्री मिश्रा के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिस पर उपाध्यक्ष से आख्या मांगी गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में मुख्य मंत्री द्वारा की गई दस ग्रामों के लिये विद्युतीकरण की घोषणा के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने का अरोप

48-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के उनके दौरे के दौरान दिनांक 31-3-94 को दस ग्रामों की विद्युतीकरण कराने हेतु घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विद्युतीकरण की कार्यवाही में शिथिलता बरती जा रही है और कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के नगरपालिका, गुलावटी एवं बुलन्दशहर में नाली निर्माण हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाना

49-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के नगरपालिका, गुलावटी को नाली निर्माण हेतु 5 लाख रुपये व नगरपालिका, बुलन्दशहर को नाली निर्माण हेतु 10 लाख रुपये दिये जाने की घोषणा उनके द्वारा दिनांक 31-3-94 को की गई थी ? क्या उक्त वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली शासन को भेजी गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और कब तक उक्त कार्य प्रारम्भ करा दिये जायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

आगणन प्राप्त न होने के कारण अभी तक वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी है । जिला अधिकारी बुलन्दशहर को आगणन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है ।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बलिया द्वारा गोलमाल करने के मामले की विस्तृत जांच हेतु उप निबन्धक, वाराणसी मण्डल को निर्देशित किया जाना

50-श्री मुक्ति नाथ-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बलिया द्वारा काफी गोलमाल किया गया है ? क्या सचिवों व अपने अधीनस्थ बैंक मैनेजरों से बंधी रकम ली जा रही है ? क्या सहायक निबन्धक द्वारा गलत तरीके से अपना प्रमोशन कराने का प्रयास किया गया है ? क्या सरकार इनके कार्यकाल की पूरी पत्रावली की समीक्षा, किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुये उक्त सहायक निबन्धक को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की विस्तृत जांच हेतु उप निबन्धक, सहकारी समितियां, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को निर्देशित किया गया है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

साधन सहकारी समिति, बिठुआ, विकास खण्ड सीयर, जनपद बलिया के सचिव पर समिति में धन संबंधी गोलमाल करने का आरोप

51-श्री राम करन आर्य-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, बिठुआ, विकास खण्ड सीयर, जनपद बलिया पर कार्यरत सचिव श्री दूबे व उनके अन्य साथियों पर कितना गोल-माल समिति के धन का करने का आरोप सिद्ध हुआ है ? कब तक उक्त पैसे की वसूली उनके निजी सम्पत्ति से कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम गौरी कला, तहसील बांदा जिला बांदा में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की जानकारी

52-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरी कलां, तहसील बांदा, जिला बांदा में विगत दिनांक 12-12-90 से विभिन्न अवधियों में तथा दिनांक 13-9-90 से

लगातार अब तक विद्युत आपूर्ति बाधित होने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त ग्राम का खराब ट्रान्सफार्मर तथा क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन ठीक कराये जाने हेतु ग्राम वासियों द्वारा अधेशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जनपद बांदा को निरंतर प्रार्थना-पत्र दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण पर मंत्री जी संबंधित ग्राम की विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 12-12-90 से 4-8-91 तक 6 माह की अवधि दिनांक 16-8-92 से 21-2-93 तक 6 माह की अवधि 13-9-93 से अब तक बाधित विद्युत आपूर्ति के बिल भुगतान हेतु उपभोक्ताओं के पास किस नियम के अन्तर्गत भेजे गये हैं ? क्या संबंधित अवधि के बिलों की वसूली स्थगित करके उन्हें माफ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ग्राम गौरी कला का ट्रान्सफार्मर दिनांक 12-12-90 को एक फेज खराबी होने के कारण बन्द हो गया था, जिसे समय से ठीक कराकर चालू कर दिया गया था। अवधि 12-2-90 से अवधि 13-9-93 के मध्य विभिन्न अवधियों में ट्रान्सफार्मर एवं लाइन खराबियों के कारण कुछ समय के लिये विद्युत बाधित रहीं। दिनांक 13-9-93 से अब तक विद्युत आपूर्ति इस ग्राम में लगे ट्रान्सफार्मर के जल जाने के कारण बाधित हुई। इस ट्रान्सफार्मर से विद्युत आपूर्ति पाने वाले लगभग 14 उपभोक्ताओं पर विद्युत अवशेष होने के कारण और उसका भुगतान न होने के कारण ट्रान्सफार्मर जल जाने के पश्चात् इसे बदला नहीं जा सका।

जी हां, ग्रामवासियों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ परन्तु उनके द्वारा विद्युत बकाया धनराशि जमा न करने के कारण, ट्रान्सफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति चालू करना सम्भव न हो सका।

उपभोक्ताओं द्वारा बकाया धनराशि भुगतान करने पर ट्रान्सफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

चूंकि ट्रान्सफार्मर को बदला जाना बकाया राशि के भुगतान पर निर्भर है इसी लिये समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

विभिन्न अवधियों के बिल निर्धारित विद्युत दरों तथा विद्युत परिषद् के नियमों के अन्तर्गत भेजे गये हैं।

बिल माफी के विषय में उचित कार्यवाही प्रत्येक मामले में गुण व दोष के आधार पर नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र देने पर ही सम्भव होगी।

चूंकि बिल माफी का निर्णय उपभोक्ताओं से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने एवं उनके प्रकरण की परिस्थिति पर निर्भर करता है इसलिये समय सीमा इंगित करना सम्भव नहीं है।

वाराणसी नगर में जलापूर्ति हेतु सोलर ओवर हैण्ड टैंक को छोड़कर शेष सभी टैंकों द्वारा पूरी क्षमता से कार्य किया जाना

53-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में जलापूर्ति के कितने ओवर हेण्ड टैंक किन स्थानों पर हैं ? क्या सभी टैंक ठीक हालत में और पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो उनमें से कितने टैंक खराब हैं तथा अक्सर लीकेज आदि के कारण खराब रहते हैं ? जलापूर्ति सुचारु करने हेतु उक्त टैंकों को ठीक कराये जाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

वाराणसी नगर में जलापूर्ति हेतु 16 ओवर हेड टैंक निम्न स्थलों पर स्थापित हैं :-

नटनेया, दायी, यू0पी0 कालेज, शिवपुर, बनारस क्लब, लालपुर, पहाड़िया, जैतपुरा, मलदहिया, मिन्ट हाउस, लहरतारा, बेनिया, सोनिया, महापालिका, तुलसीपुर, सुन्दरपुर व भोगापार । एक मात्र मलदहिया ओवर हेड टैंक को छोड़कर शेष ओवर हेड टैंक ठीक हालत में हैं और पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं ।

खराब ओवर हेड टैंक की मरम्मत जल निगम द्वारा कराई जा रही है ।

वाराणसी नगर में टेलीफोन/विद्युत/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई विभाग द्वारा खोदी गई सड़कों का विवरण एवं पुनर्निर्माण की मांग

54-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर की कौन सी सड़कें हैं जो तार बिछाये जाने हेतु टेलीफोन विभाग, विद्युत विभाग तथा गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर बिछाये जाने के उपरान्त खोद कर छोड़ दिये गये हैं ? क्या नियमानुसार उक्त सड़कों के ओपनिंग चार्जेज संबंधित विभाग से जमा करा लिये गये हैं ? यदि हां, तो कितना, उक्त सड़कों का नव निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

टेलीफोन विभाग द्वारा मुख्य 7 सड़कें तथा विद्युत विभाग द्वारा मुख्य 5 सड़कें खोदी गई हैं, जिनकी सूची संलग्न है ।

गंगा प्रदूषण विभाग द्वारा नगर निगम की कोई सड़क नहीं खोदी गई है ।

टेलीफोन विभाग को रोड कटिंग चार्जेज जमा कराने हेतु बिल भेजे गये हैं जिसके विरुद्ध अब तक धनांक-रु0 4,21,517/- प्राप्त हुआ है ।

खोदी गई सड़को की आवश्यक मरम्मत कराकर यातायात चालू करा दिया गया है तथा उन्हें यथाशीघ्र पूर्णरूप से निर्मित करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' पीछे पृष्ठ 136 पर)

ग्राम सभा, इस्माइलगंज, परगना तहसील व जनपद लखनऊ के किसानों की आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि का विवरण

56-श्री रमापति शास्त्री-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामसभा इस्माइलगंज, परगना व तहसील व जिला लखनऊ की कितने एकड़ भूमि जो ऊसर, बंजर, चारागाह, परती, तालाब की शक्ल में थी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा परिषद् की इन्दिरा नगर योजना एवं इन्दिरा नगर विस्तार योजना में अधिग्रहीत की गई है ? इस अधिग्रहीत की गई भूमि की कीमत परिषद् द्वारा तत्समय किसानों की भूमि के लिये अदा किये मुआवजों की दरों के अनुसार कितनी होती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ग्राम सभा इस्माइलगंज, परगना व तहसील व जिला-लखनऊ की ऊसर, बंजर, चारागाह, परती एवं तालाब की क्रमशः 00 एकड़, 1.78 एकड़, 00 एकड़ एवं 00 एकड़ कुल 1.78 करोड़ एकड़ भूमि परिषद् की इन्दिरा नगर योजना में तथा क्रमशः 0.11 एकड़, 3.09 एकड़, 00 एकड़, 00 एकड़, एवं 8.60 एकड़ कुल 11.80 एकड़ भूमि परिषद् की इन्दिरा नगर विस्तार योजना में अधिग्रहीत की गई है ।

इन्दिरा नगर योजना के लिये उपरोक्त अधिग्रहीत 1.78 एकड़ भूमि की कीमत रुपये 16,252,08 तथा इन्दिरा नगर विस्तार योजना की उपरोक्त अधिग्रहीत 11.80 एकड़ भूमि की तत्समय किसानों की भूमि के लिये अदा किये गये मुआवजे की दरों के अनुसार कीमत रुपये 9,66,335.94 होती है ।

लखनऊ नगर की प्रथम महायोजना का विज्ञापन तथा स्वीकृति की जानकारी

52-श्री रमापति शास्त्री-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की प्रथम महायोजना का विज्ञापन किस तिथि को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया और जनसाधारण की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद किस तिथि को शासन द्वारा यह प्रथम महायोजना स्वीकृत की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नगर लखनऊ की प्रथम महायोजना का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित

नहीं किया गया क्योंकि तत्समय अधिनियम में शासकीय गजट में भी प्रकाशन का प्रावधान था। जनसाधारण की आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् दिनांक 27-01-70 को प्रथम महायोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना 'ब' खण्ड में राख निस्तारण एवं बन्धे के निर्माण तथा कार्य आवंटन के संबंध में दी गई जानकारी

58-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना 'ब' खण्ड के निर्माणाधीन राख निस्तारण एवं बन्धे का निर्माण श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता के अधीन ही करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा ऊंचाहार तापीय परियोजना के बांध का निर्माण इन्हीं की देखरेख में करवाया गया है ? क्या यह भी सही है कि तत्काल ही वर्ष 1990-91 में बांध बह गई थी ? यदि हां, तो राज्य विद्युत परिषद् में कार्य आवंटन का क्या मापदण्ड बनाया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। फिरोज गांधी ऊंचाहार तापीय विद्युत परियोजना में राख निस्तारण एवं बन्धे का निर्माण श्री उमेश चन्द्र जैन, अधिशासी अभियन्ता के अधीन करवाया गया था।

राख निस्तारण एवं बन्धा बहने का कोई मामला ऊंचाहार परियोजना पर नहीं हुआ है।

राज्य विद्युत परिषद् में कार्य का आवंटन अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों का मूल्यांकन एवं सक्षमता को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 'अ' तापगृह के व्यालर इरेक्शन के ठेके में ठेकेदार मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया इरेक्टर को किये गये भुगतान की जानकारी

59-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 'अ' तापगृह के व्यालर इरेक्शन के ठेके में ठेकेदार मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया, इरेक्टर को कुल कितना भुगतान किया गया था ? उसमें से कितना अतिरिक्त आइटमों के नाम पर भुगतान किया गया था ? क्या यह सत्य है कि ठेकेदार को विभिन्न स्ट्रक्चर के सुधार के नाम पर एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इस मद में किये गये भुगतान की कितनी राशि स्ट्रक्चर बनाने वाले ठेकेदार मेसर्स बी0एच0ई0एल0 से कटौती की गई ? कितनी धनराशि की कटौती अब तक नहीं की गई है एवं उसका कारण क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया इरेक्टर को कुल रुपये 11,84,43,986.00 का भुगतान किया गया है ।

अतिरेक्त कार्यों के लिये रुपये 1,60,32,005.00 का भुगतान किया गया है ।

विभिन्न स्ट्रक्चर के सुधार के लिये मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया इरेक्टर को कुल रुपये 80,52,124.00 का भुगतान किया गया है ।

स्ट्रक्चर सुधार के लिये किये गये कुल अतिरेक्त व्यय रुपये 80,52,124.00 की वसूली मेसर्स बी0एच0ई0एल0 से कर ली गई है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में राख निस्तारण एवं बांध निर्माण के लिये उपयुक्त स्थानों के चयन के संबंध में दी गई जानकारी

60-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र हेतु स्थाई राख निस्तारण प्रणाली में दो अदद सैडिल डैम का निर्माण वर्ष 1984 से 1986 के मध्य कराने में कुल कितना धन व्यय हुआ ? क्या इन बांधों को किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर 1/10 लागत में ही बनाया जा सकता था ? यदि हां, तो वैकल्पिक सर्वेक्षण न तय करने का क्या कारण था ? इससे परिषद् को कुल कितनी वित्तीय क्षति पहुंची है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत कार्य पर उल्लेखित अवधि में रु0 186.60 लाख व्यय हुआ ।

राख निस्तारण हेतु बांधों के निर्माण के लिये उपयुक्त स्थानों का निर्धारण राज्य विद्युत परिषद् के सलाहकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली, परिषद् की तापीय परिकल्पना एवं अभियन्त्रण इकाई, लखनऊ तथा परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा सर्वेक्षण करने के उपरान्त निश्चित किया गया था । चूंकि बांधों का निर्माण उपयुक्तता के आधार पर चयनित स्थानों पर ही कराया गया, इन बांधों को किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर कम लागत पर निर्मित किये जा सकने की संभावनाओं अथवा परिषद् को होने वाली संभावित वित्तीय क्षति का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन की मीटर रीडिंग न लिये जाने एवं किताब में गलत डेगराइन किये जाने की शिकायतें

61-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय आदेश संख्या 8763-एन0जी0/एस0ई0बी0-75(4)37 ए/1975, दिनांक 1-9-75 एवं सर्कुलर सं0 3070/एच0सी0सी0/आई0बी0एम-3, दिनांक 26-8-83 के अनुसार लेसू लखनऊ के अधीन आवेशासी अभियन्ता (वा0) द्वारा नये कनेक्शन के

पश्चात् उपभोक्ता का एग्रीमेंट एवं पत्रावली डिवीजनल एकाउन्टेंट (रेवेन्यू) को न सौंप कर पिछले लगभग 15 वर्षों से मीटर रीडिंग एवं मीटर चेन्जर को सौंपी जाती है और वहीं उपभोक्ताओं के बिलिंग भी करवाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लेसू लखनऊ में हजारों उपभोक्ता कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट सं0 8 के अनुसार ऐसे हैं जिनकी अनेक वर्षों से रीडिंग नहीं ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या इसका कारण उन उपभोक्ताओं का गलत किताब में लेजराइज किया जाना एवं उनकी मीटर शीटें न लगाना है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित कार्यालयों/निवासों पर लगे टेलीफोन पर हुये व्यय का विवरण

62-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित कार्यालयों/निवासों पर लगे टेलीफोन पर पिछले तीन वर्षों 1991-92, 92-93 एवं 93-94 में टेलीफोन व्यय क्या रहा है ? क्या परिषद् द्वारा टेलीफोन पर होने वाले व्यय के लिये कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? कितने ऐसे अधिकारी दोषी पाये गये हैं, जिन्होंने उक्त नीति का उल्लंघन किया है ? इनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अवर वर्ग सहायक तथा प्रवर वर्ग सहायक को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने निम्नतम् पद की जानकारी एवं अन्य विवरण

63-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय कर्मचारियों तथा जूनियर एसिस्टेन्ट अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने के लिये कौन-कौन से निम्नतम् पद (इन्डक्शन प्वाइन्ट) निर्धारित किये गये हैं ? क्या एक ही संवर्ग में अनेक निम्नतम् पद (इन्डक्शन प्वाइंट) होते हैं ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ? उक्त कर्मचारियों के पदानुसार कार्य की प्रकृति, योग्यता, पद स्तर एवं दायित्व क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत, मुख्यालय कर्मचारियो तथा अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने हेतु भर्ती का

निम्नतम् पद (इंडेक्शन प्वाइंट) केवल अवर वर्ग सहायक निर्धारित है परन्तु यह व्यवस्था उन प्रवर वर्ग सहायकों के सदर्भ में प्रयोज्य नहीं है जिनकी नियुक्ति प्रवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा 1-12-87 से पूर्व हुई है क्योंकि उसी तिथि के पूर्व तत्कालीन परिषदीय नियमों के अधीन प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर सीधी भर्ती का भी प्रावधान था। अत: तद्नुसार नियुक्त कार्मिकों का भर्ती का पद (इंडेक्शन प्वाइन्ट) प्रवर वर्ग सहायक माना गया है। जूनियर असिस्टेंट का पद समयबद्ध वेतनमान की योजना लागू होने की तिथि के बाद (मई, 1988) में सृजित हुआ था। चूंकि इस पद पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की गई थी एवं इस पद का वेतनक्रम अवर वर्ग सहायक पद के वेतनक्रम से कम है। अत: समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता हेतु नियमानुसार जूनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त कर्मचारियों का इन्डेक्शन प्वाइंट जूनियर असिस्टेंट है। एक ही संवर्ग के अनेक निम्न पद (इंडेक्शन प्वाइंट) होने के कारण संबोधित सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त का प्रावधान का होना है।

जूनियर असिस्टेंट के पदों का सृजन परिषद् में बढ़ते हुये कार्यभार एवं दायित्वों को ध्यान में रखते हुये इस आशय से किया गया था कि इस पद पर नियुक्त कर्मचारी मुख्यत: टंकण कार्य करेंगे एवं अवर वर्ग सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को और अधिक दायित्व सौंपे जायेंगे। परिषद् सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों को विचाराधीन सेवा नियमावली में जूनियर असिस्टेंट के सृजित पद पर नियुक्त कर्मचारियों के अवर वर्ग सहायक पद पर प्रोन्नति हेतु 10 प्रतिशत के कोटे का प्राविधान किया गया है।

प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक एवं जूनियर असिस्टेंट के पदों का कार्य एवं दायित्व का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्तमान व्यवस्थानुसार प्रवर वर्ग सहायक पद पर नियुक्तियां सीधी भर्ती से न होकर अवर वर्ग सहायक से प्रोन्नति से की जाती है। अवर वर्ग सहायक पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री के साथ 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना है एवं जूनियर असिस्टेंट पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम योग्यता केवल स्नातक डिग्री है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन एवं उसके विस्तार तथा सुसज्जीकरण पर व्यय धनराशि का विवरण

64-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटेया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार के निर्माण एवं सुसज्जीकरण पर कुल कितना धन व्यय किया गया एवं उनका कुर्सी क्षेत्र क्या है ? उनमें कुल कितने कर्मचारियों तथा अधिकारियों का कार्यालय स्थित है। इन भवनों की मरम्मत/परिचालन पर प्रत्येक वर्ष कुल कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अशोक मार्ग, लखनऊ स्थित शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार के निर्माण एवं सुसज्जीकरण पर कुल 8.57 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है तथा इन दोनों भवनों का सम्मालित कुसी क्षेत्र 4,97,157.04 वर्ग फुट है।

उक्त भवनों में 607 अधिकारी तथा 1896 कर्मचारी कार्यरत हैं।

उक्त भवनों के अनुरक्षण/परिचालन पर पिछले वित्तीय वर्ष 1993-94 में 33.51 लाख रुपये का व्यय हुआ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री के0के0 सिंह, महाप्रबन्धक, केसा, कानपुर पर अनियमित नियुक्तियों का आरोप

65-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री के0के0 सिंह, महाप्रबन्धक, केसा, कानपुर द्वारा अपने कार्यकाल में पावर हाउस बन्द होने के बाद भी श्रमिकों व अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई थीं? यदि हां, तो कब-कब तथा कुल कितनी नियुक्तियां पदवार की गई थीं? क्या इन नियुक्तियों में अनियमिततायें बरती गई थीं? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है? नियुक्त पाये हुये कर्मचारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं? परिषद् की कितनी वित्तीय धनराशि इनके पेंशन आदि में बिना काम किये ही व्यय हो रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के नगवा मोहल्ले के गंगा किनारे प्रस्तावित 'आनन्द कानन' पार्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

66-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में नगवा मुहल्ले में गंगा किनारे एक सुन्दर पार्क बनाकर उसे पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बनाये जाने हेतु जमीन अध्यापित की गई थी? क्या वर्षों बीत जाने के बाद भी कोई कार्य न किये जाने से उक्त जमीन पर प्रस्तावित 'आनन्द कानन' के स्थान पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं? क्या सरकार उक्त प्रस्तावित स्थल पर आनन्द कानन बनाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रस्तावित आनन्द कानन पार्क बनाये जाने की योजना धनाभाव के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है।

वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रि-बोरिंग मरम्मत तथा चालू किये गये हैण्ड पम्पों की संख्या आदि का विवरण

67-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़े हुये हैण्ड पम्पों की संख्या क्या है ? उनमें रि-बोरिंग तथा मरम्मत योग्य कितने हैं ? इस वर्ष भीषण गर्मी में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुये कितने हैण्ड पम्पों की किन स्थानों पर रि-बोरिंग की गई और अन्य मरम्मत की गई ? उपरोक्त कार्यों हेतु शासन द्वारा जल संस्थान को इस वर्ष कितना धन उपलब्ध कराया गया ? क्या इस वर्ष पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु विशेष धन शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो उक्त धन से किन स्थानों पर कौन से कार्य कराये गये ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

वर्तमान में खराब हैण्ड पम्पों की संख्या 13 है । रि-बोरिंग 13 अदद, मरम्मत योग्य शून्य, रिबोरिंग-8 अदद, विशेष प्रयास से चालू किये गये-15 अदद, मरम्मत की गई 111 अदद (स्थानों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।)

कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई ।

जी हां, रुपया 27.70 लाख जल निगम को उपलब्ध कराया गया ।

विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

वाराणसी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

68-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या सरकार प्रमुख तीर्थ स्थलों, काशी नगरी के घाटों, सड़कों तथा सारनाथ स्थित बौद्ध विहार को सुन्दर स्वच्छ बनाये जाने व एक अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कोई उपाय करेगी ? क्या सरकार स्वच्छता लाने की दिशा में प्रमुख चौराहा गोदौलिया स्थित कूड़ा खाने को आवेलम्ब अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना बनाकर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

प्रमुख चार तीर्थ स्थलों, जिनमें वाराणसी भी सम्मिलित है, को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना चलाई जा रही है जो वर्ष 92-93 से प्रारम्भ की गई थी । उक्त योजना का कार्यान्वयन, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा पर्यटन विभाग नोडल विभाग है ।

स्वच्छता बनाये रखने के लिये गोदौलिया स्थित कूड़ेखाने से नगर निगम द्वारा प्रतिदिन कूड़ा उठाया जाता है तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। शहर की स्वच्छता के लिये ही उक्त स्थान पर कूड़ा घर है। अतः प्रश्नगत कूड़ेखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरणों के लिये उनकी योजनाओं में किसी भूमि पर अनुमन्य निर्माण एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग

69-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों के लिये किसी योजना में कुल भूमि के कितने भाग पर निर्माण अनुमन्य है ? कितनी भूमि सार्वजानिक उपयोग के लिये छोड़ना आवश्यक है ? क्या यह सही है कि भूमि की कीमत निर्धारित करते समय उस भूमि की कीमत व विकास लागत भी जोड़ ली जाती है, जो सार्वजानिक उपयोग के लिये छोड़ दी गयी है ? क्या सार्वजानिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि उक्त उद्देश्यों के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विकास प्राधिकरणों के लिये उनकी योजनाओं में सामान्यतः कुल भूमि के 60 से 65 % भाग पर निर्माण अनुमन्य है। 35 से 40 % भाग सार्वजानिक उपयोग के लिये छोड़ी जाती है।

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि सार्वजानिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने पर आवासीय भूखण्डों के मूल्य में अनुपातिक वृद्धि हो जायेगी।

सिटी बोर्ड, गाजियाबाद के वाटर उपभोक्ताओं से जल उपयोग के आधार पर जलकर लिया जाना तथा जलकर मूल्य के बराबर जल आपूर्ति किया जाना

70-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी बोर्ड, गाजियाबाद ने नागरिकों को जलकर के अतिरिक्त जल उपभोग की कीमत को अदा करने के मांग पत्र भेजे हैं ? क्या पानी के उपभोग के लिये उपभोक्ताओं के यहां वाटर मीटर लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो मांग के निर्धारण का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि सिटी बोर्ड, गाजियाबाद सेन्ट्रल वैल्यू का 10 प्रतिशत जलकर वसूलता है ? यदि हां, तो कितना जल उक्त जलकर में निःशुल्क आपूर्ति किया जाता है ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां।

जी हां।

खराब वाटर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं से औसत जल उपभोग के आधार पर जल मूल्य लिया जाता है।

जी हां। (सेन्ट्रल वैल्यू नहीं बल्कि रेन्टल वैल्यू है।)

जलकर के मूल्य के बराबर जल निःशुल्क आपूर्ति किया जाता है।

गाजियाबाद में जलापूर्ति हेतु नलकूपों की स्थिति एवं आबादी को देखते हुये जलापूर्ति में और सुधार की मांग

71-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गाजियाबाद में जल आपूर्ति हेतु केवल 93 नलकूप हैं ? क्या उनमें से 10 प्रतिशत नलकूप मरम्मत में रहते हैं तथा 30 नलकूप अपनी क्षमता के 30 से 40 प्रतिशत ही पानी दे पा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि 26 पानी टंकियां हैं जिनकी स्टोरेज क्षमता 17,225 किली0 है ? क्या यह सही नहीं है कि जल निगम के मानक के अनुसार सिटी बोर्ड की वर्तमान क्षमता 1.87 प्रतिशत लोगों को जल उपलब्ध करा सकने की है ? गाजियाबाद की लगभग 7 लाख की आबादी को पानी उपलब्ध कराने की क्या योजना है ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

गाजियाबाद नगर परिषद् क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु 99 नलकूप हैं। उक्त में से औसतन 10 प्रतिशत नलकूप पम्पिंग प्लान्टों की मरम्मत कार्य हेतु बन्द रहते हैं तथा 29 नलकूप जो काफी पुराने हैं अपनी क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत पानी दे पा रहे हैं।

जी नहीं। नगर परिषद् क्षेत्र में कुल 25 पानी की टंकियां हैं जिनकी स्टोरेज क्षमता 17,000 किली0 है। जी नहीं।

जल निगम के मानक के अनुसार सिटी बोर्ड (नगर निगम) की वर्तमान क्षमता 56 प्रतिशत जल उपलब्ध करा सकने की है। जलापूर्ति में और सुधार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

वर्ष 1992-93 एवं वर्ष 1993-94 में निरस्त किये गये उ0प्र0 विद्युत परिषद् के अवर अभियन्ताओं की स्थानान्तरण सूची एवं अन्य विवरण

72-श्री तीरथराज, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0सं0 100 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में जो स्थानान्तरण निरस्त किये उन अवर अभियन्ताओं के नाम, तैनाती स्थान क्या है ? इसके लिये कौन-कौन क्षेत्रीय अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने पदधारिता में त्रुटि आदि दिखाई थी ? मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत) के अनुभाग, 1, 2 3 व 4 में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत

हैं ? इनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण पारेसर से बाहर लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में जो स्थानान्तरण निरस्त किये गये उन अवर अभियन्ताओं के नाम व तैनाती स्थान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

जिन क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त पदधारेत में त्रुटि पाई गई उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। केवल एक कर्मचारी श्री आर0के0 त्रिपाठी वरिष्ठ पाण्डुलेपिक, अनुभाग-2 में दिनांक 25-7-84 से कार्य कर रहे हैं। यह अति महत्वपूर्ण विधि प्रकरण देख रहे हैं अतः अभी इन्हें परिषद् हित में स्थानान्तरण करना उचित नहीं पाया गया।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत कर्मियों की हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान पर भविष्य में व्यय होने वाली धनराशि एवं प्रभावित कर्मचारियों की संख्या आदि का विवरण

73-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत फरवरी, 1992 की विद्युत कर्मियों की 24 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने पर कितनी धनराशि व्यय होगी ? इससे कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

रु0 12,83,24,872.66 (बारह करोड़ तिरासी लाख चौबिस हजार आठ सौ बहत्तर रुपये तथा छाछठ पैसे) की धनराशि व्यय होगी।

56766 कर्मचारी प्रभावित होंगे।

देवरिया नगर में गोरखपुर रोड पर नाले के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धन में से व्यय किये गये धन का विवरण

74-श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया नगर में गोरखपुर रोड पर पूर्व मुख्य मंत्री स्व0 वीर बहादुर सिंह ने नाले के निर्माण हेतु जल निगम दशम् शाखा गोरखपुर को धनराशि प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त नाले का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कितना धन निर्माण कार्यों पर खर्च हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करके दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां। जल निगम को 25.00 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध धनराशि में से गोरखपुर रोड पर 70 मीटर नाले का निर्माण हुआ है।

निर्माण कार्य पर 20.58 लाख रुपये (रु0 4.00 लाख के दायित्वों को सम्मिलित करते हुये) व्यय हुआ।

देवारेया जल निकासी योजना प्रथम चरण के भाग-I का प्राक्कलन रु0 59.83 लाख का विरचित किया गया है । निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा । इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर, अलीगढ़ में अवर अभियन्ता एवं टेलीफोन मैकेनिक को फर्जी भुगतान करने का दोषी पाया जाना

75-श्री वासुदेव सिंह, श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी में वर्ष 1990 से 1993 के बीच 744 टेलीफोन बिलों का लगभग 30 लाख रुपये अतिरिक्त फर्जी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उसकी भरपाई के लिये परिषद् द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या वर्ष 1990 के पूर्व 1993 के बाद भी फर्जी भुगतान किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, जनवरी, 1989 से अक्टूबर, 1993 के मध्य हरदुआगंज तापीय परियोजना द्वारा टेलीफोन/टेलेक्स बिलों का लगभग 22.70 लाख रुपये का अतिरिक्त फर्जी भुगतान दूरसंचार विभाग को किया गया है । प्रारम्भिक जांच से श्री पी0आर0 घोरले, अवर अभियन्ता एवं श्री सुशील कुमार, टेलीफोन मैकेनिक ही इस अतिरिक्त फर्जी भुगतान हेतु मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं । परियोजना के अधिकारियों के द्वारा जिला अभियन्ता, दूरसंचार विभाग, अलीगढ़ को परियोजना द्वारा अतिरिक्त भुगतान की गई धनराशि का क्लेम दिनांक 9-11-93 को ही प्रस्तुत किया जा चुका है । परिषद् द्वारा भुगतान की गई सभी चेक/ड्राफ्ट लेखा अधिकारी दूर संचार विभाग के नाम से बनवाये गये थे तथा उनके खाते में जमा हैं परन्तु उनकी लेखा पुस्तिका में इन्हें निजी टेलीफोन उपभोक्ताओं एवं पी0सी0ओ0 धारकों के विरुद्ध जमा दर्शाया गया है । अतः परिषद् के अलीगढ़ स्थित अधिवक्ता की सलाह पर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में दूरसंचार विभाग के विरुद्ध वाद दायर किये गये हैं । वर्ष 1990 के पूर्व फर्जी भुगतान किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु दिनांक 1-1-89 से पूर्व भुगतान किये गये सभी टेलीफोन बिलों की जांच विशेष सम्प्रेक्षा से कराई जा रही है । परियोजना द्वारा 1993 के बाद इस मामले में फर्जी भुगतान की कोई सम्भावना नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में वर्तमान में कोल मिल रीजेक्ट मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बेचा जाना

76-श्री बासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में कोल मिल रीजेक्ट 45.00 रुपये

प्रति टन पर बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो यह दर, एन0टी0पी0सी0 तथा अनपरा तापगृह में आमंत्रित वर्तमान निविदा के दर से कितना कम है ? इससे परिषद् को कुल कितनी वित्तीय क्षति पहुंची है ? इस क्षति के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम व तैनाती स्थान क्या है ? शासन द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस क्षति पूर्ति के लिये परिषद् के पास क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6-4-93 के अनुपालन में वर्ष 1989-90 में किये गये अनुबन्ध के अन्तर्गत कोल मिल रिजेक्ट रु0 45.00 प्रतिटन की दर से बेचा जा रहा है । तत्समय एल0टी0पी0सी0 के शक्तिनगर विद्युत गृह में मिल रिजेक्ट बेचने की दर रु0 65.00 प्रति टन थी। अनपरा परियोजना पर वर्ष 1993 में आमंत्रित निविदा दर रु0 301.00 प्रतिटन है एवं एन0टी0पी0सी0 शक्तिनगर में रु0 120.00 प्रति टन की दर पर कोल मिल रिजेक्ट खुली बिक्री के अन्तर्गत बेचा जा रहा है ।

वर्ष 1989-90 के लिये लागू दर रु0 45.00 प्रतिटन उस समय के फ्रेश कोयल के ग्रेड ई, एफ एवं जी जो एन0सी0एल0 द्वारा अनपरा परियोजना को आपूर्ति किया जा रहा था, को दृष्टिगत रखते हुये उचित थी। वर्तमान में कोल मिल रिजेक्ट पूर्व अनुबन्ध के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बेचा जा रहा है। अतः परिषद् को हुई क्षति होने की गणना न्याय संगत नहीं है तथा इसके लिये किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अर्बीट्रेशन के 18 मामलों पर निर्णय

77-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में वर्ष 1990 से 1993 के मध्य अब तक कुल कितने अर्बीट्रेशन के मामलों पर निर्णय हो चुके हैं ? उसके अन्तर्गत परिषद् के विरुद्ध कितने-कितने रुपये के दावे स्वीकार किये गये ? इनसे परिषद् को कुल कितने रुपये की क्षति पहुंची है ? दावा स्वीकार करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम व तैनाती स्थान क्या हैं ? क्या मंत्री जी समस्त पंचनिर्णय की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत अवधि के कुल 18 आर्बीट्रेशन के मामलों पर निर्णय हुआ है ।

विवरण संलग्न है । परिषद् को कोई क्षति नहीं हुई । विधिक दृष्टि से मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंच फैसला न्यायिक आदेश होता है ।

पंचाट स्वीकार करने वाले मध्यस्थ (अधिकारियों) का विवरण भी संलग्नक में उल्लेखित है । इन मध्यस्थों में केवल श्री लक्ष्मी बिहारी जिला जज मिर्जापुर तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ में सेवारत हैं तथा एक अन्य मध्यस्थ श्री जे0पी0 पाठक, सिविल कोर्ट अलीगढ़ में अधिवक्ता हैं । शेष सभी सेवा निवृत्त अधिकारी हैं ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' पीछे पृष्ठ 137-141 पर)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में पाइप लाइनों द्वारा पूर्णरूप से जलापूर्ति हेतु निर्मित भण्डार के क्षेत्रफल तथा आयतन का विवरण

78-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में कुल कितने क्षेत्रफल तथा आयतन के भण्डार बनवाये गये तथा उनकी लागत क्या है ? उनके चारो तरफ जलापूर्ति हेतु डलवाई गई पाइप लाइनों की लागत क्या है ? क्या यह सच है कि जलापूर्ति हेतु डाली गई पाइप लाइन पूर्णरूपेण निरर्थक है ? यदि हां, तो इससे परिषद् को कुल कितनी वित्तीय क्षति हुई ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अनपरा तापीय परियोजना में कुल 24,768 वर्गमीटर क्षेत्रफल तथा 2,31,422.50 घनमीटर आयतन के भण्डार बनवाये गये हैं, जिनकी कुल लागत 119.14 लाख रुपये है ।

भण्डार के चारों तरफ जलापूर्ति हेतु डलवाई गई पाइप लाइनों की लागत रुपये 1,92,337.01 है ।

जी नहीं । उक्त जलापूर्ति की पाइप लाइनें पूर्ण रूप से उपयोग में आ रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पडौरा खुर्द, पोस्ट भैरमपुर, विकास खण्ड बछरावां, जिला रायबरेली में विद्युतीकरण की मांग

79-श्री राजाराम त्यागी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पडौरा खुर्द, पोस्ट भैरमपुर, विकास खण्ड बछरावां, जिला रायबरेली में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु खम्भे किस माह एवं वर्ष में गाड़े गये थे ? क्या अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? इस उपेक्षा के लिये जिम्मेदार आधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ग्राम पड़ोरा खुर्द का विद्युतीकरण का कार्य एल0टी0 मेन्स द्वारा मार्च, 1977 में प्रारम्भ किया गया था, तथा 11 के0वी0 लाइन व 11/4 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूरा करने के लिये साथ-साथ एल0टी0 लाइन में खम्भे भी खड़े कर दिये गये थे।

जी नहीं।

अवशेष कार्यों के लिये भण्डार सामग्री उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में कार्य पूरा नहीं किया जा सका जिसके मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव तथा उक्त ग्राम का जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा बाद के वर्षों में चयन न किया जाना रहे हैं। अतः अवशेष कार्य पूरा न करने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

वाराणसी नगर में पेयजलापूर्ति के संकट को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की प्रश्नकर्ता द्वारा मांग

80-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में पेयजलापूर्ति हेतु कहां-कहां जोनल पम्पिंग स्टेशन तथा पम्प हाउस हैं-? क्या सभी स्थानों पर स्थित बूस्टर तथा लगे हुये मोटर ठीक हैं ? क्या नलकूप आदि की क्षमता में गिरावट के कारण जलापूर्ति प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त सभी खराबियों को दूर करने में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर पेयजल जलापूर्ति संकट को दूर करने हेतु सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

वाराणसी नगर में पेयजल आपूर्ति हेतु 4 जोनल पम्पिंग स्टेशन क्रमशः बीनेयाबाग, मैदागिन, गोपालबाग व राजघाट पर स्थापित है तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 76 पम्प हाउस स्थापित हैं। जिसकी सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

कुछ नलकूपों के जल स्राव में कमी आने के कारण अभावग्रस्त क्षेत्र हेतु अनुदान से गोपालबाग व मैदागिन में नलकूप निर्मित कर चालू कर दिये गये हैं, तथा छित्तूपुर, नेहरू पार्क, पीली कोठी, बड़ी बाजार, राजघाट व सारनाथ में नलकूपों का निर्माण कार्य चल रहा है और मिन्ट हाउस, बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, बीनेयाबाग व लालपुर में पुराने नलकूप के स्थान पर नये नलकूप बोर कर दिये गये हैं। इन सभी नलकूपों के आगामी ग्रीष्म ऋतु में पूर्ण रूप से चालू होने की आशा की जाती है।

वाराणसी नगर की विभिन्न विभागों द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करने की मांग

81-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर की कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो टेलीफोन विभाग, विद्युत विभाग द्वारा तार बिछाये जाने तथा गंगा कार्य योजना के तहत सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गयी परन्तु कार्य पूर्ण हो जाने के कई माह बीत जाने के बाद भी संबोधित निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण न कराये जाने से रोड एक्सिडेन्ट होते रहते हैं और जनता को घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ? क्या उक्त सड़कों को खोदने के पहले संबोधित विभागों से नियमानुसार रोड ओपनिंग चार्जेज जमा करा लिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

टेलीफोन विभाग द्वारा मुख्य 7 सड़कें तथा विद्युत विभाग द्वारा मुख्य 5 सड़कें खोदी गई हैं, जिनकी सूची संलग्न है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराकर यातायात चालू कर दिया गया है।

गंगा प्रदूषण विभाग द्वारा नगर निगम की कोई सड़क नहीं खोदी गई है।

टेलीफोन विभाग को रोड कटिंग चार्जेज जमा कराने हेतु बिल भेजे गये हैं जिसके विरुद्ध अब तक रु0 4,21,517.00 प्राप्त हुआ है।

उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 142 पर)

82-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

(पहले सोम में अता0 प्र0 सं0 115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सिसवां बाजार जनपद महराजगंज से जनपद देवरिया के ग्राम रामपुर गोनहा आदि ग्रामों तक खींची गयी विद्युत लाइनों के खम्भों/तारों की चोरी

83-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सिसवां बाजार, जनपद महराजगंज से जनपद देवरिया के ग्राम रामपुर गोनहा, विशुनपुरा टोला इकडग्गी तक 11 हजार वोल्ट की लाइन विद्युतीकरण के लिये लोहे के रेल लाइन गाड़ कर तार खींची गई थी ? क्या उक्त विद्युत लाइन के खम्भे/तार 10 कि0मी0 तक के गायब हो गये हैं जिसकी प्राथमिकी भी आज तक दर्ज नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0 1590/मी0ए0/रा0 नवे0 प0/91 (कम्प्यूअर सं0 532) दिनांक 26 अगस्त, 1991 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिये लिखा था ? यदि हां, तो आज तक उक्त

कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर क्षेत्र समिति निचलौल जनपद महराजगंज की सीमान्तर्गत अवैध निर्माण की जानकारी

84-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर क्षेत्र समिति निचलौल, जनपद महराजगंज की सीमा अन्तर्गत टाउन एरिया की सड़क श्रेणी 6 वर्ग (2) एकड़ 53 डिसमिल है ? क्या यह सही है कि रकबा नम्बर 1440, जो टाउन एरिया की सम्पत्ति है, को टाउन एरिया द्वारा विभिन्न लोगों के नाम भवन निर्माण हेतु देकर नक्शा स्वीकृत कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि इसी के आधार पर टाउन एरिया सड़क पर अवैध भवन निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी हो रहे उक्त अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमेश कुमार, श्रीमती सावित्री देवी श्री चन्द्रभान, श्री सुरेश मणि, श्री ओम प्रकाश, निवासी नगर पंचायत निचलौल द्वारा गलत खतौनी प्रस्तुत कर कमेटी के कार्यकाल में चेयरमैन द्वारा क्रमशः दिनांक 9-6-93, 10-6-92, 1-6-92 तथा 19-6-92 को नक्शा स्वीकृत किया गया था । कमेटी के भंग होने के पश्चात् प्रशासनिक कार्यकाल में इनकी शिकायतें प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी/परगना अधिकारी, निचलौल द्वारा जांच करने पर यह पाया गया, कि उपरोक्त लोगों का नक्शा इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये खतौनी के अनुसार न होकर सड़क की भूमि में बढ़ाकर नक्शा स्वीकृत कराया गया है तथा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसे प्रभारी अधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा रमेश कुमार का नक्शा दिनांक 15-4-94 व सावित्री देवी का नक्शा दिनांक 12-4-94 को व श्री चन्द्रभान, श्री सुरेश मणि, श्री ओम प्रकाश का नक्शा दिनांक 15-4-94 को निरस्त कर दिया गया है । प्रभारी अधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु दिनांक 15-4-94 को उक्त व्यक्तियों को नोटिस दी गई थी । इन लोगों द्वारा अनुपालन न किये जाने की दशा में कानूनी तौर पर कार्यवाही कठोरता से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के निचलौल में डिपो कार्यशाला के अन्तर्गत अधूरे निर्माण कार्य एवं बसों के रोड की मरम्मत के कार्य को पूर्ण कराने की मांग

85-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के निचलौल नव गठित राजकीय बस डिपो में ठहरने वालों के लिये तथा बसों के शेड मरम्मत

हेतु स्टोर बाक्स तथा बसों के ठहराव के लिये प्लेटफार्म निर्माण के लिये 1991-92 में ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध भरे गये थे ? क्या समय के अन्दर उपरोक्त निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं कराया गया है ? क्या जो निर्माण कार्य कराया गया है, उसकी दीवालें फटी हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ठेकेदार के ऊपर समय से निर्माण कार्य पूरा न करने पर अर्थदण्ड लगाने, खराब निर्माण कार्य की जांच कराने एवं तत्काल उपरोक्त अधूरे निर्माण कार्य के पूरा कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जनपद महराजगंज के निचलौल में डिपो कार्यशाला के अन्तर्गत बसों के शेड की मरम्मत एवं स्टोर ब्लाक के निर्माण कार्य का ठेका 1992-93 में दिया गया। अनुबन्ध की कार्यवाही 30-10-92 को निष्पादित की गयी।

निर्माण कार्य 16 जुलाई, 1993 तक पूर्ण कराये जाने थे। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ठेकेदार को समय से भुगतान न करने के फलस्वरूप कार्य समय से पूरा नहीं कराया जा सका।

जी नहीं।

निर्माण कार्य समय से पूरा न करने के लिये ठेकेदार दोषी नहीं है। निर्माण कार्य संतोषजनक है। अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ग्राम आमूतलाब में विद्युतीकरण की मांग

86-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आमूतलाब, महराजगंज में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पोल खड़े कर दिये गये हैं ? क्या तार एवं ट्रान्सफार्मर ग्राम आमूतलाब में रख दिये गये हैं ? क्या वर्ष 91 से आज तक खड़े किये गये पोलों पर तार खींचने की कार्यवाही नहीं की गई जिससे ग्राम सभा में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में विद्युतीकरण के लिये पोल खड़े किये गये थे ? उक्त ग्राम का आज तक विद्युतीकरण न कराने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत पोल एक निजी नलकूप का कनेक्शन दिये जाने के लिये खड़े किये गये थे, परन्तु विवाद खड़ा हो जाने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।

ग्राम आमूतलाब में विद्युतीकरण का पूर्व में किसी स्वीकृत योजना में प्रावधान न होने के कारण इस ग्राम का विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया जा सका।

वाराणसी नगर में बरसाती पानी के शीघ्र निकास की व्यवस्था करने की मांग

87-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या सरकार को जानकारी है कि गंगा कार्य योजना इकाई द्वारा वाराणसी में स्थित सभी पुराने ड्रेनों को बन्द कर उनके स्थान पर कम क्षमता के सीवर लाइन बिछाये जाने से बरसाती पानी का निकास धीमी गति से हो रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप सड़कों से पानी आस-पास के मकानों दुकानों में प्रवेश करने से लोगों को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है ? क्या सरकार उक्त कार्यों का तकनीकी विशेष से जांच कराकर बरसाती पानी के जल्दी निकास के उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

पुराने ड्रेनों को बन्द करने का कथन सत्य नहीं है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत ड्रेनों से बहने वाले सीवरेज को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिये गंगा नदी के किनारे इनको घाट सीवरेज पाम्पिंग स्टेशनों पर मात्र इन्टर सेप्ट किये जाने और बरसाती पानी की निकासी के लिये बाई पास व्यवस्था होने के फलस्वरूप वर्षा के पानी को कोई अवरोध नहीं होता है।

अधिक वर्षा के समय शहर के कुछ भागों से जल भराव की समस्या का समुचित निराकरण नगर निगम द्वारा यथा समय कर दिया जाता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में पर्यटन महत्व को देखते हुये विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु शासन से विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग

88-श्री रमेश कान्त लवानिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के पर्यटन महत्व को देखते हुये विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिये ट्रान्सफार्मर आदि उपकरण खरीदने हेतु शासन सन् 1994-95 में कोई विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता की स्थिति में आगरा नगर की विद्युत आपूर्ति में वृहत सुधार हेतु वर्तमान में कोई चरणवद्ध योजना स्वीकृत नहीं है। अपितु अति आवश्यक सुधार कार्यों को कार्यान्वित कराने हेतु विद्युत परिषद् द्वारा आन्तरिक संसाधनों से 85.6 लाख रुपये की लागत के कार्यों के लिये वित्तीय संसाधन वर्ष 1994-95 में अब तक उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थान आगरा को निरन्तर व सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना

89-श्री रमेश कान्त लवानियां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान, आगरा को निरन्तर व सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये वहां विद्युत सब स्टेशन बनाने के लिये शासन कोई आर्थिक सहायता देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

आगरा जलसंस्थान को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराने के निमित्त स्वतंत्र फीडर लगाने हेतु रुपये 8.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । नियमानुसार इसके अतिरिक्त और धनराशि यथासमय यथा आवश्यकता उपलब्ध कराई जा रही है ।

90-श्री रमेश कान्त लवानियां-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् कर्मचारियों के नियमितीकरण, प्रोन्नति तथा वरिष्ठता निर्धारण आदि तय करने की मांग

91-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कर्मचारियों के नियमितीकरण, प्रोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण आदि से संबंधित किन-किन न्यायालयों में कुल कितने मुकदमें किन-किन कर्मचारियों के चल रहे हैं, उनके नाम पदनाम क्या हैं ? क्या मंत्री जी इन मुकदमों के जल्दी निपटाने/आपसी विचार विमर्श द्वारा न्यायालय से बाहर तय कराने का प्रयास करेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में उ0प्र0 राज्य विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक 53, दिनांक 18-6-92, पत्रांक 520, दिनांक 13-7-92 व पत्रांक 1993, दिनांक 19-9-91, पत्रांक 2612, दिनांक 26-12-91, पत्रांक 56, दिनांक 28-7-92 तथा पत्रांक 232, दिनांक 11-9-91 व पत्रांक 270, दिनांक 25-2-93 पत्रांक 112, दिनांक 11-2-92 मुख्य मंत्री जी व अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के गोरखपुर विद्युत वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत शिकायत दर्ज करने एवं निस्तारण करने संबंधी केन्द्रों की संख्या आदि का विवरण

92-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत

गोरखपुर वितरण क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी शिकायतों को दर्ज करने एवं उनके निराकरण करने हेतु जनपदवार शिकायत केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं ? उन पर वर्ष 1990 से जून, 1994 के मध्य कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं ? क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइनों के खम्भे गिरने, कन्डक्टर के टूट जाने ट्रान्सफार्मर के जल जाने की घटनायें आये दिन हुआ करती हैं एवं इन शिकायतों को दर्ज करने तथा निराकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ? क्या सरकार द्वारा शिकायत दर्ज करने एवं दूर करने की व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गोरखपुर विद्युत वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, पडरौना, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ एवं मऊ जनपद आते हैं । इन जनपदों में जनपदवार शिकायत केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है । विद्युत संबंधी शिकायतों को दर्ज करने एवं उनके निराकरण हेतु जनपदवार शिकायत केन्द्रों का विवरण संलग्न है :- +

क्र0सं0	जनपद का नाम	शिकायत केन्द्रों की संख्या	वर्ष 90 से जून, 94 तक दर्ज शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
1	गोरखपुर-		
	(अ) ग्रामीण क्षेत्र	21	1,54,886
	(ब) शहरी क्षेत्र	20	3,05,879
2	महराजगंज	15	35,315
3	देवरिया	13	75,823
4	पडरौना	13	53,800
5	बस्ती	28	2,84,772
6	सिद्धार्थनगर	6	17,402
7	आजमगढ़	32	1,56,038
8	मऊ	34	1,81,882

जी नहीं ।

खम्भे गिरने, ट्रान्सफार्मर जलने आदि की घटनायें कभी-कभी होती हैं । उनकी शिकायत दर्ज करके ठीक करने की पूर्ण व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जैसा कि संकेत किया गया यह व्यवस्था पूर्व से ही लागू है ।

+ छापी नहीं गई ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अधीन गाजियाबाद में विद्युत परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति की जानकारी

93-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-3-94 जो कि मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित था और जिसमें गाजियाबाद में विद्युत उपभोक्ताओं से साँठ गाँठ करके विद्युत परिषद् को प्रत्येक माह करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने का उल्लेख था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़, इलाहाबाद एवं जौनपुर के अन्तर्गत वितरण खण्डों से किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में दी गई जानकारी

94-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़, इलाहाबाद, देवरिया, जौनपुर के अन्तर्गत विभिन्न वितरण खण्डों में 10 से 20 वर्षों या उससे अधिक समय से विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी एक ही स्थान सीट, खण्ड जनपद अथवा जोन में तैनात हैं ? क्या इससे जनहित/सार्वजनिक हित का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से अब तक किन-किन श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये ? उनमें से कितने को कार्यमुक्त किया गया ? कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने आदेशों का अनुपालन नहीं किया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषदीय आदेश सं0 2092, दिनांक 15-4-80 के अनुसार इसमें अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, किन्तु बीस वर्षों से अधिक समय का कोई कर्मचारी एक सीट/स्थान पर कार्यरत नहीं है।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों से जनहित प्रभावित होने की सम्भावना होती है उन्हें समय-समय पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। वर्ष 1990-94 के मध्य जनपद इलाहाबाद के कुल 454 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये। इनमें से जनपद जौनपुर के 22 तथा जनपद आजमगढ़ के 19 कर्मचारियों को विभिन्न स्थानीय कारणों से कार्यमुक्त नहीं किया गया है। शेष स्थानान्तरित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया है।

कोई अनियमितता नहीं बरती गई । अतः किसी के जिम्मेदार होने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में विद्युत मीटरों में खराबी

95-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में विद्युत राजस्व के लेखा जोखा हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र से निकलने वाली फीडरों के नक्शे तथा उन पर कनेक्टेड लोड का विवरण बनाया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार के नक्शे किस कार्यालय के देखरेख में रहते हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनका उपयोग विद्युत खपत तथा राजस्व का लेखा जोखा बनाने में कैसे किया जाता है ? क्या यह सत्य है कि उप केन्द्रों से निकलने वाली फीडरों पर लगी हुई विद्युत मीटरें अक्सर खराब कर दी जाती हैं, जिसके कारण प्रत्येक फीडर पर हो रही वास्तविक खपत एवं राजस्व की वसूली में कोई समन्वय नहीं रहता है ? यदि हां, तो मीटरों को जानबूझकर खराब रखने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

यह नक्शे खण्ड/उपखण्ड कार्यालय की देखरेख में रहते हैं ।

उनका उपयोग विद्युत खपत तथा राजस्व का लेखा-जोखा बनाने में नहीं किया जाता है ।

जी नहीं । उपकेन्द्रों से निकलने वाली फीडरों पर लगी हुई विद्युत मीटरें खराब नहीं की जाती हैं, परन्तु कभी-कभी तकनीकी दोष के कारण बन्द हो जाती हैं, जिसे बाद में ठीक कर लिया जाता है । यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है ।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मीटर तकनीकी दोष के कारण बन्द हो जाते हैं जिसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ/गेसू गोरखपुर एवं विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, द्वितीय, देवरिया में धांधली

96-श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ/गेसू गोरखपुर एवं विद्युत वितरण खण्ड प्रथम द्वितीय देवरिया में नये उपभोक्ताओं का इन्दराज (लेजराइजेशन) करते समय हजारों उपभोक्ताओं के नाम, कनेक्शन नं0 गलत किताब में दर्ज किये जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के खाते में पर्याप्त धन, बकाया रह जाता है ? यदि हां, तो क्या प्रारूप 03 के द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं की सारी धनराशि कम्प्यूटर को फीड करके समाप्त कर दी जाती है ?

यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक 1-4-90 से खण्डवार (गृपवाइज) कितने उपभोक्ताओं की कितनी धनराशि इस प्रकार समाप्त की गई ? क्या इसका विवरण कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट नं0 03 में छपा है ? क्या इसका आडिट किया गया है ? यदि हां, तो आडिट में कितने धन की कितनी गल्तियां एवं प्रावाष्टयां प्राप्त हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

उपभोक्ताओं द्वारा नये विद्युत कनेक्शन लेते समय पड़ोसी के बिल का संदर्भ लेते हुये कनेक्शन को किताब का नम्बर देकर बिलिंग हेतु लेजराइजेशन के लिये कम्प्यूटर को भेजा जाता है । कभी-कभी किताब का नम्बर गलत नोट हो जाने से लेजराइजेशन भी गलत हो जाता है । ऐसे उपभोक्ताओं के बिल कम्प्यूटर से बिना मीटर रीडिंग के निर्गत हो जाते हैं । गलत संदर्भ होने के कारण ऐसे बिल उपभोक्ताओं को कठिनाई से प्राप्त होते हैं । उपरोक्त विवरण के अनुसार बिल निर्गत होने पर उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर संयोजन का लेजराइजेशन उचित किताब में कर दिया जाता है । उपभोक्ता के ऊपर देय धनराशि को भी लेजराइजेशन के समय नई किताब में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

जी नहीं । गलत किताब/खाते से उचित किताब/खाते में उपभोक्ता द्वारा देय धनराशि को स्थानान्तरित कर दिया जाता है । धनराशि को समाप्त नहीं किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां ।

आडिट द्वारा इस प्रकार की विसंगति प्रकाश में नहीं लाई गई है ।

मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व इलाहाबाद तथा मुख्य अभियन्ता वितरण क्षेत्र वाराणसी के कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण हेतु मुख्य अभियन्ताओं को निर्देश दिया जाना

97-श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, पारेषण पूर्व इलाहाबाद तथा मुख्य अभियन्ता, वितरण, वाराणसी क्षेत्र के अन्तर्गत श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण तथा वरिष्ठता निर्धारण, प्रोन्नति, स्थाईकरण, स्थानान्तरण लम्बित देयों के भुगतान आदि में भेदभाव की नीति बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ उ0प्र0 के प्रदेश मंत्री का पत्रांक 401/402, दिनांक 23-8-92 मंत्री जी व अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? तत्संबंधी बिन्दुवार ब्योरा क्या है ? इसमें बरती गई अनियमितता के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी हां।

संदर्भित पत्र संख्या 401 दिनांक 23-8-92 मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व इलाहाबाद को एवं संख्या 402 दिनांक 23-8-92 मुख्य अभियन्ता, वितरण क्षेत्र वाराणसी को सम्बोधित थे। इन पत्रों में खण्डीय व मण्डल स्तर की इकाइयों से संबोधित कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र निराकरण करने के लिये अनुरोध किया गया था। इसके लिये संबोधित मुख्य अभियन्ताओं को पारेषद् स्तर से उचित निदेश जारी किये गये तथा उन्होंने जो मांगों का निराकरण किया उसका विन्दुवार ब्यौरा अनुलग्नक-1 एवं 2 पर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'छ' पीछे पृष्ठ 143-145 पर)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जी0पी0एफ0 लेखापर्ची शीघ्रातिशीघ्र देने की मांग

98-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जी0पी0एफ0 के अंतर्गत संबोधित लेखा पर्ची कर्मचारियों को दी जा रही है? यदि हां, तो किस वर्ष तक की लेखा पर्ची वितरित की गई है? किन-किन वर्षों की लेखा पर्ची लम्बित है और इसके लम्बित रहने के कारण क्या हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लेखा पर्ची निर्गत न करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? सभी कर्मचारियों की लम्बित लेखा पर्ची कब तक जारी कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 1992-93 की अधिकांश लेखा पर्चियां निर्गत की जा चुकी हैं। वर्ष 1992-93 की लगभग 20 प्रतिशत लेखा पर्चियां निर्गत करने हेतु शेष हैं तथा वर्ष 1993-94 की लेखा पर्चियों के निर्गमन का कार्य प्रगति पर है। लेखा पर्चियां निर्गमन न हो पाने का मुख्य कारण अनुसूचियों की अनुपलब्धता एवं अनुसूचियों के योग और मासिक लेखे के अन्तर का होना है।

इसके लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि लेखा पर्ची निर्गमन का कार्य प्रक्रियात्मक है तथा क्षेत्रीय इकाइयों से सही सूचनायें प्राप्त होने पर निर्भर है। लम्बित लेखा पर्चियों को क्षेत्रीय इकाइयों से सही सूचनायें प्राप्त होने पर अनुसूची के योग और मासिक लेखे में ली गई रकमों के अन्तर का समाधान होने के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र निर्गत कर दिया जायेगा।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अनपरा तापगृह में निर्माण के समय पानी की टंकी की परिकल्पना आदि के संबंध में जानकारी

99-श्री सतीश भाटया, श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापगृह में निर्माण के समय 31 ए0 सी0 ठेके में संबोधित ठेकेदार को पानी की टंकी की परिकल्पना करने का ठेका भी दिया गया था ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार के पास उक्त परिकल्पना करने हेतु परिषद् की तापीय परिकल्पना से अच्छी कोई संस्था थी ? यदि नहीं, तो परिषद के अभियन्ताओं से परिकल्पना न करवाकर ठेकेदार को इस मद में भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अभियन्ता कौन-कौन हैं ? उक्त ठेकेदार की परिकल्पना संस्था क्या थी ? क्या यह सत्य है कि ठेकेदार से विद्युत जनपद अभिकल्प मंडल, लखनऊ में बनाये गये नक्शे को ही प्रतियां संशोधित करके, उसमें अनावश्यक जोड़ केवल इस उद्देश्य से बढ़ा दिये थे कि उसमें भरे जाने वाले सिमेन्ट की दर वास्तविक लागत की 20 गुना अधिक थी ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

ठेकेदार ने अपनी निविदा में मेसर्स कावर एसोशियेट, लखनऊ तथा मेसर्स आल्टल, फरीदाबाद द्वारा परिकल्पना करवाना सूचित किया था तथा यह कहना कि ठेकेदार की परिकल्पना संस्था परिषद् की परिकल्पना संस्था से अच्छी थी या नहीं, सम्भव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेसर्स कावर एसोसियट, लखनऊ एवं मेसर्स आल्टल, फरीदाबाद।

यह सत्य नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता, पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के अधीन कार्यरत समस्त सहायक भण्डारपालों की वरिष्ठता का निर्धारण

100-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, पारेषण पूर्व इलाहाबाद के अधीन सहायक भण्डारपालों के प्रोन्नति/पद परिवर्तन आदि के मामलों में अनियमितता बरती गई है । यदि हां, तो वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जायेगी ? क्या इस संबंध में उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक 717/दिनांक 18-12-93, 716/दिनांक 16-12-93, पत्रांक 314/दिनांक 26-6-92,

826/दिनांक 13-5-92 तथा पत्रांक 106/दिनांक 30-1-1991 मुख्य अभियन्ता, पारेषण पूर्व इलाहाबाद को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा वरिष्ठता कब तक निर्धारित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के अधीन कार्यरत समस्त सहायक भण्डारपालों की वरिष्ठता का निर्धारण कार्यालय के पत्र संख्या 694-मु0 अ0 (पा0पू0)इ-10 वरिष्ठता/ ए0एस0के0 दिनांक 3-5-1994 द्वारा कर दिया गया है ।

उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ के केवल निम्न पत्र ही प्राप्त हुये हैं :-

1-संख्या 717, दिनांक 18-12-93

2-सं0 716, दिनांक 16-12-93

3-संख्या 106, दिनांक 30-1-91

उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु बुलाया गया था परन्तु उनका कोई भी प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं हुआ । कर्मचारियों की वरिष्ठता का निस्तारण मुख्य अभियन्ता (पा0पू0) इलाहाबाद के पत्र संख्या 694-मु.अ.(पा.पू.)इ-10/वरिष्ठता/ ए0एस0के0 दिनांक 3-5-94 के द्वारा कर दिया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में मेन्टीनेन्स यूनिट का कार्य पांच सहायक अभियन्ताओं से स्वतंत्र प्रभार के रूप में लिया जाना

101.-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में 16 अधिशासी अभियन्ताओं के तैनाती के बावजूद भी 5 सहायक अभियन्ताओं से मेन्टीनेन्स यूनिट का कार्य स्वतंत्र प्रभार के रूप में लिया जा रहा है ? क्या इन सहायक अभियन्ताओं द्वारा अधिशासी अभियन्ता के रूप में बिलों के भुगतान पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के वित्तीय अधिकार प्रदान करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के अनियमित कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान में पांच मेन्टीनेन्स यूनिट हैं । दो का कार्य अधिशासी अभियन्ता देख रहे हैं । 2 मेंटीनेन्स यूनिट्स में कार्यरत अभियन्ता के संबंध में मा0 प्राधिकरण ने अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनात किये जाने के निदेश दिये हैं, जिसके अन्तर्गत वे कार्यरत हैं । मुख्यालय के मेन्टीनेन्स यूनिट का कार्य कम होने के कारण सहायक अभियन्ता द्वारा देखा जा रहा है ।

इन सहायक अभियन्ताओं द्वारा बिलों को भुगतान हेतु प्रमाणित कर लेखा विभाग को प्रेषित किया जाता है। भुगतान मुख्य लेखाधिकारी व सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरित चेक द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा नगरपालिका के अन्तर्गत नजूल भूमि पर किये गये अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध वाद न्यायालय में दायर

102-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर निवासी राहत उल्लाह खां पुत्र हबीबुल्ला खान द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांकित 4-8-93 जिसमें नगरपालिका, बांदा के भूतपूर्व चेयरमैन ए0एच0 फारुकी पर नजूल भूमि संख्या 10727 पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा किये जाने का आरोप अंकित है, प्राप्त हुआ है ? उक्त पत्र पर जिलाधिकारी, बांदा के आदेश संख्या 538/एस0टी0, दिनांकित 11-8-93 के बावजूद आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। शिकायती-पत्र दिनांक 4-8-93 नहीं, अपितु पत्र दिनांक 10-8-93 प्राप्त हुआ।

प्राप्त शिकायती-पत्र के आधार पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध पी0पी0 ऐक्ट के अन्तर्गत बेदखली हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है।

जनपद बांदा की नगरपालिका के सेवानिवृत्त श्री कामता प्रसाद जूनियर मोहर्रिर के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

103-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बांदा से सेवानिवृत्त जूनियर मोहर्रिर कामता प्रसाद नि0 मो0 मर्दननांका, बांदा को वेतन की बकाया 3/4 धनराशि दिनांक 24-5-85 से 3-1-86 तक मु0 566 रु0 50 पैसे का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? क्या उक्त जूनियर मुहारेर को 10-15 साल की अवधि की बोनस धनराशि का भुगतान भी नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त अवकाश प्राप्त जूनियर मुहारेर के वेतन से मु0 20/-प्रतिमाह बीमा की किश्त कटौती दिनांक 31-12-85 तक की गई जिसका भी भुगतान लम्बित है ? क्या भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान भी पालिका के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां।

श्री कामता प्रसाद, भूतपूर्व मोहरिर को गबन संबंधी आरोपों के कारण आदेश दिनांक 3-1-80 द्वारा पालिका सेवा से बर्खास्त किया गया था, नियमानुसार सेवा से पृथक होने पर 3/4 जीवन निर्वाह भत्ते का अन्तर देय नहीं है।

अंशदायित सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1984 के प्रावधानों के अनुसार बानस को धनराशि देय नहीं है।

जी हां।

पालिका द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। भावष्य निधि में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के शेष अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की मांग

104-श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कितने अम्बेडकर गांवों में विद्युतीकरण हुआ है ? शेष अम्बेडकर गांवों में विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा तथा जनपद के अन्य अनुसूचित जातियों की बस्ती में विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ? अब तक विद्युतीकरण न होने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद बस्ती के 43 (तैंतालिस) अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनपद बस्ती के शेष अम्बेडकर गांवों तथा अनुसूचित जातियों की बस्ती का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। राज्य विद्युत परिषद् के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शेष ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अध्यक्ष सेवा स्तम्भ शाखा के इन्जीनियर के पत्र में अंकित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी

105-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें संबोधित इंजीनियर तेजबहादुर राम अध्यक्ष सेवा स्तम्भ शाखा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ का पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1994 वाराणसी जनपद में राज्य विद्युत परिषद् के कुछ अनुसूचित जाति से संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं को आवास आवंटन में अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत मुख्य अभियन्ता (कमर्शियल), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् पूर्वांचल उ0प्र0 एवं अध्यक्ष आवास आवंटन समिति विद्युत नगर मड़ुआडीह, वाराणसी द्वारा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 502-अ0/चालीस-15।16-75 रा0 एकी0, दिनांक 3 फरवरी, 1978 की उपेक्षा करते हुये आवास आवंटन न किये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

इंजीनियर तेज बहादुर राम, अध्यक्ष, सेवा स्तम्भ शाखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ के पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1994 में निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

1-सर्वश्री के0बी0 राम, आर0के0 राम एवं आर0 एस0 प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं उन्हें ए0ई0टाइप तृतीय के रिक्त आवासों का आवंटन किया जाना ।

2-आरक्षण विरोधी दूषित मानसिकता से ग्रसित होने के कारण अध्यक्ष, स्थानीय आवास आवंटन समिति, वाराणसी द्वारा आवासों को आवंटन नहीं किया जाना ।

3-शासनादेश संख्या 502-अ0/चालीस-15-116-75 टी0एक्टी0, दिनांक 3 फरवरी, 1978 का अनुपालन आवास आवंटन समिति द्वारा न किया जाना । आवास आवंटन समिति ने उक्त अधिकारियों के प्रार्थना पत्र पर विचार किया किन्तु आवासों की कमी एवं आवास आवंटन हेतु बनाई गई वरीयता क्रम में उनका नाम नीचे के स्तर पर होने के कारण आवास आवंटन करना सम्भव नहीं हो पाया । जहां तक शासनादेश संख्या 502-अ0/चालीस-15-116-75 टी0एक्टी0, दिनांक 3-2-78 की आवास आवंटन समिति द्वारा उपेक्षा करने का प्रश्न है, यह मामला समिति द्वारा परिषद् को संदर्भित है एवं परिषद् के विचाराधीन है । अतः आवास आवंटन समिति द्वारा इसका उल्लंघन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखनऊ की पारा कालोनी के राजाजीपुरम में विद्युत लाइन एवं ट्रान्सफार्मर के निर्माण कार्य की जानकारी

106-श्री भगवत शरण गंगवार-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उत्तर में अप्रैल, 1994 के बाद पारा कालोनी राजाजीपुरम् में विद्युत कनेक्शन दिये जाने के आश्वासन के बाद भी अभी तक उक्त कालोनी वासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि पारा कालोनी में 11 के0वी0 की विद्युत लाइन बिछाये जाने तथा 250 के0वी0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के आदेश हुये थे, परन्तु लगभग 10-11 पोल लगने के बाद लाइन बिछाने का कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त लाइन को पूरा कराकर विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कथित अता0 प्रश्न संख्या 35 के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि पारा कालोनी में अप्रैल, 94 के बाद विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे । परन्तु बार-बार

सर्वे करने के उपरान्त भी ग्रामवासियों के लगातार विरोध के कारण लाइन बनाये जाने का कार्य पूरा नहीं हो सका है। कालोनी के मध्य में जहां 1992 में ट्रान्सफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित था वहां गृह स्वामियों द्वारा इतनी कम जगह छोड़ी गयी है कि ट्रान्सफार्मर रखने के लिये चबूतरा व डबल पोल तक विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाना सम्भव न होने के कारण तथा पतली-पतली गलियां होने एवं ग्रामीणों के आपसी विवाद के कारण 11000 वोल्ट की लाइन का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है। इसी कारण अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

यह सही है कि पारा कालोनी में 11 के0वी0 लाइन बिछाये जाने तथा 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के आदेश हुये थे परन्तु अनियोजित रूप से वह जगह भवन हो जाने के कारण, कम चौड़ा रास्ता छोड़ने तथा खाली जगहों पर भूखण्ड मालिकों द्वारा अपने भूखण्डों के ऊपर से उच्च विभव की लाइन न बनने देने के कारण लगातार विभागीय प्रयासों के बाद भी न तो पूरी लाइन बन सकी है और न ही 250 के0वी0ए0 क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगाया जा सका है।

कालोनी भूखंड मालिकों के विरोध व अनियोजित गृह निर्माणों के कारण प्रस्तावित 11 के0वी0 लाइन न बनने की स्थिति में कालोनी के उत्तर दिशा से गुजर रही रेलवे लाइन के किनारे लगभग 50 फुट खाली जगह पर 11000 वोल्ट की लाइन बनाये जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु रेलवे अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् भूखण्डों के मालिकों द्वारा आपसी सहयोग सामिति को प्राप्त होने के पश्चात् ही संशोधित प्रस्ताव के आधार पर लाइन का निर्माण किया जाना तथा विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

अर्द्धनिर्मित गोदामों के संबंध में विस्तृत जांच के पश्चात् धनराशि का आवंटन

107-श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 54 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उन अर्द्धनिर्मित गोदामों के निर्माण हेतु धन आवंटित कर दिया गया ? यदि हां, तो कितना-कितना और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार निकट भविष्य में इन्हें पूर्ण कराकर क्षेत्रीय जनता को लाभ पहुंचायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

अर्द्धनिर्मित गोदामों के संबंध में विस्तृत जांच कर धन आवंटन की संस्तुति हेतु निबन्धक स्तर से कमेटी की आख्या प्राप्त होने पर संबंधित समिति को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रशनकर्ता जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता जल निगम के बीच हुये समझौते का ब्योरा

108-श्री परशुराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के बीकापुर विधान सभा क्षेत्र के पेयजल समस्या के समाधान हेतु दिनांक 3-5-94 को जिलाधिकारी, फैजाबाद, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर एवं प्रश्नकर्ता के मध्य कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते का बिन्दुवार विवरण क्या है ? उन बिन्दुओं पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

मा0 विधायक श्री परशुराम यादव के साथ हुये समझौते का विवरण निम्नवत् है:-

(1) मा0 विधायक द्वारा दी जाने वाली ग्रामों की सूची के अनुसार 50 झण्डया माके-2 हैण्ड पम्प लगवाये जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ की जा रही है । तत्क्रम में 10 झण्डया माके-2 हैण्ड पम्प कल दिनांक 4-5-94 को स्थल पर लगाये जाने प्रारम्भ करा दिये जायेंगे । अवशेष हैण्ड पम्प भी प्राथमिकता के साथ क्रमिक दिवसों में अधिष्ठापित किये जायेंगे ।

(2) इस कार्य में हुये विलम्ब के लिये अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध प्रकरण की जांच की कार्यवाही की जायेगी एवं उच्चस्तर पर संदर्भित किया जायेगा ।

(1) प्राथमिकता वाले 10 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन करते हुये 50 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कर दिया गया है ।

(2) तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद के विषय में जांच की गई एवं विलम्ब के लिये उनके विरुद्ध यथेष्ठ आधार नहीं पाया गया है । अब तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत पहाड़पुर कबीरेयन वाला के निवासियों द्वारा विद्युत के नये कनेक्शन की मांग

109-श्री महबूब अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत पहाड़पुर (कबीरयन वाला) में लगभग 6 वर्ष पूर्व विद्युत पोल, तार तथा ट्रान्सफार्मर लगने के बाद लम्बे समय तक विद्युत आपूर्ति न होने के कारण ट्रान्सफार्मर तथा शेष तारों को हटाकर अन्यत्र लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युत की आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पहाड़पुर कबारयन वाला का विद्युतीकरण एल0टी0 मन्स द्वारा मार्च 1995 में किया गया था। तदुपरान्त उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु बनाई गई 11 के0वी0 लाइन का तार चोरी हो गया। इन ग्राम में किसी भी निवासी द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र न दिये जाने की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से 11/4 के0वी0 ट्रान्सफार्मर एवं एल0टी0 लाइन के तार निकलवा लिये गये।

पहाड़पुर कबारयन वाला में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु किसी भी निवासी द्वारा आवेदन पत्र न दिये जाने की स्थिति में लाइनों व उपकेन्द्र को पुनः चालू नहीं किया जा रहा है। उक्त ग्राम की विद्युत आपूर्ति पुनः चालू की जाती निवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र दिये जाने पर निर्भर करेगा।

अकबरपुर नगरपालिका, जनपद फैजाबाद की स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त धन के व्यय एवं उससे निर्माण की जांच

110-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर नगरपालिका, जनपद फैजाबाद की स्वरोजगार (भंगी मुक्ति योजना) के अन्तर्गत प्राप्त धन के व्यय व निर्माण की जांच जनपद फैजाबाद के सी0डी0ओ0 द्वारा वर्ष 1994 में की गई है? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी थे तथा जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रकाश में आये? उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त जांच के बाद निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा भी कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो किसके आदेश से किस अधिकारी तथा उक्त जांच क्यों कराई गई? अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम शंकर कौशिक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा आरोपों के संबंध में संबोधित कर्मचारी को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी के अनुरोध पर निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के आदेश से सहायक अभियन्ता एवं उप निदेशक (तकनीकी) द्वारा स्थलीय जांच कराई गई।

सहायक अभियन्ता तथा उप निदेशक (तकनीकी) द्वारा स्थलीय जांच आख्या एवं संयुक्त निदेशक (जांच अधिकारी) से प्राप्त जांच आख्या का शासन स्तर से परीक्षण करके निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, संयुक्त निदेशक (जांच अधिकारी) से कतिपय अतिरिक्त सूचनायें प्रतीक्षित हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि को अनाधिकृत आधिपत्य से मुक्त कराने की मांग

111-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कुल भूमि अनाधिकृत आधिपत्य में है ? यदि हां, तो प्राधिकरण ने अपनी भूमि को अनाधिकृत आधिपत्य से मुक्त कराने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है ? क्या मुख्य मंत्री जी अनाधिकृत आधिपत्य करने वालों, उनके आधिपत्य की भूमि तथा अनाधिकृत आधिपत्य को हटाने के लिये की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्डर्स/होटल मालिकों को आवंटित भूमि का विवरण

112-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का भूखण्डों की कीमत के बारे में किस-किस बिल्डर्स व होटल मालिकों की ओर कितना धन बकाया है ? उक्त धन की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मंत्री जी बकायादारों से वसूली की कृत कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का मूल्य निम्न बिल्डर्स/होटल मालिकों पर बकाया है :-

1-मे0 पुष्पा बिल्डर्स	3.16 करोड़
2-मे0 स्कीफ्स बिल्डर्स	2.38 करोड़
3-मे0 सिद्धेश्वरी बिल्डर्स	1.61 करोड़
4-मे0 रिजेन्सी इन्डस्ट्रीज	1.26 करोड़
5-मे0 साकेत इस्टेट प्रा0लि0	0.17 करोड़
6-मे0 थापर बिल्डर्स	1.31 करोड़
7-मे0 महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाई0	0.99 करोड़
8-मे0 कंचन प्रोपर्ट्रीज	0.82 करोड़
9-मे0 चरजीत कोचर	धनराशि ज्ञात नहीं हो सकी है।
10-मे0 एल्डको हाउसिंग	0.84 करोड़
11-मे0 कुरसेला प्रिसिजन	0.87 करोड़
12-मे0 अग्रवाल एसोशियेट	0.46 करोड़

13-मेसर्स प्रगति कन्सट्रेक्शन	0.06 करोड़
14-मे0 डिस्टिक टिबलीजंग	0.12 करोड़
15-मे0 रेन्क इण्डया प्रा0 लि0	0.89 करोड़
16-मे0 फार0 एच0 बिल्डर्स	0.04 करोड़
17-मे0 वेदकान्ती प्रा0 लि0	0.16 करोड़
18-मे0 पुष्पा बिल्डर्स	0.47 करोड़
19-मे0 एक्सप्रेस इस्टेट प्रा0 लि0	0.06 करोड़
20-मे0 गाडेन कान्सट्रक्शन कं0	0.28 करोड़
21-मे0 जितेन्द्र कान्ट्रेक्टर	0.24 करोड़
22-मे0 एस0एफ0एल0 हाऊसिंग	0.74 करोड़
23-मे0 ए0 वी0 आर0 बिल्डर्स	0.42 करोड़
24-मे0 जितेन्द्र बिल्डर्स	0.38 करोड़
25-मे0 जितेन्द्र बिल्डर्स	0.23 करोड़
26-मे0 प्रगति कान्सट्रक्शन	0.21 करोड़
27-मे0 मे0 मानासिंह ग्रुप	4.40 करोड़

उक्त बकायादारों पर वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। बकायादारों के विरुद्ध तहसील के रिकवरी सर्टीफिकेट भी भेजे गये हैं। स्टाफ की एक टीम वसूली हेतु नियुक्त की गई है, जो प्रत्येक सप्ताह बकायेदार से वसूली हेतु दबाव बनाये हुये हैं।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के स्वामियों के परिवारों के पात्र सदस्यों को सेवायोजना दिये जाने की मांग

113-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के 220 के0वी0 केन्द्रों के भूमि अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों को विद्युत परिषद् में सेवायोजन देना बाकी है ? यदि हां, तो अब तक कितने परिवारों को सेवायोजना देना बाकी है ? क्या यह सही है कि 220 के0वी0 उप विद्युत केन्द्र, जौनपुर के भूमि अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों को नौकरी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो उनके सेवायोजन संबंधी प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है तथा विस्थापितों को विद्युत परिषद् द्वारा कब तक नौकरी प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-
जी हां।

राज्य विद्युत परिषद् के 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कुल 29 लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है। वर्तमान परिषदीय नियमानुसार ऐसे भूमि विस्थापित परिवार जिनकी कुल भूमि का 50 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु कम से कम एक एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनके एक सदस्य को अन्य शर्तें पूर्ण किये जाने पर सेवायोजन दिये जाने का प्रावधान है।

परिषद् के उक्त नियमानुसार उपर्युक्त उल्लेखित 29 परिवारों में से कुल 13 परिवार ऐसे हैं जिनकी कुल भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक तथा कम से कम

एक एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। अतः अन्य शर्तें पूर्ण किये जाने की दशा में इन 13 भूमि विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को सेवायोजन दिये जाने पर विचार किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उक्त 13 परिवारों में से पूर्ण आवेदन पत्र अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

यह सही नहीं है क्योंकि सेवायोजन/नियुक्ति संबंधित प्रार्थना पत्र अपूर्ण प्राप्त होने की दशा में यह प्रक्रिया विस्थापित परिवारों के स्तर पर ही लम्बित है।

परिषदीय नियमानुसार सेवायोजन से संबंधित समस्त प्रक्रिया विस्थापितों द्वारा पूर्ण कर लेने एवं जो भी विस्थापित सेवायोजन हेतु पात्रता रखते हैं, उन्हें उसकी परियोजना में जिसके लिये भूमि अध्याप्त की गई है, रिक्त पर उपलब्ध होने की दशा में नौकरी देने पर विचार किया जायेगा।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के कार्यालय लेसू के अन्तर्गत मेसर्स भगवान इण्डस्ट्रीज लखनऊ से सम्बन्धित न्यायालय में चल रहे वादों का विवरण

1114-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के कार्यालय लेसू के अन्तर्गत मेसर्स भगवान इण्डस्ट्रीज, लखनऊ से संबंधित न्यायालयों में कितने वाद चल रहे हैं ? उनके विरुद्ध कितना धन परिषद् का बकाया है ? इन वादों को निपटाने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? परिषद् द्वारा न्यायालयों में लम्बित मामलों के कारण बकाया राशि की सुरक्षा हेतु क्या माननीय न्यायालयों से बैंक गारन्टी हेतु अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर माननीय न्यायालयों के क्या आदेश पारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राज्य विद्युत परिषद् के कार्यालय लेसू के अन्तर्गत मेसर्स भगवान इण्टस्ट्रीज, लखनऊ से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में 101 वाद चल रहे हैं।

उनके विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित वादों के अंतर्गत परिषद् की अवशेष धनराशि रु0 2,54,03,895.81 है। अवशेष धनराशि में विलम्ब अधिभार सम्मिलित नहीं है जो वादों के निस्तारण के अनुसार लगाया जायेगा।

समस्त वादों में शीघ्र निर्णय प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में सन् 1978 से लम्बित 6 याचिकाओं तथा सन् 1980 से लम्बित याचिकाओं कुल 9 याचिकाओं में परिषद् के पक्ष में निर्णय प्राप्त किया जा चुका है। अन्य सभी केसों को एक साथ क्लब कर शीघ्र निर्णय एवं परिषद् के राजस्व वसूली हेतु "अटैचमेंट बिफोर जजमेंट" का प्रार्थना-पत्र एवं मोरंट पर सुनवाई कर निर्णय देने हेतु प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर किया जा चुका है जिस पर 24-2-94 को फर्म को नोटिस भी जारी हो चुका है। फर्म का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिवक्ता द्वारा केस को लिस्ट कराने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

फर्म द्वारा दायर 101 केसों में स्थगन आदेशों हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों के विरुद्ध आपत्तियों/जबाब दावा समय-समय पर दायर किया गया।

न्यायालय ने तत्कालीन धनराशि के विरुद्ध विच्छेदन पर स्थगन आदेश पारित करते हुये मांगी गई धनराशि की कुछ मामलों में बैंक गारण्टी देने हेतु आदेश पारित कर दिये। बैंक गारण्टी की कुल धनराशि रु0 5.93 लाख है। अन्य मामलों में स्थगन आदेश जारी करते समय बैंक गारण्टी के आदेश नहीं पारित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत डीजल पावर हाउस गाजियाबाद के बन्द होने की स्थिति की जानकारी

1115-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत डीजल पावर हाउस, गाजियाबाद कब बन्द हुआ था ? क्या बन्द होते समय उसके उपकरण/सामान आदि का फिजिकल वेरीफिकेशन किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? आज उक्त डीजल पावर हाउस की स्थिति क्या है ? क्या परिषदीय सम्पत्ति की रक्षा हेतु कोई सुरक्षा प्रबन्ध किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? पावर हाउस बन्द होने के बाद थाना सिंहानीगेट में कब-कब चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा किसके द्वारा ? क्या यह सत्य है कि चोरी के उपरान्त परिषदीय नियमानुसार सम्पत्ति का फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गाजियाबाद स्थित डीजल पावर हाउस जुलाई, 1975 में बन्द कर दिया गया था।

नहीं नहीं।

उक्त पावर हाउस चलने की यथास्थिति में ही बन्द हुआ था।

आज भी उक्त पावर हाउस बन्द है।

जी हां। सुरक्षा प्रबन्धों के अन्तर्गत रात्रि में चौकीदार/सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

पावर हाउस में दिनांक 25-6-1989 को हुई चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय कुमार सिंघल, अवर अभियन्ता द्वारा तथा दिनांक 12/13-11-1989 को हुई दूसरी चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आर0के0 शर्मा, सहायक अभियन्ता द्वारा थाना सिंहानीगेट में दर्ज कराई गई।

जी नहीं। चोरी की घटना के बाद डीजल पावर हाउस की सम्पत्ति का फिजिकल वेरीफिकेशन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सक्सेना, उपखण्ड अधिकारी के इन्द्रलोक विद्युत कालोनी में अध्यासित रहते हुये तरणताल निर्मित कराये जाने का मामला

1116-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सक्सेना, उपखण्ड अधिकारी, टाइप-4, 28 इन्द्रलोक विद्युत कालोनी, लखनऊ के परिषदीय आवास में परिषदीय व्यय पर तरण ताल का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? उक्त कार्य पर कितने रुपये व्यय किये गये ? क्या यह सत्य है कि इसके कारण परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पानी के अभाव में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा था ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त विद्युत कालोनी में जलापूर्ति कितने घंटे की जाती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं । इन्द्रलोक कालोनी लखनऊ के टाइप-4 के आवास संख्या 28 में श्री नरेन्द्र सक्सेना कभी भी अध्यासित नहीं रहे और न ही उक्त आवास में कभी कोई तरणताल निर्मित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त कालोनी में सामान्यतः 10 घण्टे जलापूर्ति की जाती है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति मान्टेसरी स्कूल इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी पर व्यय की गई धनराशि का विवरण आदि की जानकारी

1117-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति मान्टेसरी स्कूल, इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी, लखनऊ कब से खोला गया ? उस पर जुलाई, 1992 तक विभिन्न मदों में कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि परिषदीय आदेशों का उल्लंघन करते हुये प्रबन्धक वहां के सहायक अभियन्ता को बनाया गया था ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या इसकी वित्तीय आनियमितता संबंधी कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो क्या सही पाया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शक्ति मान्टेसरी स्कूल इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी का अधिग्रहण परिषद् द्वारा दिनांक 21-7-87 को किया गया था ।

जुलाई, 1992 तक परिषद् द्वारा व्यय किये गये धन का विवरण निम्न प्रकार है :-

(अ) अधिष्ठान पर व्यय रु0 29,91,651.06 है ।

(ब) रख-रखाव एवं अन्य मदों पर रु0 2,28,587.24 है ।

विद्यालय के अधिग्रहण करने संबंधी परिषद् के आदेश में विद्यालय के प्रबन्धक का नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है। अतः सहायक अभियन्ता को विद्यालय का प्रबन्धक नियुक्त करने में परिषदीय आदेश के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है। मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण के आदेश से सहायक अभियन्ता को विद्यालय का प्रबन्धक बनया गया था।

विद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण इसकी जांच नहीं कराई गई। विद्यालय में लेखा अनुभाग न होने के कारण उसमें किसी प्रकार का वित्तीय आहरण एवं वितरण का कार्य नहीं होता है।

उ0प्र0 राज्य परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों को अनियमित ओवर टाइम देने का आरोप

118-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में कर्मचारियों को प्रतिमाह कितने रुपये ओवर टाइम के रूप में दिये जाते हैं ? इसके लिये परिषदीय नाम क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि ओवर टाइम में कार्य न करने वाले कर्मचारियों को भी ओवर टाइम दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी प्रत्येक सब स्टेशन में दिये जा रहे ओवर टाइम का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

119-डा0 सरजीत सिंह डंग-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।)

सिटी बोर्ड गाजियाबाद के सिहानी सद्दीक नगर, नूरनगर आदि में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी के निर्माण की मांग

120-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी बोर्ड गाजियाबाद, सिहानी, सद्दीक नगर, नूरनगर आदि में पेयजल की आपूर्ति के लिये पानी की टंकी का कब तक निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

नगर परिषद् गाजियाबाद के सिहानी, सद्दीकनगर, नूरनगर आदि में पेयजल आपूर्ति के लिये टंकी का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ?

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किराये के भवनों को किरायेदारों को ही बेचने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही

121-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक आपत्ति बाबत

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किराये के भवनों को किरायेदारों को ही बेचने के संबंध में कीमत निर्धारित करने विषयक दिनांकित 24-3-94 मुख्य मंत्री को सम्बोधित सरकार को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

उक्त पत्र में दिये गये सुझाव शासनादेश दिनांक 16-6-93 द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं है । अतः मा0 सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिटी बोर्ड गाजियाबाद द्वारा चुंगी/पथकर समाप्त करने के संबंध में पारित प्रस्ताव को शासन द्वारा निरस्त किया जाना

122-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिटी बोर्ड गाजियाबाद ने दिनांक 8-3-89 को अपने प्रस्ताव संख्या 58 के द्वारा सीवर व ड्रेनेज टैक्स समाप्त करने के लिये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था ? क्या सरकार सीवर ड्रेनेज टैक्स समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

जी नहीं । नगर पालिका के आर्थिक संसाधनों में कमी होने व चुंगी/पथकर समाप्त हो जाने के कारण प्रस्ताव शासन द्वारा विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रोन्नति दिया जाना

123-श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 18 मार्च, 1993 जो कि अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन को सम्बोधित था, तथा जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एस0एस0ओ0 को प्रोन्नति विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रोन्नति करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जांच हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ को प्रेषित किया गया । सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ द्वारा प्रमाण-पत्रों को फर्जी

(जाली) घोषित किये जाने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को उसके मूल पद पर पदावनत करने एवं उसे निलम्बित करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है साथ ही साथ प्रोन्नति के फलस्वरूप कर्मचारी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त धनराशि की वसूली हेतु आदेश पारित कर दिये गये हैं । इससे कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया क्योंकि फर्जी प्रमाण-पत्रों के संबंध में जब शिकायत प्राप्त हुई तभी इस कर्मचारी द्वारा की गई धांधली का पता चला एवं उस पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लम्बित पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी एवं जी0पी0 एफ0 मामलों पर कार्यवाही की मांग

124-श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 के कितने मामले सितम्बर, 1994 तक लम्बित हैं ? क्या इस संबंध में प्रान्तीय मंत्री श्री नन्द लाल जायसवाल, उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ का पत्र सं0 1233/उ0प्र0वि0म0स0, दिनांक 16-6-94 जो कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) एवं अनुसचिव, पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया नगर में निरन्तर जल आपूर्ति हेतु जनरेटर एवं सीवर लाइनों का निर्माण कराने की मांग

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार देवरिया नगर पेयजल की निरंतर आपूर्ति हेतु जलकल को जनरेटर प्रदान करने एवं नगर में सीवर लाइनों के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण देवरिया नगर में इस वित्तीय वर्ष में जनरेटर एवं सीवर लाइनों के निर्माण की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्य मण्डल, गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के शिकायती-पत्र पर जांच

126-श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल विधायक का पत्र दिनांक 19-4-94 जो कि माननीय मुख्यमंत्री

एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन को सम्बोधित था तथा जो अधीक्षण अभियन्ता, कार्य मण्डल, गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी एवं लूट-पाट किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है ? किस अधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के विरुद्ध प्राप्त प्रश्नगत, शिकायती-पत्र दिनांक 19-4-94 में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर से जांच कराई जा रही है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में चीफ रेजीडेन्ट इंजीनियर लेसू लखनऊ के अन्तर्गत उपकेन्द्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय धनराशि का विवरण

127-श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के चीफ रेजीडेन्ट इंजीनियर लेसू, लखनऊ के अन्तर्गत सब स्टेशनों का परिचालन एवं अनुरक्षण पर पिछले दो वर्षों में कितना व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 11 के0वी0 स्वीचयार्ड (इनकामिंग) 11 के0वी0 स्वीचयार्ड (आऊट गोइंग), 11 के0वी0 बस कपुलर और उनके ट्राली का पिछले एक वर्ष में रिपेयारिंग एवं मेन्टनेन्स के वर्क आर्डर किसके द्वारा, कब एवं कितनी धनराशि का किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम, लखनऊ में विभिन्न क्षमता एवं विभव के उपकेन्द्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर वर्ष 1992-93 व वर्ष 1993-94 में क्रमशः रु0 60.63 लाख व रु0 52.81 लाख का व्यय किया गया ।

उक्त उपक्रम में पिछले एक वर्ष में 11 के0वी0 इनकामिंग, 11 के0वी0 आउट गोइंग, 11 के0वी0 बसकप्लर और उनकी ट्राली की मरम्मत हेतु विभिन्न अधिकारियों द्वारा कुल 92 वर्क आर्डर जिनकी सम्मिलित धनराशि रु0 3.79 लाख है, किये गये । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण में धांधली

128-श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ के अधीन जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर के कर्मचारी वर्ग-3 के वरिष्ठता निर्धारण दिनांक 30-7-83 के पूर्व क्या थी ? क्या वरिष्ठता निर्धारण में अलग-अलग नीतियां अपनाई गई हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या

यह सत्य है कि दिनांक 16-3-94 द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन में अधिकारियों द्वारा धांधली बरती गई थी ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध किन-किन कर्मचारियों ने प्रत्यावेदन दिये ? उनके नाम, पदनाम क्या हैं ? उनके प्रत्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दिये जाने की मांग

129-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा को ही अलीगढ़ नगर की सीमा माना जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा की कुल जनसंख्या के आधार पर अलीगढ़ नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

अलीगढ़ नगर पालिका को शासकीय अधिसूचना संख्या 3785/9-7-94, दिनांक 17 नवम्बर, 1994 द्वारा नगर निगम का दर्जा प्रदान कर दिया गया है ।

वाराणसी नगर में विद्युत आपूर्ति का विवरण एवं विद्युत सुधार हेतु "इमरजेंसी प्रोग्राम पर डिस्ट्रीब्यूशन" नामक कार्य योजना

130-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में इस वर्ष माहवार कितने घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही ? सरकार द्वारा वहां पर ट्रान्सफार्मरों का अभाव जर्जर तारों को बदलने हेतु नये तारों की कमी तथा लो वोल्टेज आदि समस्याओं से चरमराई आपूर्ति व्यवस्था के सुधार हेतु क्या कोई कार्ययोजना विभाग द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कौन से कार्य किये गये हैं और शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वाराणसी नगर में इस वर्ष (1994) में औसतन विद्युत व्यवधान घंटों में प्रति माह निम्नवत् है :-

जनवरी	34.14	जुलाई	32.00
फरवरी	23.26	अगस्त	32.20
मार्च	30.73	सितम्बर	79.25
अप्रैल	45.00	अक्टूबर	49.28
मई	46.00	नवम्बर	37.34
जून	44.00	दिसम्बर	74.31

जी हां ।

1-विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु वर्ष 1994 में सम्पूर्ण उ0प्र0 के लिये एक कार्य योजना "इमर्जेन्सी प्रोग्राम फार डिस्ट्रेव्यूशन" कन्सलिंग इंजीनियर के माध्यम से बनाई गई है जिसमें वाराणसी शहर के लिये 1380.00 लाख रु0 के कार्य का प्रावधान है जिसमें निम्न कार्य प्रस्तावित है :-

1-चौकाघाट उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 15 से 20 एम0वी0ए0
2-बेनियाबाग उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 10-20 एम0वी0ए0
3-33 के0वी0 लाइन का निर्माण
4-नये 400 के0वी0ए0 11/0.4 उपकेन्द्र का निर्माण 11 नग ।
5-नये 250 के0वी0ए0 11/0.4 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण 47 नग ।
6-250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 14 नग ।
7-100 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 250 के0वी0ए0 15 नग ।
8-एल0टी0एच0 11 के0वी0 लाइनों का सुदृढ़ीकरण एवं स्पिलटिंग ।

उपकेन्द्र योजना स्वीकृत होने एवं आवश्यक धन प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

वर्ष 1994 में वाराणसी नगर के पूर्व योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये हैं :-

1-33 के0वी0 उपकेन्द्र बेनिया बाग का निर्माण ।
2-33 के0वी0 उपकेन्द्र मच्छोदरी का निर्माण ।
3-11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण 4 नम्बर ।
4-11 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि 3 नम्बर ।
5-33 के0वी0 लाइन का निर्माण 3 कि0मी0 ।
6-1 के0वी0 लाइन का निर्माण 5 कि0मी0 ।
7-एल0टी0 लाइन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण 1 कि0मी0 ।

जनपद गाजियाबाद में मेसर्स महाराष्ट्र स्टील लि0 के यहां मारे गये छापे में की गई कथित चोरी का अधिशासी अभियन्ता पर आरोप

131-डा0 सरजीत सिंह डंग-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के संबंध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-11-93 को जनपद गाजियाबाद के मेसर्स महाराष्ट्र स्टील लि0 के यहां छापे के समय परिषद् के कौन कौन अधिकारी मौजूद थे ? क्या उक्त चोरी घटना स्थल पर पकड़ी गई ? उक्त घटना की जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन बाद क्यों दर्ज कराई गई ? दो दिन तक उक्त बिल किसके पास रहा था ? क्या यह सत्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार चोरी की रकम 15 करोड़ है तथा फर्म को जो नोटिस दी गई है वह 8 करोड़ की है ? यदि हां, तो वास्तविक रकम कितनी है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त चोरी संबंधित अधिशासी अभियन्ता की मिली भगत से की गई थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

चिनहट टेपिंग लाइन के निर्माण में अनियमित कार्य करने वाले प्रथम दृष्ट्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

132-डा0 सरजीत सिंह डंग-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के संबंध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 220 के0वी0 चिनहट टेपिंग लाइन के निर्माण में पायी गई विभिन्न अनियमितताओं के बाद भी ठेकेदार को भुगतान क्या किया गया ? क्या उक्त रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से कटौती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लाइन के निर्माण में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लाइन के दोषपूर्ण निर्माण के बावजूद ठेकेदार को भुगतान करने, प्रकरण में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को हुई आर्थिक क्षति के आंकलन, क्षति के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा नियमानुसार उसकी वसूली दोषी व्यक्तियों से करने हेतु विचार करने के निदेश उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को दे दिये गये हैं।

प्रश्नगत लाइन के निर्माण में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये :-

1-श्री सुहृद अवस्थी, अधिशासी अभि0,
2-श्री बी0के0 दीक्षित, सहायक अभि0,
3-श्री भगवती प्रसाद, सहायक अभि0,
4-श्री एस0 पी0 त्रिवेदी, अवर अभियन्ता,
5-श्री एस0 बी0 सिंह, अवर अभियन्ता,
6-श्री कामता सिंह, अवर अभियन्ता।

उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

मिर्जापुर से इलाहाबाद मार्ग पर अवैध रूप से चलने वाली निजी बसों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

133-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर से इलाहाबाद मार्ग पर निजी बसें अवैध रूप से चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त बसों का चलना बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

प्रदेश में अवैध संचालन को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग पर दिनांक 1-4-94 से 31-7-94

तक की अवधि के बीच चेकिंग के दौरान 12 यात्री वाहनों को बन्द किया गया, 40 के विरुद्ध बिना परमिट अथवा परमिट के शर्तों के विरुद्ध चलने के लिये कार्यवाही की गई, 16 के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित किये गये तथा 38 के विरुद्ध यात्रीकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के किसानों द्वारा भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये उनकी जमा अंशपूंजी पर ब्याज दिलाने की मांग

134-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को भूमि विकास बैंक से कर्ज लेने के लिये जो 5 प्रतिशत शेयर मनी जमा करनी होती है, उसे कर्ज की अन्तिम किस्त में समायोजित किया जाता है तथा उस पर ब्याज भी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ब्याज दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कृषकों को उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 से ऋण प्राप्त करने के लिये 5 अथवा 3 प्रतिशत अंशपूंजी जमा करनी होती है तथा अंशपूंजी की धनराशि कृषक की इच्छानुसार उसकी अन्तिम किश्त में समायोजित कर लिया जाता है ।

अंशपूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है बल्कि सदस्यों को उनके जमा अंशधन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है जो समय-समय पर बैंक की वार्षिक सामान्य निकाय में तय किया जाता है । अतः ब्याज दिलाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही सभी कालोनियों में समस्त जन सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

135-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में पार्क, स्कूल, सामुदायिक विकास केन्द्र, खेल का मैदान थाना/पुलिस चौकी, डाकघर, बैंक, बिजली का बिल कलेक्शन बूथ की सुविधायें किस-किस कालोनी में प्राधिकरण ने प्रदत्त की है ? जिन कालोनियों में से उपरोक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है ? उनमें उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही सभी कालोनियों में पार्क, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, खेल के मैदान, पुलिस चौकी, डाकघर इत्यादि सुविधायें नियोजित की गई हैं, विभिन्न कालोनियों में विकास कार्यों के साथ-साथ इन जन सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है ।

प्राधिकरण की जिन कालोनियों में उक्त सुविधायें अभी पूर्ण नहीं हुई हैं उनमें लगातार विकास का कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संस्थाओं को आवंटित की गई भूमि की जानकारी

136-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पिछले 5 वर्षों में प्रचलित सेक्टर दरों से कम पर किस-किस संस्था को और किस-किस उद्देश्य के लिये कितनी-कितनी भूमि आवंटित की है ? किन-किन संस्थाओं का प्रीमियम का पूरा धन लिये बिना ही भूमि का कब्जा आवंटियों को दे दिया गया ? उनमें से किस संस्था के पक्ष में पट्टा अभिलेख निष्पादित हो चुका है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा श्री कृष्ण चैरिटेबुल ट्रस्ट, गुरु रविदास टेम्पल ट्रस्ट, दिव्य ज्योति संस्था (कला-निकेतन), श्री केशव सेवा सहकारी समिति को जिनका उद्देश्य क्रमशः सामाजिक एवं जन उपयोगी कार्य, धार्मिक व शैक्षिक, प्रदर्शन एवं कला प्रचार तथा धार्मिक चिकित्सालय है, क्रमशः 4,000 वर्ग गज, 4,624 वर्ग मीटर, 12,144 वर्गमीटर तथा 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

श्री कृष्णा चैरिटेबुल एवं श्री केशव सेवा समिति से प्रीमियम की पूरी धनराशि जमा कराये बिना ही कब्जा दिया गया है। श्री गुरु रविदास टेम्पल ट्रस्ट का आवंटन से पूर्व ही अनाधिकृत कब्जा है। दिव्य ज्योति (कला निकेतन) को अभी कब्जा नहीं दिया गया। किसी भी संस्था के पक्ष में अभी पट्टा अभिलेख निष्पादित नहीं हुआ है।

जनपद गाजियाबाद में राजेन्द्र नगर से आराधना सिनेमा तक गन्दे जल का प्रवाह

137-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्दे पानी की निकासी हेतु एक नाला राज्य कर्मचारी बीमा निगम के चिकित्सालय राजेन्द्र नगर साहिबाबाद जिला गाजियाबाद के आराधना सिनेमा जनकपुरी के सामने से जो जी0टी0 रोड गाजियाबाद तक आता है, की पिछले कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है ? क्या सफाई न होने के कारण अनेक आवासीय बस्तियों वृन्दाबन गार्डेन आदि में गंदा पानी भरा रहता है ? क्या उक्त नाले की सफाई व पानी की निकासी की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

नगर निगम गाजियाबाद एवं विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा राजेन्द्र नगर से आराधना सिनेमा तक प्रश्नगत नाले की सफाई करा दी गई है।

नाले के बीच में छोटी-छोटी कई पुलियां बनी होने के कारण यह नाला पूरी क्षमता के साथ सम्पूर्ण क्षेत्र के पानी का निस्तारण नहीं कर पाया है तथा जलप्रवाह में व्यवधान होता है जिसके कारण वर्षा में वृन्दावन गार्डेन व निकटवर्ती आवासीय बस्तियों में जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में जलप्लावन की स्थिति नहीं है। सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के विस्तार में आने वाले गांवों को स्लम एरिया बनने से बचाने के लिये उन्हें विकसित करते हुये खड़ंजा, पेयजल, विद्युत आदि का सुविधायें उपलब्ध कराना

138-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजना के विस्तार में आने वाले गांवों की पुरानी आबादी को स्लम एरिया बनने से बचाने के लिये उन गांवों के विकास की क्या योजना है ? इस विकास योजना में किस-किस गांव को शामिल किया गया है तथा उन गांवों में क्या क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के विस्तार में आने वाले गांवों की पुरानी आबादी को सुनियोजित ढंग से विकसित करते हुये प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही योजनाओं के विकास कार्यों से ही जोड़ते हुये कार्यवाही की जाती है। प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कालोनियों में जो गांव आते हैं उनको स्लम एरिया बनने से बचाने के लिये उन गांवों का विकास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत गांवों में गलियों में खड़ंजा लगवाना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना व जलोत्सारण से संबंधित कार्य आदि सम्मिलित होते हैं। विद्युत सुविधा भी गांवों में उपलब्ध कराई जाती है। गाजियाबाद विकास द्वारा जो भी कालोनी विकसित की जा चुकी है उनमें से कई गांवों में जैसे रजापुर, रईसपुर, नासिरपुर, मकनपुर व भिर्जापुर आदि हैं, में उक्त सुविधायें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और भी गांव प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कालोनियों में आयेंगे, उनमें भी उपरोक्त सुविधाओं का प्राविधान है।

लखनऊ स्थित लोहियानगर विकास कालोनी के सेक्टर-6 के क्षतिग्रस्त विद्युत खम्भों की मरम्मत करने तथा विद्युत आपूर्ति करने की मांग

139-श्री राधेश्याम शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर स्थित लोहिया नगर (आवास विकास निर्मित) विकास नगर कालोनी के सेक्टर-6 में जल संस्थान कार्यालय के पीछे पार्क के मकान संख्या-6/201 से 205 तक बिजली की लाइन आंधी से खम्भा गिर जाने के कारण विगत लगभग तीन वर्षों से टूटी पड़ी है ? यदि हां, तो उक्त

वी0 एन0 6/32-33-34 नम्बर के पोल को पुनः गाड़ कर सरकार द्वारा वहां के निवासियों को कब तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

क्षतिग्रस्त खम्भों से दिये गये संयोजनों को वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत आपूर्ति दी जा रही है । क्षतिग्रस्त खम्भा सं0 6/34/2 के मध्य एल0टी0 लाइन पुनः बनाई जा रही है । खम्भा सं0 6/34/2 तथा 6/34/3 के मध्य लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है । यह कार्य जनवरी, 95 के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोहिया नगर (विकास नगर) कालोनी, लखनऊ के सेक्टर-6 में स्थित डिस्प्ले सेन्टर पार्क के चारों ओर भीषण जलभराव के निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही

140-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लोहिया नगर (विकास नगर) कालोनी लखनऊ के सेक्टर-6 स्थित डिस्प्ले सेन्टर पार्क, जिसमें जल संस्थान का दफ्तर है, के चारों ओर गली व सड़क की सोलिंग/लेपन व नाली न बना होने के कारण वहां के निवासियों को वर्ष 1985 से अब तक भीषण जलभराव का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक वहां पर नालियों के खड़ंजा व नाली पक्की बनवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

वर्षाकाल में प्रश्नगत स्थल पर स्थानीयरूप से अल्पकालिक जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत कार्यों के लिये विशेष अनुदान देकर इन्हें कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के यहियागंज वार्ड के मोहल्ला अशफाबाद में स्वीकृत हैण्ड पम्प अविलम्ब लगवाये जाने की मांग

141-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक कोटे से लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के यहियागंज वार्ड में अशफाबाद मोहल्ला स्थित सन्तोषी माता के मन्दिर के किनारे मकान संख्या 295/36 के पीछे चौड़ी गली में एक इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प जल निगम, लखनऊ द्वारा लगवाये जाने के संबंध में विधायक श्री राम कुमार शुक्ल का पत्र दिनांक 4-10-1994 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो विधायक द्वारा की

गई अपेक्षानुसार वहां पर कब तक श्रद्धालुओं के लिये पेयजल समस्या के समाधान हेतु एक झण्डया मार्क-2 नलकूप शासन द्वारा लगवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जल संस्थान, लखनऊ के कुछ दैनिक वेतन भोगी बिल सवेरों को नियमित किये जाने विषयक निर्णय की जानकारी

142-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल संस्थान, लखनऊ में कार्य कर रहे दैनिक वेतन व नियत वेतनभोगी (कुशल/अकुशल) बिल सवेरों की सेवा में विनियमित किये जाने के प्रकरण पर सरकार कब तक अन्तिम निर्णय ले जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1983 व 1984 के शासनादेश के अनुसार किस वर्ष तक कार्य कर चुके, कितने संवाधि के बिल सवेरों के बारे में सरकार विनियमितीकरण की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

लखनऊ जल संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-10-89 को तीन वर्ष की लगातार सेवा तथा प्रत्येक वर्ष में 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी करने वाले लखनऊ जल संस्थान के 15 दैनिक वेतन भोगी बिल सवेरों को शासन द्वारा पद सृजित किये जाने के फलस्वरूप नियमित किया जा चुका है । शेष 32 को बिना पद सृजन किये जल संस्थान, लखनऊ ने अपने स्तर से दैनिक वेतन पर नियुक्त कर लिया है जिसके लिये पद सृजन का और उन्हें विनियमित करने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

जनपद गाजियाबाद में हापुड़ की गरीब बस्तियों में शौचालय बनाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये निर्देश की जानकारी

143-श्री गजराज सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30-6-94 को प्रश्नकर्ता ने हापुड़ की गरीब बस्तियों में शौचालय बनाने के विषय में एक पत्र उनको दिया था, जिस पर निदेशक, नोएडा को सुलभ शौचालय नोएडा द्वारा बायोगैस के निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये निर्मित आवासीय कालोनी की भूमि परिषद् के संचालक मण्डल द्वारा क्रय किया जाना

144-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में इन्द्रलोक कालोनी, लखनऊ मुख्यालय शक्ति भवन से 12 किलोमीटर दूर तथा मुख्य मार्ग से 3 कि0मी0 दूर क्यों बनाई गई जबकि उससे कम दामों पर मुख्य मार्ग, ही उपयुक्त एवं कम दर पर भूमि उपलब्ध थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह भूमि किससे किस दर पर तथा कितनी खरीदी गई एवं किस अधिकारी द्वारा खरीदने हेतु अनुमोदित किया गया ? इस कालोनी में कुल कितने प्रकार के आवास हैं ? उक्त आवास कितनी अवधि से खाली पड़े हैं ? क्या यह सत्य है कि चन्द्रलोक कालोनी में आवंटन हेतु होड़ लगी है ? यदि हां, तो ऐसे गलत स्थान पर कालोनी बनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया ? इससे परिषद् को कुल कितनी क्षति पहुंची है ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके नाम, पदनाम एवं तैनाती स्थान क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ नगर में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु भूमि के लिये निविदायें आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त निविदाओं में मुख्य मार्ग पर एवं कम दर पर उपलब्ध किसी भूमि का आफर प्राप्त नहीं हुआ था।

यह 8,31,790.84 वर्ग फीट भूमि मेसर्स कृष्णा कालोनाइजर्स से रुपये 1.97 प्रति वर्ग फीट की दर से क्रय की गयी थी। इसके क्रय करने का निर्णय राज्य विद्युत परिषद् के संचालक मण्डल द्वारा लिया गया था।

इस कालोनी में पांच प्रकार के आवास हैं। अब तक कुल 396 विभिन्न प्रकार के आवास अध्यासन के लिये तैयार किये जा चुके हैं। इनमें से कुल 16 आवास आवंटन अथवा आवंटन के पश्चात् अध्यासन किये जाने की प्रक्रिया में हैं। इन 16 आवासों में से सबसे अधिक अवधि से रिक्त आवास 1-8-1992 से खाली है और सबसे कम अवधि में रिक्त आवास 10-1-1995 से खाली है। उक्त खाली आवासों में टाइप एक व टाइप पांच का कोई भी आवास खाली नहीं है।

अधिकारी/कर्मचारी अपनी निजी सुविधा के अनुसार कालोनियों को वरीयता देते हैं। चन्द्रलोक कालोनी में भी अद्यतन स्थिति में 2.4 प्रतिशत आवास आवंटन/अध्यासन की प्रक्रिया में है, जबकि इन्द्रलोक कालोनी में यह प्रतिशत 4.05 है।

इन्द्रलोक स्थित प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु आमंत्रित खुली निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं पर सम्पूर्णता में विवेकपूर्ण निर्णय राज्य विद्युत परिषद् के संचालक मण्डल द्वारा लिया गया था। प्राप्त निविदाओं में मुख्य मार्ग पर एवं कम दर

पर उपलब्ध किसी भूमि का आफर प्राप्त नहीं हुआ था। इस निर्णय से राज्य विद्युत परिषद् को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा "अ" तापगृह सोनभद्र में क्लोरिफाइड वाटर प्रणाली में घांधली

145-श्री वासुदेव सिंह, श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा 'अ' तापगृह सोनभद्र में क्लोरिफाइड वाटर प्रणाली के अन्तर्गत ठेकेदार को 1 फीट व्यास की लगभग 2 कि0मी0 लम्बी सी0आई0 पाइप लाइन डालनी थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पाइप लाइन डलवाये बिना सम्पूर्ण भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया था एवं बाद में अनपरा 'ब' तापगृह के दूसरे ठेकेदार मेसर्स मितसुई कम्पनी द्वारा दूसरा भुगतान करके उक्त पाइप डलवाया गया था ? यदि हां, तो इससे विद्युत परिषद् को कितनी हानि उठानी पड़ी ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मई, 1985 में अनपरा 'अ' ताप विद्युत गृह के निर्माण के समय एक फीट व्यास की 1.0 किलोमीटर लम्बी एम0एस0 पाइप लाइन फायर वाटर पम्प हाउस को पानी देने के लिये आक्जलरी पम्प हाउस के निकट डाली गई थी। बाद में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सलाह पर इसे निकालकर दूसरी जगह प्रयोग में लाया गया। सन् 1992 में अनपरा 'ब' ताप विद्युतगृह के निर्माण के लिये मेसर्स मितसुई कम्पनी द्वारा एक फीट व्यास की पाईप लाइन आक्जलरी पम्प हाउस के निकट से उक्त विद्युत गृह के फायर पम्प हाउस तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सलाह पर डाली गई।

सन् 1985 में अनपरा 'ब' ताप विद्युत गृह में होने वाले कार्यों का कोई अनुमान नहीं था, अतः उक्त पाइप लाइन का कार्य समय की आवश्यकता के अनुरूप परिषदीय हित में ही किया गया था।

प्रश्नगत कार्य समय की आवश्यकता के अनुरूप परिषदीय हित में ही किया गया था, अतः इसके लिये किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी आवास समितियों के मानचित्रों को स्वीकृत करने का अधिकार आवास विकास परिषद् को सौंपने की मांग

146-श्री रमेश कान्त लवानिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी आवास समितियों के नक्शे पास करने तथा बाह्य विकास कार्यों को विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर आवास विकास परिषद् को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सहकारी आवास समितियों के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को प्रदत्त है। अतः यह कार्य उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर में बिना कटौती के लगातार 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की मांग

147-श्री रमेश कान्त लवानियां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में बिना कटौती के लगातार 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने पर विचार शासन कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के कस्बा अतर्रा के निवासियों को जिला पावर वितरण खण्ड की सहमति व अनुमोदन के आधार पर विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किया जाना

148-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरीयता क्रम भंग करके जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के कस्बा अतर्रा निवासीगण क्रमशः चुन्ना प्रसाद कुशवाहा, राजेन्द्र कुमार, शिव प्रसाद शिवहरे एवं आनन्द आटा चक्की को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बांदा के द्वारा पावर कनेक्शन स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बित करने का आदेश पारित करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत उपभोक्ता श्री शिव प्रसाद शिवहरे के 10 अश्व शक्ति आयल स्पेलर हेतु भार 30-11-88 को जिला पावर वितरण खण्ड समिति द्वारा कुल 132 आवेदकों के साथ तृतीय वरीयताक्रम में (लघु एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत) समिति के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत किया गया था तथा संयोजन दिनांक 2-7-91 को अवमुक्त किया गया था। उपभोक्ता आनन्द आटा चक्की न होकर आनन्द कुमार चतुर्वेदी का 10 अश्व शक्ति भार आयल स्पेलर हेतु दिनांक 23-2-89 को जिला पावर वितरण समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था एवं दिनांक 7-9-90 को कनेक्शन अवमुक्त कर दिया गया था।

उपभोक्ता श्री चुन्ना प्रसाद कुशवाहा एवं श्री राकेश कुमार के विद्युत भार की स्वीकृति दिनांक 25-11-92 को जिला प्राधिकृत समिति की बैठक में स्वीकृत किये गये।

दिनांक 25-11-92 को बैठक में स्वीकृत कुल 8 आवेदकों के भार जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति तथा समिति द्वारा इकाइयों की मशीनों की स्थापना एवं

अन्य प्रगति को दृष्टिगत करते हुये उस समय उपलब्ध भार 90 अश्व शक्ति के अन्दर परोयता मान कर की गई यह दोनों संयोजन क्रमशः दिनांक 30-12-92 एवं 22-10-93 को अंवमुक्त किये गये।

उपरोक्त वर्णित उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की स्वीकृति पर निर्णय सीमित का जिला पावर वितरण खण्ड की सहमति व अनुमोदन के आधार पर की गई है। अतः इस विषय में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

झांसी डिवीजन जल संस्थान इकाई द्वारा बांदा नगर के सम्पादित कराये गये विभिन्न कार्यों का भुगतान करने की मांग

149-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी डिवीजन जल संस्थान इकाई बांदा द्वारा विगत वर्ष 1992 में बांदा नगर क्षेत्र में सम्पादित करवाये गये विभिन्न मरम्मत संबंधी कार्यों का रुपये मु0 18709.70 श्री अजमत अली खान निवासी बाबूला चौराहा, बांदा को अवर अभियन्ता की जांच के पश्चात् भी अब तक भुगतान न किये जाने के कारण क्या है ? क्या मंत्री जी झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी के अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक को प्रश्नगत प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही के आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जल संस्थान झांसी से प्राप्त सूचनानुसार शाखाधिकारी द्वारा श्री अजमत अली खान को प्रमाणित/सत्यापित प्राप्त बीजकों का रु0 7,509.20 का भुगतान किया जा चुका है। शेष रु0 11,200.50 पैसे मात्र के बीजक अभी तक शाखा में भुगतान हेतु प्राप्त नहीं हुये हैं, न ही अभिलेखानुसार इनके कार्यादेश आदि उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका बांदा द्वारा ठेकेदार श्री रफजत अली खान को उनके द्वारा कराये गये कार्यों के लिये भुगतान न दिये जाने के कारणों की जानकारी

150-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बांदा द्वारा करवाये गये ठेके के कार्यों का भुगतान रु0 48,200 ठेकेदार श्री रफजत अली खान को न किये जाने के कारण क्या है ? क्या मंत्री जी संदर्भित धनराशि भुगतान न किये जाने के आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायालय के निर्णयोपरान्त कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला एकजान नगर, कैम्पवेल रोड बाबली लखनऊ में स्वीकृत हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

151-श्री गनपत सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला एकजान नगर, कैम्पवेल रोड, बाबली, लखनऊ में पानी की किल्लत हेतु एक इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु यहां के निवासियों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र उन्हें व राज्य मंत्री, नगर विकास को क्रमशः 19-4-94 व 4-7-94 को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो क्या उनके व राज्य मंत्री, नगर विकास तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा क्रमशः दिनांक 25-4-94 व 5-7-94 तथा 6-7-94 को हैण्ड पम्प लगाने के आदेश दिये गये थे ? क्या उक्त आदेशों के क्रम में जल संस्थान, लखनऊ के सचिव द्वारा दिनांक 6-5-94 व 13-7-94 को जल निगम, लखनऊ को इस हेतु प्रस्ताव भेजा था ? यदि हां, तो क्या हैण्ड पम्प लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? हैण्ड पम्प कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । धनाभाव के कारण ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

विराट खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ में निर्माण कराये जा रहे मकान सामग्रियों की जांच

152-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विराट खण्ड गोमती नगर लखनऊ फेज-2 में ठेकेदारों द्वारा मानक के आधार पर सीमेंट, बालू न लगाकर निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार टी० ए० सी० द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह सही नहीं है ।

इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, लखनऊ द्वारा जांच करायी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोमती नगर लखनऊ के नेहरू इन्कलेव में किसानों की जमीन पर लगे फसल के मुआवजे में अनियमितता बरतने के विरुद्ध जांच

153-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर, लखनऊ के नेहरू इन्कलेव में किसानों के जमीन पर लगे फसल के मुआवजे में अधिकारियों/द्वारा

अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है ।

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा आवास ला-प्लास के आवंटन में धांधली

154-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ल0वि0प्रा0 के सचिव द्वारा ला प्लास में अपने पुत्र एवं अपनी पत्नी के नाम से तीन फ्लैट आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुत्र एवं पत्नी के नाम से कोई भी आवास ला प्लास में आवंटित नहीं किया गया है । सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पदनाम से विभागीय आवास ला प्लास में आवंटित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति लि0 दिलावरपुर, विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के पूर्व सचिव तथा मृतक, श्री भोला नाथ मिश्र की पत्नी को बकाया धनराशि का भुगतान

155-श्री परशुराम यादव-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि भोलानाथ मिश्र, सचिव, साधन सहकारी समिति लि0 दिलावरपुर, विकास खण्ड पूरनपुर, जनपद पीलीभीत का देहावसान सेवाकाल में ही हो चुका है ? यदि हां, तो क्या मृतक भोलानाथ मिश्र की विधवा को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सामूहिक बीमा का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां ।

इस वर्ग के कर्मचारियों को केवल सामूहिक बीमा का भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।

जीवन बीमा निगम से क्लेम प्राप्त होते ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम करम डांडा के निवासियों के मकानों के ऊपर से विद्युत विभाग द्वारा खींची गई विद्युत लाइन को हटाये जाने की मांग

156-श्री परशुराम यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के ग्राम करम डांडा के

निवासियों के घरों के ऊपर से विद्युत विभाग द्वारा 11 के0वी0 की विद्युत लाइन खींचे जाने से उत्पन्न खतरे से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-3-94 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो विद्युत लाइन हटाये जाने की कार्यवाही कब तक पूरी करा ली जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

मामले की जांच कराने पर यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि ग्राम करमडांडा स्थित 11 के0वी0 शाहगंज लाइन का निर्माण लगभग 20 वर्ष पूर्व आर0एस0 ज्वायस्ट के खम्भे लगा कर किया गया था तथा तभी से उक्त लाइन से विद्युत आपूर्ति हो रही है । ग्रामवासियों द्वारा तत्पश्चात् इस लाइन के नीचे मकानों का निर्माण कराया गया है । ऐसे मामलों में जिनमें पूर्व निर्मित विद्युत लाइन के नीचे बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्माण कार्य कराये जाते हैं, उक्त लाइन का विभागीय व्यय पर हटाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

नगर पंचायत सिसवां बाजार, जनपद महराजगंज द्वारा क्रय की गई भूमि पर डाली गई नींव के ईंटों को कर्मचारी द्वारा चोरी करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

157-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज ने कार्यालय के लिये राजस्ट्रो बैनामा द्वारा दिनांक 8-12-64 को आराजी संख्या 804/12 डि0 व 1012/138 कुल डेढ़ एकड़ जमीन क्रय किया था ? उक्त भूमि पर क्या समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश संख्या 7/71/5 अक्टूबर 29-1971 द्वारा मंत्री भवन निर्माण हेतु 22,500 रुपया नगर पंचायत, सिसवां बाजार को अनुदान आवंटित किया था ? क्या उस धनराशि से चार कमरों की नींव इसी भूमि पर निर्मित कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डाली गयी नींव की ईंट को नगर पंचायत के किसी कर्मचारी द्वारा उखाड़कर क्रय की गई भूमि की चहारदीवारी बनाकर अवैध कब्जा करके अपने निजी बने मकान में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक नगर पंचायत की भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाने एवं सरकार सम्पत्ति की जो चोरी की गई है उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

नैपियर रोड, सचिवालय कालोनी में बन्द नालियों के कारण हुई गन्दगी की विशेष गैंग द्वारा सफाई करवाने की मांग

158-श्री बिहारी लाल आर्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नैपियर रोड सचिवालय कालोनी में गन्दगी होने एवं नालियों के बन्द पड़े होने विषयक श्री फ्रांसिस डब्लू0 मुर, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र उन्हें दिनांक 26-8-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

विशेष गैंग लगाकर दिनांक 25 अक्टूबर, 1994 से 30 अक्टूबर, 1994 तक संतोषजनक रूप से सफाई करवा दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

ठाकुरगंज, लखनऊ स्थित नैपियर रोड सचिवालय कालोनी में टूटी नालियों का निर्माण तत्काल कराने की मांग

159-श्री बिहारी लाल आर्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि ठाकुरगंज, लखनऊ स्थित नैपियर रोड सचिवालय कालोनी के ब्लाक नम्बर-17 के सामने जो नाली पानी निकासी हेतु बनायी गई थी, के टूट कर बन्द हो जाने के कारण उक्त रोड पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहां के निवासियों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और साथ ही गन्दगी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त नाली का तत्काल निर्माण कराकर वहां के निवासियों को राहत पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत नाली का निर्माण यथाशीघ्र करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में खड़ंजा निर्माण में तकनीकी कमियों की जांच

160-श्री बिहारी लाल आर्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कस्बा रुदौली, जनपद बाराबंकी में गलियों/सड़कों पर लगाये गये खड़ंजे की ईंटों में तकनीकी कमियों एवं नालियों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम आसरे वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 17-1-94 श्री डब्लू0 एच0 हसनी, निवासी रुदौली, बाराबंकी के प्रार्थना-पत्र सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने

का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी जनहित में उक्त कस्बे में खड़ंजा निर्माण में तकनीकी कमियों की जांच करायेंगे और नालियों का निर्माण/मरम्मत करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

कार्यवाही की जा चुकी है ।

खड़ंजे के निर्माण की तकनीकी जांच की जा चुकी है । निर्माण कार्य सन्तोषजनक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक अकोला के ग्रामों में शुद्ध पेयजलापूर्ति की मांग

161-श्री बदन सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक अकोला में स्थित ग्राम नहचानी, नगला झब्बा व हन्नू और सलेमाबाद में प्रदूषित पेयजलापूर्ति से सांस, दमा और कुबड़ा रोग ग्रामवासियों में फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या पाइपड़ लाइन (ग्राम समूह पेयजल योजनाओं) द्वारा शुद्ध पेयजलापूर्ति दिलाने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी नहीं ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक अकोला में स्थित ग्राम नहचानी, नगला झब्बा व हन्नू को हैण्ड पम्पों द्वारा और ग्राम सलेमाबाद को हैण्ड पम्पों एवं पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है । परीक्षण कराने पर पेयजल निर्धारित मानकों के अनुसार पाया गया ।

प्रश्नाधीन ग्रामों को आपूर्ति कराया जा रहा जल शुद्ध ही है । शासन की नीति के अनुसार जिन ग्रामों में हैण्ड पम्प सफल हैं और उनका पानी पीने योग्य है, उन्हें हैण्ड पम्पों द्वारा ही पेयजल उपलब्ध कराने की नीति है । इस दृष्टिकोण से ग्राम नहचानी, नगला, झब्बा व हन्नू के लिये पाइप पेयजल योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

क्षेत्रीय सहकारी समिति उदेतपुर एवं सहकारी संघ लेजार, जनपद महराजगंज में गबन करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

162-श्री शिवेन्द्र-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0, उदेतपुर व क्षेत्रीय सहकारी संघ, लेजार, महादेवा विकास खण्ड फरेन्दा, जनपद

महराजगंज में सहायक निबन्धक, महराजगंज के आदेशानुसार जांच अधिकारी द्वारा क्रमशः 20 व 30 हजार रुपये का गबन पाया गया है ? इस गबन में कौन-कौन लोग शामिल हैं ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां ।

जांच अधिकारी की अन्तरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय सहकारी समिति उदितपुर में रु0 1,03,409.85 एवं आभिलेख तथा सहकारी संघ लेजार महादेवा में रु0 25,569.89 का गबन पाया गया है ।

इस गबन में श्री लालता प्रसाद प्रभारी सचिव, क्षेत्रीय सहकारी समिति, उदितपुर एवं सहकारी संघ लेजार महादेवा दोषी पाये गये हैं ।

श्री लालता प्रसाद को प्रत्यावर्तित कर उनके मूल पद पर समिति को वापस कर दिया गया है । श्री लालता प्रसाद समिति के कर्मचारी हैं । समिति के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार समिति के संचालक मण्डल में निहित है । कार्यवाही हेतु अध्यक्ष/सचिव को निर्देशित किया गया है । श्री लालता प्रसाद के विरुद्ध वांछित सिविल एवं पुलिस कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन की जानकारी

163-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लिये प्रतिदिन विद्युत की आवश्यकता कितनी है ? कितना उत्पादन प्रदेश की इकाइयां कर रही हैं ? यू0पी0 ए एस0ई0बी0 आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करने की स्थिति में कब तक आ जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान में प्रदेश की विद्युत की कुल प्रतिबन्धित मांग 110 मि0यू0 प्रतिदिन है । प्रदेश की इकाइयां औसतन 60.0 मिलियन यूनिट प्रतिदिन उत्पादन कर रही हैं ।

आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होने के कारण समयाबंध इंगित करना सम्भव नहीं है ।

164-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

(दूसरे बुध में अता0प्र0सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

उ0प्र0 नगर महापालिका सेवा नियमावली के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के अकेन्द्रीयत कर्मचारियों का स्थायीकरण किये जाने की मांग

165-श्री राजेन्द्र सिंह (बिजनौर)-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के समस्त अकेन्द्रियत संवर्गों में कितने कर्मचारी स्थाई एवं अस्थाई हैं ? इस विभाग में

स्थाई करने के लिये क्या प्रावेधान हैं ? क्या स्थायीकरण करने की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है ? क्या उन्हें स्थायी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अकेन्द्रीयित संवर्ग में कुल 1233 कर्मचारियों में से 250 स्थायी तथा 983 अस्थायी हैं ?

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अकेन्द्रीयित सेवा विनियमावली अभी बनी नहीं है। अत. उ0प्र0 नगर महापालिका सेवा नियमावली, 1962 के नियम 24 के अधीन स्थायी किये जाने का प्राविधान है जिसके अनुसार परिवीक्षा अवधि का कार्य व आचरण संतोषजनक पाये जाने पर ही स्थायीकरण किया जाता है।

कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी पदों की उपलब्धता तथा निर्धारित अर्हता/पात्रता पूर्ण होने पर ही किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र 'अ' के निर्माण की जानकारी

166-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना 'अ', सोनभद्र में उसके निर्माण के समय कुल कितनी सी0जी0 आई0 (कोरोगेट गैलोनाईज आयरन) शीटें खरीदी गई थीं ? यह कहां-कहां लगवाई गईं ? क्या उन शीटों को किसी अनुबन्ध के तहत उखड़वाया गया था ? यदि हां, तो कुल कितनी शीटें उखड़वाई गईं और वे इस समय कहां हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शीटों के उपलब्ध होते हुये भी क्या महाप्रबन्धक, अनपरा ने वर्ष 1993 में टाण्डा तापगृह से शीटें मंगवाई थीं ? यदि हां, तो क्यों ? कुल कितनी शीटें मंगवाई गईं और कहां-कहां लगवाई गईं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित विद्युत परिषदीय आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे अधिकारियों से पेनल रेंट से कटौती की मांग

167-श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित विद्युत परिषदीय आवासों में वर्ष 1988 से 6-10-94 तक अनाधिकृत

रूप से कौन-कौन अधिकारी स्थानान्तरण के उपरान्त भी आवंटित आवासों में कितनी अवधि तक रहते रहे हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितनों से पेनल रेंट से कितनी कटौती की गई तथा कितनों से नहीं की जा रही है ? इस भेदभाव का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम पडीरा खुर्द, पोस्ट भैरमपुर, विकास खण्ड बछरावां, जनपद रायबरेली में विद्युतीकरण की मांग

168-श्री बी0 के0 गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पडीरा खुर्द, पोस्ट भैरमपुर, विकास खण्ड बछरावां, जनपद रायबरेली में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लगभग 6 वर्ष पूर्व खम्भे लगाये गये थे ? यदि हां, तो उक्त खम्भों में अभी लाइन न बिछाये जाने का कारण क्या है ? उक्त गांव का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? उक्त कार्य में विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ग्राम पडीरा खुर्द का विद्युतीकरण का कार्य एल0टी0 मेन्स द्वारा मार्च, 1977 में प्रारम्भ किया गया था तथा 11 के0वी0 लाइन व 11/4 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूरा करने के साथ-साथ एल0टी0 लाइन के खम्भे भी खड़े कर दिये गये थे।

अवशेष कार्यों के लिये भण्डार सामग्री उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में कार्य पूरा नहीं किया जा सका, जिसका मूल कारण उक्त ग्राम का जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा बाद के वर्षों में चयन न किया जाना रहा है। उक्त ग्राम के जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा पुनः चयनित करने के उपरान्त ही अवशेष कार्य कराये जा सकेंगे।

उक्त कार्य में विलम्ब के लिये प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कार्य में विलम्ब के मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव तथा ग्रामों के चयन की प्रक्रिया रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु डाली गई पाइप लाइनों की जानकारी देने की मांग

169-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्दिरानगर, ए ब्लाक 1407/1 से 1407/11 लखनऊ के भवनों में आवास विकास परिषद् द्वारा पानी की समुचित

व्यवस्था हेतु कितने इंच का पाइप डाला गया था ? क्या गनेशराम व त्रिलोकीनाथ नामक बाहरी व्यक्तियों को विजय कुमार जी संस्थान जोन-5 द्वारा अवैध रूप से कनेक्शन दिया गया है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में आपत्तियों द्वारा दिनांक 3-7-90 को कोई शिकायती-पत्र विभाग में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इस प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इन्दिरानगर योजना, लखनऊ 'ए' ब्लाक, सेक्टर 4 में स्थित भवन संख्या 1407/1 से 1407/11 में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु 2 इंच पाइप लाइन डाली गई थी।

श्री गनेशराम व त्रिलोकीनाथ जो इन्दिरानगर नगर सीमा के अंतर्गत के अध्यासी हैं, को लखनऊ जल संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त प्लम्बर के माध्यम से जल संयोजन प्रदान किये गये हैं। श्री विजय कुमार जल संस्थान जोन-5 द्वारा अवैध रूप से कनेक्शन नहीं दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशराम व त्रिलोकीनाथ लखनऊ निगम सीमा के अन्तर्गत आते हैं। इनको उ0प्र0 सम्भरण एवं सीवरेज व्यवस्था अधिनियम, 1975 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार जल संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जा रही मुख्य वितरण प्रणाली से 100 मीटर के अन्तर्गत आने के कारण जल संयोजन देय था। अतः इन्हें नियमानुसार लखनऊ जल संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त प्लम्बर के माध्यम से समस्त विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये जल संयोजन प्रदान किये गये हैं, जो वैध हैं।

विद्युत वितरण खण्ड, गोमतीनगर, जनपद सुल्तानपुर के अधीन इण्डस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर में मेसर्स आरिफ सीमेंट इण्डस्ट्रीज पर बकाये धनराशि का विवरण

170-श्री रमाकान्त यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर के अधीन इण्डस्ट्रियल एरिया, जगदीशपुर में मेसर्स आरिफ सीमेंट इण्डस्ट्रीज पर माह दिसम्बर, 1994 तक विद्युत का कुल कितना बकाया था ? इस बकाये में कितना लेट पेमेंट एवं कितनी धनराशि सरचार्ज की शामिल रही है ? क्या विद्युत परिषद् ने वर्ष 1993 में लेट पेमेंट या सरचार्ज समाप्त किया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या सरकार ने इस फर्म के विद्युत भार बढ़ाये जाने एवं विद्युत चोरी के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण, सुल्तानपुर को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर के अधीन इण्डस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर में मेसर्स आरिफ सीमेंट इन्डस्ट्रीज पर माह दिसम्बर, 1993 तक विद्युत का कुल रु0 8,08,045.99 पैसे बकाया था।

उपरोक्त वर्णित अवशेष धनराशि में लेट पेमेंट सरचार्ज की धनराशि रुपया 2,94,522,83 शामिल है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आटोमेटिक स्टील रोलिंग मिलों द्वारा धोखा देकर चोरी करने के संबंध में विद्युत परिषद् स्तर पर कार्यवाही

171-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने 3-3-94 का एक पत्र कुछ आटोमेटिक स्टील रोलिंग मिलों द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को धोखा देकर चोरी करने के संबंध में दिया था ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

इस विषय पर सतर्कता जांच हो चुकी है। विद्युत परिषद् स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, ब्लाक मछरेहटा, गोदलामऊ मिश्रिख की ततरोई न्याय पंचायत में हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

172-श्री बाल गोविन्द राजवंशी-

क्या गनर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को ब्लाक मछरेहटा, गोदलामऊ मिश्रिख की ततरोई न्याय पंचायत में 500 हैण्ड पम्प लगाने हेतु पत्र दिनांक 1-3-94 को दिया था ? क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उक्त पत्र पर दिनांक 4-3-94 को प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ को आदेशित किया था ? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 सरकार/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधेशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा दिनांक 5-10-94 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार शीघ्र ही 500 हैण्ड पम्पों को लगवाने की कृपा करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज की फरेन्दा टाउन एरिया को नगरपालिका तथा धानी व बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाने की मांग

173-श्री शिवेन्द्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महराजगंज की फरेन्दा टाउन एरिया को नगरपालिका एवं धानी व बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रश्नगत स्थानों को नगरपालिका एवं टाउन एरिया बनाने की घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जनपद महराजगंज की फरेन्दा टाउन एरिया (अभिलेखों में आनन्दनगर टाउन एरिया अंकित) को नगरपालिका तथा धानी व बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाने के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया परन्तु यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जा सकें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के बेतियाहाता पूर्वी योजना, गोरखपुर में सीवर तथा जलापूर्ति व्यवस्था की जानकारी

174-श्री शिवेन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के बेतियाहाता पूर्वी योजना, गोरखपुर में निर्मित स्व वि0 पो0 87 टाइप प्रथम से0 फे0/फे0 व टाइप द्वितीय भवनों एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच तकनीकी सेल से कराने के लिये मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-6-94 शासन में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त योजना में सीवर व जलापूर्ति का कार्य परिषद् द्वारा पूर्ण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 20-6-94 परिषद् में प्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेतियाहाता पूर्वी योजना, गोरखपुर में सीवर तथा जलापूर्ति की आंतारेक लाइनें परिषद् द्वारा डाली जा चुकी हैं । जलापूर्ति की लाईन इसी योजना में जल निगम द्वारा बनायी

गई नयी पानी की टंकी से सम्बद्ध 450 एम0एम0 मुख्य जल वितरण लाइन से जोड़ दी गई है।

सीवेज के अन्तिम निस्तारण हेतु इस योजना की सीवर लाइन नगरमहापालिका द्वारा बनायी जाने वाले सीवेज पम्पिंग स्टेशन से सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है, परन्तु नगरमहापालिका द्वारा सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण अभी तक न किये जाने के कारण इस योजना के सीवेज निस्तारण हेतु अस्थायी पम्पिंग व्यवस्था की गई है।

चूंकि योजना में जलापूर्ति एवं सीवेज निस्तारण व्यवस्था चालू हालत में है तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही स्वतः स्पष्ट है, अतः जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बीकापुर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्पों को लगाये जाने की मांग

175-श्री परशुराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बीकापुर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प 15 एवं टाउन एरिया इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प 10 लगवाये जाने की स्वीकृति की जा चुकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बीकापुर क्षेत्र में उपरोक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प को लगाये जाने हेतु विभाग द्वारा धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक धन उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

अलग से धन उपलब्ध नहीं कराया गया है । सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धन से हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं।

12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में हुई घटना से संबंधित नियम 311 की सूचना सुने जाने की मांग

(श्री हरक सिंह रावत, श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" तथा भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाते हुये अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे। कुछ माननीय सदस्य अपने हाथों में तख्तियों पर लिखे हुये नारे भी दिखा रहे थे। श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री शूरवीर सिंह सजवाण तथा कई अन्य कांग्रेसी सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर चले जायें। मैं सुनूंगा ।

(कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले गये ।)

मैंने नियम 311 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर सुनने के लिये सूचना को स्वीकार किया है । इसमें सबसे पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की है । मैं पहले उन्हें सुनूंगा ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एक साथ पुनः खड़े हो गये और कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे पुनः घोर व्यवस्था हो गया ।)

आप लोग अपने स्थान पर जायं। मैं पहले श्री तिवारी जी को सुनूंगा । आपको पहले नहीं सुनूंगा । जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है । मैं नियमानुसार चलूंगा ।

मुजफ्फरनगर काण्ड की चर्चा सुने जाने हेतु वरीयता के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुये हैं । उन्हें आप सुनें ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें सूचनाओं पर नेता विरोधी दल को वरीयता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । मैं पहले श्री तिवारी जी को ही अनुमति दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल को आप सुनें। उन्हें वरीयता देना आवश्यक है। वह खड़े हुये हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप ही तय कर दीजिये नियम बता दीजिये या फिर ऐसी परम्परा बता दीजिये, दो में से एक के अनुसार तय करना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, नेता विरोधी दल खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

ऐसी कोई बात नहीं है । (व्यवधान) सम्भव नहीं है, नियम विरुद्ध कोई बात नहीं चलेगी। (व्यवधान) जो नियम होगा वही चलेगा ।

श्री हरक सिंह रावत-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं उनको सुन लें। (व्यवधान) उनको न सुनना यह सदन का अवमान है ।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं, देखिये मेरी बात सुन लीजिये, किसी नियम में बता दीजिये या परम्परा बता दीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरक सिंह रावत-

नेता विरोधी दल खड़े हैं। उनको न सुनना सदन की अवमानना है, लोकतांत्रिक परम्पराओं की हत्या है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

माननीय नेता विरोधी दल एक मिनट हमें सुन लें व्यवस्था के प्रश्न पर मान्यवर, आपने मुझे बुलवा लिया है मेरा एक ही अनुरोध है। (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मेरी बात सुन लीजिये व्यवस्था के प्रश्न पर (व्यवधान) अभी सदन उठ नहीं रहा है इसलिये आपको भी अवसर मिलेगा मुझे अनुमति मिल गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर आपत्ति है, इसी पर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको भी सुनूंगा, वर्मा जी ने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

व्यवस्था का प्रश्न बीच में कोई बोल रहा हो तो नहीं उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब बैठें, इस तरह से मैं नही सुनूंगा (व्यवधान) रिकार्ड नहीं किया जायेगा (व्यवधान) इसका कोई वास्ता नहीं आपकी बात नहीं रिकार्ड होगी (व्यवधान) कार्यवाही में नहीं अंकित होगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, पाल साहब आप कहते रहेंगे तो रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राम आसरे वर्मा-

आपने मुझे अनुमति दी है। (व्यवधान)

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

(श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री जगदम्बिका पाल के खड़े रहने पर) माननीय तिवारी जी, माननीय पाल साहब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

(× × ×) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल नहीं, गलत बात है (व्यवधान) कार्यवाही में अंकित नहीं होगा ।

श्री पाल जी मैं आपको नहीं सुनूंगा और न आपकी बात कार्यवाही में लिखी जायेगी। मैंने श्री राम आसरे वर्मा को बुला लिया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको तिवारी जी नहीं सुनूंगा (व्यवधान) मैंने श्री राम आसरे वर्मा को बुला लिया है, मैं उनको सुनूंगा । आप लोग जो बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मुझे दिया है, इसलिये मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मान्यवर, जो बात सदन में इस समय उपस्थित है ।

(भाजपा के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने का आपने पहले समय दिया था, इसलिये पहले मुझे सुन लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले श्री वर्मा जी बोल लें उसके बाद मा0 गुप्त जी आपको मैं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत-

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा । आपने पहले श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बोलने के लिये अनुमति दिया था, इसलिये पहले उनको सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा-

यह भी एक व्यवस्था का सवाल है....(घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत-

पहले आप मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

(घोर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र जी का व्यवस्था का सवाल पहले सुन लीजिये। उसके बाद ही सदन की कार्यवाही चल सकती है। इस तरह से आपके द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान-भा0ज0पा0 की ओर से नारे लगने लगे कि- "अध्यक्ष जी की तानाशाही नहीं चलेगी और असली जालिम कौन है, जो दिल्ली में मौन है")

श्री हरक सिंह रावत-

मान्यवर, सदन परम्पराओ पर चलता है। आपने मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बोलने को कहा है, तो पहले उनको सुन लीजिये, तभी सदन की कार्यवाही चल सकती है।

श्री राम आसरे वर्मा-

मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर.....(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा समय-समय पर जो निर्देश दिये गये हैं, उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि जब कभी सदन में नेता सदन या नेता विरोधी दल खड़े हो जायेंगे, तो सबसे पहले उनको मौका दिया जायेगा। (व्यवधान) तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नेता विरोधी दल जब खड़े हुये तो क्या उनके अतिरेक्त किसी को बोलने का मौका मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी बोल लें दो मिनट में, उनकी बात सुन लेने दीजिये, फिर आप कह दीजियेगा....(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं.....(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

देखिये कि आपके मनमाने ढंग से सदन नहीं चलेगा, यह नियमों से चलेगा।

(घोर व्यवधान) (फिर भाजपा की ओर से जोरों से नारे लगे कि- "असली जालिम कौन है, जो दिल्ली में मौन है"।)

श्री राम आसरे वर्मा-

आपने मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी है (घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता हूं ।

मैं सदन की कार्यवाही को आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, 311 के बारे में निवेदन किया है । मुजफ्फरनगर में काण्ड हुआ, घटना हुई, उसके बारे में चर्चा कराई जाये । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

(व्यवधान)

*श्री प्रमोद तिवारी-

यह महत्वपूर्ण मामला है । नेता विरोधी दल की दिलचस्पी है । मा0 नेता विरोधी दल, चूंकि मुझे बुला लिया गया है । इसलिये मुझे बोलने दें । अगर कोई व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बी0जे0पी0 की होगी । आपने मुझे बुला लिया है इसलिये मुझे बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

मेरा आरोप है कि यह लोग मुजफ्फरनगर की घटना पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं और सरकार को बचाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

जो स्थिति है उस पर ध्यान दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले हमारी बात सुन लें, आप सब बैठ जायें । सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले इसके लिये हम आप सब लोग तय भी कर चुके हैं । यदि चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का भला हो, सदन की कार्यवाही चले इसके लिये दो चीजें हैं । एक तो नियमावली और दूसरी जो हमारी परम्परायें हैं या फिर तीसरी बात सब लोग, नेतागण बैठ जायें और बैठकर तय कर लें कि इस तरह से चले । हम तो सदन चलाने को तैयार हैं लेकिन चलना चाहिये, इसके लिये आप तैयार हो जायें । तीन चीजें हमने रखी हैं उसमें जो उचित समझें करें ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

आपने व्यवस्था क्या दी ? हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपके द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी हुये हैं। आपने स्वीकार किया है कि नेता विरोधी दल और नेता सदन को प्राथमिकता मिलेगी। इसमें नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर हैं और भी कई मा0 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इस सूचना को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। हमारे शिष्टाचार, नियमावली और हमारी परम्परायें जो कहती हैं उस परिपाटी का हम पालन करते हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव के बारे में देखें। मा0 कल्याण सिंह जी के बाद श्री प्रमोद तिवारी हैं। नियमावली के तहत मा0 कल्याण सिंह, नेता विरोधी दल को प्राथमिकता देनी चाहिये। नियमावली से विलग नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

आपने अनुमति मुझे दी और बोल दूसरे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह समस्या पिछले सदन में बहुत जोर पकड़ी थी। उसमें यह तय हुआ था कि जिसकी नोटिस पहले आ जाये उसको प्राथमिकता दी जाये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, परिपाटी यह कहती है, नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर न माने आपकी बात मान लें तो कल्याण सिंह जी का संशोधन एक नम्बर पर नहीं होना चाहिये। मा0 कल्याण सिंह जी की सूचना बहुत बाद में लगी है, उससे पहले मेरी सूचना थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो समस्या है, उसको देख लें।

(व्यवधान)

हमारे पास जिस सीरियल में सूचनायें आयी हैं उसी के अनुरूप हमनें कार्यवाही शुरू की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, उन सूचनाओं में कहीं माननीय कल्याण सिंह की भी सूचना होगी। मैं आपसे किसी के खिलाफ एक भी शब्द भी नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मा0 कल्याण सिंह की सूचना को नियमों के आधार पर सबसे पहले लेना चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आपने पहले मुझको बोलने का अवसर दिया और अब बोलने नहीं दे रहे हैं।...

श्री अध्यक्ष-
आप सदन में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा-
(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री अध्यक्ष-
मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप जो बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-
(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-
नेता जनता दल को अपने सदस्यों को नियंत्रित करना चाहिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-
यह नेता प्रतिपक्ष के विशेषाधिकार का सवाल है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-
जो विषय प्रस्तुत है, माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से और माननीय नेता कांग्रेस की तरफ से उस पर सभी लोगों की सहमति भी है। उसके बाद भी यहां पर इतना शोरगुल हो रहा है यह सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। जैसा कि श्री गुप्त जी ने कहा कि जब नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े हों तो उनको पहले अवसर मिलना चाहिये यह परम्परा अवश्य है लेकिन अपवाद इसके विपरीत भी है। नेता विरोधी दल तो पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उसका भी यह कर्तव्य होता है कि पूरे विपक्ष को विश्वास में लेकर चले।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

जब श्रीमन्, हम तो तो चाहते हैं कि विपक्ष बोले लेकिन विपक्ष चाहता है कि कौन पहले बोले, कितना सशक्त प्रतिपक्ष है, इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव लाने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक प्रकार से यह सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। मा0 गुप्त जी ने प्रश्न उठाया है कि नेता विरोधी दल को पहले बोलने की अनुमति देने की परम्परा रही है तो अपवाद ऐसे भी मिलेंगे कि जिसकी सूचना पहले आई अगर वह बोलने के लिये खड़ा हो गया तो नेता विरोधी दल उसके प्रति आदर करते हुये उसके बाद बोलेंगे। गुप्त जी अपने को संसदीय परम्पराओं का जानकार मानते हैं, हम भी इनको मानते हैं अध्यक्ष के विवेक को चुनौती देना ठीक नहीं है। जब अध्यक्ष का निर्णय हो जाय तब उसका आदर नेता विरोधी दल को और पूरे सदन को करना चाहिये। जब अध्यक्ष का निर्णय हो जाय तो उसमें किसी तरह से टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। हम चाहते हैं कि जो सदन की परम्परायें हैं उनका पालन होना चाहिये। यह परम्परा है कि जब नेता विरोधी दल बोले तो उनको पहले बोलने का मौका मिलना चाहिये लेकिन यह भी परम्परा है कि नेता विरोधी दल को दूसरे विपक्षी दलों का भी आदर करना चाहिये। अन्त में इसका

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

निर्णय तो अध्यक्ष पीठ से ही होगा। अगर अध्यक्ष पीठ का निर्णय हो जाय तो उसको चुनौती देना किसी तरह से संसदीय कार्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने परम्पराओं और पूर्व निर्देशों की बात कही, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी अपवाद की स्थिति हो गई है जिसके तोड़ने की आज आवश्यकता पैदा हो गई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय दिया जाता है, ऐसी परम्परा रही है कि उसका पालन किया जाता है। अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों या निर्देशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। माननीय नेता विरोधी दल को एक विशेषाधिकार प्राप्त है लेकिन उनका कर्तव्य उससे बड़ा है। उन कर्तव्यों का पालन माननीय नेता विरोधी दल भी करें और आप भी करें। अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय का आप आदर करें और आप उसे मानें।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरी भी एक व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी क्या व्यवस्था है।

*श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, एक प्रकरण सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई उस घटना के संबंध में प्रश्न यह है कि इसकी पहल कौन करे? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिये, संसदीय परम्परा रही है कि माननीय नेता विरोधी दल को वरीयता मिलनी चाहिये। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल हमेशा दूसरे सदस्यों को सुनने के बाद निष्कर्ष के रूप में अपनी बात रखते रहे हैं। अब चूंकि सदन के सामने एक विवाद पैदा हो गया है कि माननीय नेता विरोधी दल पहले बोलें या कांग्रेस दल पहले बोलें। इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, अब जब दोनों में झगड़ा है और जनता की ओर से भी इस पर प्रस्ताव दिया गया है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये जनता दल के सदस्यों को पहले सुने।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी व्यवस्था भी आ जाय।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप समय-समय पर अपनी पीठ से निर्णय देते हैं, मैं ध्यान आकृष्ट करते हुये व्यवस्था चाहता हूं कि इस सम्मानित पीठ से पिछले सत्र में एक निर्णय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया गया था। सूचनाओं की ग्राह्यता के संबंध में कुछ विवाद हुआ था कि किसकी सूचना प्राथमिकता के आधार पर अस्वीकार की जाय। उस समय निर्णय हुआ था कि जिसकी नोटिस पहले मिली हो, जिसकी सूचना समय से आयेगी उसको प्राथमिकता के आधार पर हम समय देंगे। (शोर) उस समय निर्णय हुआ था कि जिसकी सूचना पहले आयेगी उसको पहले ग्राह्य किया जायेगा और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में पीठ ने निर्णय लिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात मैंने सुन ली आप विराजिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने की हम लोगों की हिम्मत नहीं है। मान्यवर, यह सरकार अल्पमत में है। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि पहले मैंने तिवारी जी को बुला लिया है, वह बोलेंगे उसके बाद आप सबको बुलाऊंगा। (शोर)

श्री हरक सिंह रावत-

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चलेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे सदन नहीं चलेगा।

(अनेक सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर।)

श्री अध्यक्ष-

मैं मजबूरी में अगली मदें ले रहा हूं। (शोर)

(अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और अध्यक्ष महोदय के आसन की ओर जाने लगे।)

(संसदीय कार्य मंत्री के पुकारे जाने पर।)

(घोर व्यवधान)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुये वर्ष के लिये अनुदान संख्या-3 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1991-92 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1991-92

+ छपे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 15 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य-कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, 1989-90 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष (1989-90) के कार्य-कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन संबंधी शासनादेश संख्या ए-3001/25-सी0एक्स0-(ए)-64, दिनांक 8 जुलाई, 1994 के प्रस्तर-4 (च) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष, 1989-90 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष, 1989-90 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष, 1992-93

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का स्थित पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा वर्ष, 1992-93 को भण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

(कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें पढ़ी हुई मानी गईं ।)

श्री अध्यक्ष-

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2-2-1995 की बैठक में सदन के दिनांक 3 फरवरी, 1995 से 8 फरवरी, 1995

+ छापे नहीं गये ।

नोट :-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(सदन का दिनांक 3 फरवरी, 1995 से 8 फरवरी, 1995 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलेखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :-

फरवरी, 1995

---

3 शुक्रवार

1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

2-5.00 बजे अपराह्न

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 आधा घण्टा ।

(2) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 आधा घण्टा ।

(3) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 आधा घण्टा ।

(4) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1995 आधा घण्टा ।

4 शनिवार
5 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

6 सोमवार

1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2-5.00 बजे अपराह्न

---

(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

(2) विधायी कार्य ।

7 मंगलवार

1-वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-4.00 बजे अपराह्न

---

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 का अन्तरिम आय-व्ययक तथा उसके एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।

(2) वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

8 बुधवार 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
2-5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

(2) दिनांक 3, 6, 7 व 8 फरवरी, 1995 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 ‡

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 ‡

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की सदन की आज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नोटः- ‡ दि0 15-2-95 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 02 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा दो बजे तक के लिये बढ़ा दिया है । 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुन: सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुन: श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में हुई घटना से संबंधित नियम 311 की सूचना सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे मुजफ्फरनगर की घटना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.....

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य उठकर एक साथ बोलने लगे पहले नेता प्रतिपक्ष को सुना जाये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

नोट:- + दि0 15-2-95 के विधायी परिशेष्ट में छपा है ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे-"बलात्कारियों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी"।)

(घोर व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 1 फरवरी, 1995 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(घोर व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 1 फरवरी, 1995 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है" का समर्थन करती हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संशोधन के प्रस्तावकों का नाम पुकारे जाने पर उनके द्वारा संशोधन प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 5 तक व खण्ड 5 तक व खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा। न नाम रम्भ

(2) धारा 2 और धारा 3 दिनांक 16 अक्टूबर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। धारा 4 दिनांक 3 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी;

और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-28 सन् 1979 की धारा 8 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(3) जहां किसी आमोद में प्रवेश के लिये कर सिनेमा परिसर के अनुरक्षण के लिये प्रभार और वायुशीतल या वातानुकूलन सुविधा के लिये अतिरिक्त प्रभार के साथ भुगतान पचास पैसे का गुणक न हो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी बात के होते हुये भी, कर में उस सीमा तक वृद्धि कर दी जायेगी और कर की संगणना इस प्रकार की जायेगी कि आमोद में प्रवेश के लिये ऐसे भुगतान कर सिनेमा परिसर के अनुरक्षण के लिये प्रभार और वायुशीतल या वातानुकूलन सुविधा के लिये अतिरिक्त प्रभार का कुल योग पचास पैसे के अगले उच्चतर गुणक में पूर्णांकित हो जाये और ऐसे परिवर्द्धित कर का भी मालिक द्वारा विहित रीति से संग्रह और सरकार को भुगतान किया जायगा।"

धारा 3-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3-क में उपधारा (1) में, खण्ड (क) के शब्द "पच्चीस पैसे" के स्थान पर, शब्द एक रुपये रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

4-मूल अधिनियम, की धारा 12 में, उपधारा (1) में, खण्ड शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर संशोधन अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अध्यादेश संख्या-1 सन् 1995

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर संशोधन विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संशोधन के लिये प्रस्तावकों का नाम पुकारे जाने एवं उनके द्वारा संशोधन न प्रस्तुत किये जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलेखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा । — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 19 अक्टूबर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन्, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम, संख्या 11, सन्, 1974 की धारा 39-क का संशोधन ।

2-उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 39क के परन्तुक में, खण्ड (क) में शब्द "दो रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन्, 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-3 व खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संशोधन के प्रस्तावकों का नाम पुकारे जाने एवं उनके द्वारा संशोधन प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक व खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1965 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2 दिनांक 30 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, धारा 3 दिनांक 30 नवम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (3) में द्वितीय प्रातेबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1994" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1995 रख दिये जायेंगे ।

धारा 34 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 34 में उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित प्रातेबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

"प्रातेबन्ध यह है कि जहां कोई समिति चीनी उत्पादन में लगी हो और-

(एक) राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूंजी एक करोड़ रुपये से कम न हो, या

(दो) समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश समिति की कुल अंशपूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक हो, या

(तीन) राज्य सरकार ने समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो या समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जिसकी कुल धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग के पचास प्रतिशत से अधिक हो,

वहां राज्य सरकार को ऐसी समितियों और उनकी शीर्ष समिति अर्थात् उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की प्रबन्ध कमेटी का सभापति, जो कि एक सरकारी सेवक होगा, नाम-निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 1994

4-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

वे नहीं रख रहे हैं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-2 में उपधारा (1) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन्, 1995

3-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध के सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मद संख्या-2

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर व डायस पर खड़े रहे और नारे लगाते रहे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्समान 2 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 11 मिनट पद सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री प्रमोद तिवारी तथा अन्य कांग्रेस के सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान ।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आसन ग्रहण करें तब आगे की कार्यवाही होगी ।

(श्री हरक सिंह रावत, श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" तथा कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम 301 के अन्तर्गत 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं:-

पहली सूचना श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी जी की जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम भागवत, ज्ञान प्रकाश व

बृजेश कुमार का वेतन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी भुगतान न करने तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उन्हें उत्पीड़ित करने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी जी की वाराणसी सहित सम्पूर्ण राज्य में नियंत्रित मूल्य पर चीनी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव जी की- हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दहलिया के पास कुंडा नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री बदन सिंह की, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम भडीरी, हसैला, गड़ौमा की हजारों एकड़ फसल फतेहपुर सीकरी शाखा के सीपेज होने के कारण नष्ट होने के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री रमापति शास्त्री की- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित होने वाली नवाबगंज गोंडा की इकाई अवैधानिक रूप से बन्द कर देने से गन्ना उत्पादकों एवं श्रमिकों में रोष व्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठीं सूचना श्री गयाचरण दिनकर की- ग्राम/टाउन औरन जिला बांदा की सैकड़ों एकड़ भूमि की अभिलेखों में हेराफेरी करके चोरी करने के संबंध में है। सातवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में हैमो डायलिसस यूनिट एवम् सी0टी0 स्केन यूनिट हेतु अपेक्षित धन मुहैय्या कराने के संबंध में है।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, सिद्धार्थनगर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी-

। महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सिद्धार्थनगर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री राम भागवत, श्री ज्ञान प्रकाश व श्री बृजेश कुमार वर्ष 1990 से कार्यरत हैं। उक्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान मई, 1992 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने रोक दिया था। जिस पर उक्त कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 30944/1992 दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 3-9-92 को कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया जिस पर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने कर्मचारियों को 1-10-1992 से कार्य करने का एवं वेतन भुगतान कर आदेश दिया। परन्तु कुछ ही दिनों बाद उनका स्थानान्तरण हो गया। उनके स्थान पर नियुक्त वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर ने आज तक कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया। जबकि इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने वेतन भुगतान हेतु आदेश किया है। परन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक की हठवादेता के कारण तथा धन उगाही के कारण कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है।

नोट:- । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वेतन भुगतान न होने से कर्मचारियों की आर्थिक दशा अत्यन्त खराब हो गई है, अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री राय भागवत का एक वर्षीय पुत्र इलाज के अभाव में मर गया । कर्मचारियों का परिवार आज सड़कों पर भीख मांग रहा है । जब भी कर्मचारी कार्यालय में कार्य करने हेतु आते हैं तो कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उनके साथ घोर अन्याय एवं दुर्व्यवहार किया जा रहा है ।

मान्यवर, न्यायालय के आदेश की निरन्तर अवमानना हो रही है । और कोई अधिकारी कर्मचारी को न्याय नहीं दे रहा है ।

अतः लोक महत्व की इस सूचना पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु इस गम्भीर विषय पर अत्यन्त (तुरन्त) चर्चा कराके कर्मचारियों का अविलम्ब वेतन का भुगतान कराया जाय तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित किया जाय जिससे न्यायालय के आदेश का अवमानना न हो तथा न्यायालय की गरिमा बनी रहे ।‖

जनपद वाराणसी सहित सम्पूर्ण राज्य में शादी ब्याह तथा अन्य अवसरों पर लोगों को नियंत्रित मूल्य पर चीनी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

‖ महोदय इस वर्ष वाराणसी सहित सम्पूर्ण राज्य में शादी ब्याह तथा अन्य अवसरों पर लोगों का नियंत्रित मूल्य पर आपूर्ति विभाग द्वारा चीनी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । जिससे आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के समक्ष अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न हो गई है जिसका अविलम्ब निराकरण आवश्यक है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर नियम 301 के अन्तर्गत मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त कार्यों हेतु नियंत्रित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराये जाने हेतु आपूर्ति विभाग को निर्देशित किये जाने की मांग करता हूं ।‖

जनपद हरदोई की बिलग्राम वि0 सभा क्षेत्र के ग्राम दहलिया के पास कुण्डा नदी पर पैन्टूल ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्राम सिंह यादव-

‖ महोदय, हरदोई जनपद की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गंगा व कुण्डा नादेयों मे मध्य लाखों की संख्या में जनता रहती है परन्तु नादेयों पर पुल न होने के कारण तथा आवागमन का कोई सुलभ रास्ता न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास कार्य रुका हुआ है तथा इस क्षेत्र की जनता को अपने थाना, ब्लाक, तहसील, जिला मुख्यालयों पर समय से पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता है तथा जनता अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी नहीं पूरा कर पाती है समय-समय पर सरकार द्वारा दी

नोटः- ‖ ‖ यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाने वाली जन सुविधाओं को सरकारी अधिकारी व कर्मचारी समय से नहीं पहुंचा पाते हैं तथा शासन व प्रशासन की योजनायें भी इस क्षेत्र की जनता तक समय से नहीं पहुंच पाती हैं। इस कारण इस विशाल क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम भडीरी, हसैला, गडीमा की हजारों एकड़ फसल फतेहपुर सीकरी शाखा के सीपेज के कारण नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह-

।। महोदय जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम भडीरी गडीमा और हसैदा की हजारों एकड़ खड़ी फसल फतेहपुर सीकरी शाखा से सीपेज होने के कारण नष्ट हो गई है। इस नष्ट हुई फसल में गेहूं, जौ, सरसों, बरसीम आदि खेतों में सड़ रहे हैं। फसल स्वामी अपने पशुओं को चारा नष्ट हो जाने के कारण अनाब-सनाब बेमूल्य भाव बेच रहे हैं और अन्न उत्पादन न होने की कल्पना से पलायन करने की स्थिति में हैं। उनमें त्राहि-त्राहि मची हुई है। लेकिन आगरा के सिंचाई विभाग में उनकी बार-बार गुहार करने पर भी इस सीपेज को रोकने के लिये वहां कोई सीपेज ड्रेन नहीं खुदवाई। वे आंख मूद कर किसानों की इस बरबादी को देख रहे हैं।

इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर शासन के संज्ञान में लाकर उक्त ग्रामों में फतेहपुर सीकरी शाखा के सीपेज को रोकने के लिये संज्ञान में लाकर खोदवाने और सिंचाई अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित नवाबगंज गोण्डा की इकाई की अवैधानिक बन्दी से गन्ना उत्पादकों एवं श्रमिकों में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमापति शास्त्री-

।। महोदय, मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथा लोक महत्व के प्रश्न को विधान सभा में उठाना चाता हूं।

विदित हो कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम से संचालित होने वाली नवाबगंज, गोण्डा की इकाई गत 8/9 दिसम्बर, 94 को अवैधानिक रूप से बन्द कर दी गई है। श्रमिकों व किसानों का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है। श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है। दो श्रमिक अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के थे, की मृत्यु भी हो गई है। किसानों को अपने गन्ने को दूसरे मिल में कम दामों पर बेचने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में पूरे नवाबगंज गोण्डा की जनता, गन्ना

नोटः- ।। ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पादकों तथा श्रमिकों में उक्त मिल बन्द होने के कारण तीव्र रोष व्याप्त हो गया है। जो किसी भी समय भयंकर रूप धारण कर सकती है।

उक्त कारणों से इस विषय की सदन को जानकारी देना तथा सदन में चर्चा होना भी आवश्यक है।

अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत यह सूचना देकर विषय को उठाने की अनुमति मांग रहा हूं।।

ग्राम/टाउन एरिया ओरन जनपद बांदा की सैकड़ों एकड़ भूमि के अभिलेखों में हेरा फेरी करके चोरी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया चरन दिनकर-

।। महोदय, सादर अनुरोध है कि ग्राम/टाउन एरिया ओरन, परगना अतरा, जनपद बांदा में राजस्व/चकबन्दी कर्मचारियों से मिलकर सैकड़ों एकड़ ग्राम समाज/सार्वजनिक उपयोग/सीलिंग ऐक्ट से अतिरिक्त भूमि की चोरी की गई है। मैंने अपने 33 पृष्ठीय संलग्नकों सहित पत्रांक 901/एस0पी0बी0/डी0-94-95 दिनांक 13-8-94 के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से सादर अनुरोध किया कि आराजी नं0 4976, 4972, 4857, 4393/2, 3881, 2108, 2109, 2110/2, 2118, 3119, 3190, 3204, 3227 आदि सीलिंग काश्तकार श्री गजोधर पुत्र विशाल ने पारिवारिक सदस्यों एवं रिश्तेदारों के नाम जो भूस्वामी हैं, के नाम फर्जी सेहद/आवंटन दिखा कर गंभीर चोरी की है। प्रकरण लगभग रुपये 6.00 करोड़ की डकैती का है। उल्लिखित प्रकरण में ग्राम सभा व अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा समय-समय पर शिकायत की जा रही है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों एवं चकबन्दी कर्मचारियों/अधिकारियों के शरीक होने से मामला अन्धेरे में बना रहा, यह अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति है एवं विधि तथा कमजोर लोगों के हितों में हनन का गम्भीर मामला है।

अतः आपसे ससम्मान अनुरोध है कि उल्लिखित प्रकरण की जांच ग्राम प्रधान एवं श्री मकबूल खां, शूज स्टोर ओरन (बांदा) की देख-रेख में जांच कराने एवं फर्जी सेहद भूमि को ग्राम समाज/टाउन एरिया में दर्ज कराते हुये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने के प्रभावी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को देने की कृपा करें।।

जनपद इलाहाबाद में मेडिकल कालेज में हेमो डायलिसिस यूनिट एवं सी0टी0 स्केन यूनिट हेतु अपेक्षित धन उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

।। महोदय इलाहाबाद शहर राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। यहां प्रदेश का सबसे पुराना एवं विशिष्ट

नोट :- ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, उच्च न्यायालय/संगम प्रमुख केन्द्रीय एवं प्रदेशीय कार्यालय स्थित हैं।

परन्तु इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में हैयर्मो डायालेसिस यूनिट एवं सी0टी0 स्कैन यूनेट न होने के कारण इलाहाबाद एवं उसके पास के जनपदों के रोगियों को काफी असुविधा एवं कठिनाई होती है। इसकी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनेकों रोगियों की मृत्यु भी हो सकती है। ज्ञातव्य है कि उपरोक्त सुविधायें वाराणसी, कानपुर आगरा के मेडिकल कालेजों में उपलब्ध है।

उपरोक्त यूनेटों के न होने के कारण हजारों बीमार लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें या तो अपने भाग्य पर जीना पड़ता है या अन्य स्थानों पर जाकर हजारों रुपये व्यय करके चिकित्सा करानी पड़ती है। सरकार से अपेक्षा है कि यह अविलम्ब इलाहाबाद मेडिकल कालेज के हैयर्मो डायालेसिस यूनिट एव सी0टी0 स्कैन यूनेट हेतु अपेक्षित धन स्वीकृत करें।

अतः लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।(

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम 51 के अन्तर्गत आज दिनांक 3-2-1995 को कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री रंगनाथ जी की जनपद भदोही के कोइराना थानान्तर्गत कटरा बाजार में पुलिस के संरक्षण में कथित रूप से सैकड़ों दुकानें जलाये जाने के संबंध में है। इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है। दूसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव जी की जनपद हरदोई के विलग्राम में विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में जंगली गायों द्वारा किसानों की फसल नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। तीसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी जी की जनपद टिहरी गढ़वाल के जाजल राजकीय इण्टर कालेज में विज्ञान अध्यापकों के पद सृजन के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चौथी सूचना श्री बदन सिंह जी की आगरा महानगर के शाहगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मुहल्लों में पेयजल की समुचित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पांचवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी जी की जनपद गाजियाबाद में हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षाओं के सभी विषयों की समुचित पढ़ाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। छठीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया जी की जनपद मथुरा में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

नोटः-((यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री रमेश कन्ति लवानेयां जी की आगरा महानगर में 30 जनवरी, 1995 को उत्तर प्रदेश रोडवेज का लगभग 4 लाख रुपया लूटे जाने एवं बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह व श्री चन्द्रभूषण सिंह जी की जनपद शाहजहांपुर के थाना कांठ अन्तर्गत ग्राम हटीपुर कुरेयां में एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर व डायस पर खड़े रहे व नारे लगाते रहे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं दिनांक 6-2-95 को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन अपराह्न 3 बजकर 16 मिनट पर सोमवार दिनांक 6 फरवरी, 1995 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
3 फरवरी, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये ता0प्र0सं0 13 का उत्तर आगे पृष्ठ 8 पर)

अति गोपनीय

प्रतिलिपि संख्या 7326 पी-2/86-23-43 ई/86

प्रेषक,

श्री प्रमोद दीपक सुधाकर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्,
लखनऊ ।

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 3 नवम्बर, 1986

विषयः-राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष/सदस्यों/सचिव की चारित्र पंजिकाओं का रख-रखाव तथा उसमें वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परिषद् के अध्यक्ष/सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर)/सचिव की चारित्र पंजिकायें शासन स्तर पर रखी जायेंगी और उनमें वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन निम्न प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा :-

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	अध्यक्ष	सचिव, ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री जी	मुख्य मंत्री जी ।
2	सदस्य	अध्यक्ष, उ0प्र0रा0वि0प0	सचिव, ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री जी ।
3	सचिव	अध्यक्ष, उ0प्र0रा0वि0प0	सचिव, ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री जी ।

2-अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि कृपया उक्त अधिकारियों की चारित्र पंजिकायें तत्काल शासन को भिजवाने का कष्ट करें । साथ ही सदस्यों/सचिव की चारित्र पंजिकाओं में वर्ष 1985-86 की गोपनीय प्रविष्टियों हेतु प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में अपनी संस्तुतियां भी शासन को यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,
प्रमोद दीपक सुधाकर,
विशेष सचिव।

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

विद्युत वितरण मण्डल रामपुर

विकास खण्ड शाहबाद

वर्ष 1983-84 से वर्ष 1993-94 तक

क्र0सं0	ग्राम का नाम	कोड संख्या	ऊर्जीकरण का वर्ष	विवरण
1	ईसा खेड़ा	174	1983-84	
2	मिलक गुलाम अली	180	1983-84	
3	गुजरैला	179	1984-85	
4	सागरपुर	8	1985-86	
5	देवीपुरा	41	1985-86	
6	बड़ागांव	42	1985-86	
7	सोहगा	58	1985-86	
8	गतवाली	106	1985-86	
9	चकसी	132	1985-86	
10	रतनौपट्टी जवाहर	145	1985-86	
11	किरा	99	1986-87	
12	खेड़ीकला	100	1986-87	
13	पतपुरा	90	1987-88	
14	साहेबाकलां	91	1987-88	
15	नवाबगंज	65	1987-88	
16	नरखेड़ा	78	1987-88	
17	भजनपुर	10	1988-89	
18	गडेया धौवासर	98	1988-89	
19	मदरपुर	94	1990-91	
20	सराय महेश	14	1991-92	
21	कूप	204	1991-92	
22	मथुरापुर खुर्द	89	1992-93	
23	खन्देली	133	1992-93	
24	किसौली	5	1992-93	
25	महोलिया	164	1992-93	
26	अलफगंज	33	1993-94	संसाधनों की अनुपलब्धता
27	नानपार	--	1993-94	के कारण विद्युतीकरण
28	चन्द्रपुर कलां	4	1993-94	नहीं हो सका ।

विद्युत वितरण खण्ड रामपुर

विकास खण्ड

वर्ष 1983-84 से वर्ष 1993-94

क्र0सं	ग्राम का नाम	कोड नं0	विद्युतीकरण का वर्ष	विवरण
1	उन्दई	162	1983-84	
2	चमरव्वा		1983-84	
3	मुन्डवा खेड़ा		1984-85	
4	मन्डवां उदयगंज	167	1985-86	
5	अहमदनगर जागीर	206	1985-86	
6	कोपला	117	1985-86	
7	पनवडिया	207	1985-86	
8	कोपली	118	1985-86	
9	इन्द्रा	119	1986-87	
10	इन्द्री	120	1986-87	
11	बग्गी		1987-88	
12	भोगांवा		1987-88	
13	फैजुल्लानगर	160	1987-88	
14	दुर्गातगला	159	1987-88	
15	मंडोली	230	1987-88	
16	सनसइया चक	126	1988-89	
17	वाजिदपुर	121	1988-89	
18	सनईया अहमद	127	1989-90	
19	पट्टीख्वाजापुर		1989-90	
20	सनईया सुख	124	1989-90	
21	रायपुर		1990-91	
22	मोमिनपुर अहमदाबाद		1990-91	
23	अलीनगर	201	1990-91	
24	हरिपाल	174	1991-92	
25	विडिया		1992-93	
26	चिकना गांव		1993-94	संसाधनों की अनुपलब्धता
27	फत्तेपुर		1993-94	के कारण विद्युतीकरण
28	सिवारौता		1993-94	नहीं हो सका ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ब"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के प्रथम शुक्रवार के लिये श्री देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के सी-I श्रेणी के भवनों के आवंटियों का विवरण ।

क्र0सं0	आवंटी का नाम	भवन सं0	आवंटन वर्ष	कीमत	भुगतान पद्धति
1	2	3	4	5	6
1	सर्वश्री राम किशोर राठौर	80	1987	1,60,900.00	किराया क्रय
2	गुरमीत सिंह	81	1987	1,51,300.00	" "
3	ए0सी0 पालीवाल	82	1987	1,51,300	" "
4	हर्ष वर्धन तोमर	83	1987	1,51,300.00	" "
5	शसीन्द्र कुमार	84	1987	1,51,300.00	" "
6	बी0डी0 कुम्भनाक्षी	85	1987	1,51,300.00	" "
7	नौरतनमल मेहता	89	1987	1,60,900.00	" "
8	हेमन्त कुमार	90	1992	1,42,300.00	" "
9	अजय कुमार अहिरवार	91	1987	1,42,300.00	" "
10	मदन कुमार शाह	92	1987	1,51,300.00	" "
11	डी0 एन0 वार्ष्णेय	93	1987	1,51,300.00	" "

अवैध प्रति

12	राम कृष्ण मिश्रा	95	1987	1,51,300.00	"	"
13	बद्री प्रसाद शुक्ल	109	1992	2,15,300.00	"	"
14	शिव शरण श्रीवास्तव	114	1992	2,15,300.00	"	"
15	रघुवीर सिंह	117	1992	1,42,300.00	"	"
16	धनराज	118	1992	1,58,300.00	"	"
17	कापिल देव जुलका	119	1987	1,76,100.00	"	"
18	संजीव कुमार	120	1992	1,42,300.00	"	"
19	युधिष्ठिर प्रताप	121	1991	2,12,750.00	"	"
20	उमा शंकर भट्ट	122	1987	1,51,200.00	"	"
21	पी0 डी0 शमी	123	1987	1,51,100.00	"	"
22	पवन कुमार श्रीवास्तव	125	1987	1,51,100.00	"	"
23	डी0 के0 पाण्डेय	127	1987	1,51,100.00	"	"
24	अनिल शुक्ल	128	1991	1,42,300.00	"	"
25	सूरज प्रसाद पाण्डे	129	1987	1,51,100.00	"	"
26	दिनेश चन्द्र सिंह	130	1991	1,48,800.00	"	"
27	श्याम नारायण श्रीवास्तव	131	1987	1,67,100.00	"	"
28	पी0 एन0 सेठ	132	1987	1,51,100.00	"	"

उत्तर प्रदेश विद्युत सभा

2		3	4	5	6
29	पी0 एस0 निगम	133	1987	1,51,100.00	किराया क्रय
30	राम आसरे	134	1992	1,42,200.00	" "
31	एम0 एल0 अग्रवाल	135	1987	1,51,100.00	" "
32	वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	136	1987	1,51,200.00	" "
33	श्रीमती लीना रुद्रा	137	1987	1,51,100.00	" "
34	सर्वश्री आदित्य कुमार	140	1987	1,51,200.00	" "
35	सी0 बी0 लाल श्रीवास्तव	138	1987	1,51,100.00	" "
36	अशफी लाल चौधरी	142	1987	1,71,800.00	" "
37	अरुण कुमार	168	1992	1,42,800.00	" "
38	मो0 इदरीश फारुकी	169	1992	1,45,600.00	" "
39	रवीन्द्र कुमार यादव	170	1991	1,45,600.00	" "
40	रमाकान्त शुक्ला	171	1992	1,42,300.00	" "
41	एन0 के0 अग्रवाल	172	1992	1,45,600.00	" "
42	आर0 के0 अग्रवाल	174	1992	1,45,600.00	
43	ओम प्रकाश राम	175	1992	1,45,600.00	" "
44	केदार राम	176	1991	1,42,300.00	" "

45	शिव प्रकाश	177	1991	1,42,300.00	" "
46	रोशन अली कुरेशी	86	1989	1,91,700.00	नकद भुगतान
47	वी0 पी0 गुप्ता	87	1987	1,51,300.00	" "
48	हरिद्वार सिंह	88	1989	1,91,100.00	" "
49	गोपीनाथ द्विवेदी	94	1990	1,78,500.00	" "
50	कैलाश चन्द्र	96	1987	1,45,700.00	" "
51	वीरेन्द्र प्रताप गुप्ता	97	1987	1,50,800.00	" "
52	सुरेन्द्र कुमार जैन	124	1987	1,51,100.00	" "
53	विनोद कुमार सिंह	126	1988	1,63,100.00	" "
54	अशोक कुमार चटर्जी	139	1987	1,51,100.00	" "
55	कैलाश नाथ श्रीवास्तव	141	1987	1,51,100.00	" "
56	विश्व बन्धु	179	1988	1,65,800.00	" "
57	सच्चिदानन्द राय	178	1988	1,55,100.00	" "
58	एस0 डी0 द्विवेदी	173	1991	2,24,400.00	" "
59	मेजर एस0 मजूमदार	116	1988	1,45,200.00	" "
60	हरमित्र नागधर	111	1993	3,11,000.00	" "
61	जयकेश त्रिपाठी	108	1994	3,39,000.00	" "
62	अशोक कुमार	113	1994	3,39,000.00	" "
63	श्रीमती आलिव रौज	112	1994	3,39,000.00	" "
64	श्रीमती मीना अवस्थी	110	1994	3,39,000.00	" "

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता0प्र0सं0 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा), सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर का संलग्नक

टेलीफोन विभाग द्वारा रोड कटिंग के सड़कों की सूची	बिजली विभाग द्वारा रोड कटिंग की सड़कों की सूची
1-बेलिया बाग पार्क से हड़डा सराय तक ।	1-विशेश्वरगंज चौराहे से भैरोनाथ मन्दिर तक ।
2-लहुराबीर से बेलिया तक ।	2-जी0टी0 रोड कोनिया से रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज तक व 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तक ।
3-मैदागिन चौराहे से विशेश्वरगंज तक ।	
4-बेनिया से बंदना होटल तक व बेनिया से पिशाच मोचन तक ।	
5-कबीर चौरा से पिपलानी कटरा होकर पिशनहरिया कुंआ तक ।	3-गोरेजाघर क्रासिंग से बेनियाबाग तक ।
6-आम्बेया मंडी से 2034/18, हनुमान पाठक आदमपुर पुलिस स्टेशन तक-कतुआपुरा कुतबन शहीद से हरतीरथ के 46/234 तक ।	4-भेलूपुर उपकेन्द्र से बेनियाबाग तक ।
7-नाटी इमली चौराहा से के0 66/1 तथा कबीर चौराहा से मैदागिन तक ।	5-डुमराव कालोनी से अस्सी क्रासिंग अभय सिनेमा तक ।

नत्थी "ड"

(देखिये अता0प्र0सं0 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

वर्ष 1990 से 1993 के मध्य मध्यस्थता विवाद में हुये पंचाट के संबंध में सूची

क्र0सं0	पत्रकारों का नाम	पंच के नाम व पद	पारेषद् के विरुद्ध पंचाट	पारेषद् के पक्ष में पंचाट
1	2	3	4	5
1	मेसर्स सरस्वती स्टील एण्ड एलाइज मेरठ बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत ग्रामीण वितरण खण्ड मुजफ्फरनगर ।	श्री सी0डी0 माथुर, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ।	रु0 9,02,105.30	-
2	अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन खण्ड, टकरानी (देहरादून) बनाम मे0 इंगरा जगरेब, चैकस्लोवाकिया	श्री बी0सी0 मित्तल, अवकाश प्राप्त सदस्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ।	-	परिषद् के पक्ष में ।
3	मुख्य अभियन्ता (लेसू) बनाम मे0 अशोका इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन अलीगढ़ ।	श्री दुर्गा शंकर झा, अवकाश प्राप्त सदस्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ।	-	परिषद् के पक्ष में ।

उत्तर प्रदेश विद्युत सभा

1	2	3	4	5
4	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भंडार क्रय मण्डल, तृतीय लखनऊ बनाम गिल्ल राम गारो शंकर	श्री बी0एस0 गुप्ता, अवकाश प्राप्त सदस्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् । 2-श्री जे0पी0 मित्तल, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 रा0वि0प0 । 3-श्री जी0एस0लाल श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय ।	-	आंशिक परिषद् के पक्ष में
5	मे0 ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स बनाम अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, आनपारा ।	1-श्री आर0एन0भार्गव, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, उ0प्र0रा0वि0प0 (परिषद् के मध्यस्थ)	रु0 25,00,000/- भुगतान नहीं हुआ न्यायालय में लम्बित	-
6	श्री राम गुप्ता बनाम केसा ।	श्री टी0सी0 अग्रवाल, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0, राज्य विद्युत परिषद् ।	पंच ने कोई विधिक पंचाट नहीं दिया यह स्टाम्प रहित है तथा न्यायालय नहीं भेजा गया ।	-

सत्यमेव जयते

7	मेसर्स मान स्ट्रक्चुलर्स जयपुर बनाम अधीक्षण अभियंता, विद्युत सब स्टेशन डिजाइन सर्किल, लखनऊ ।	श्री बी0के0 श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जिला जज ।	रु0 7,63,282.38 भुगतान नहीं हुआ न्यायालय में लम्बित	-
8	मे0 राम किशन हरिश्चन्द्रा बनाम अधेशासी अभियन्ता, वितरण खण्ड फर्रुखाबाद ।	मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन ।	मात्र संशोधित बिल देने के आदेश हुये हैं प्रकरण लम्बित है ।	-
9	मेसर्स सियरसोल, देहरादून बनाम अधेशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) देहरादून।	श्री लक्ष्मी बिहारी, जिला जज मिर्जापुर ।	रु0 25,73,338.98 भुगतान नहीं हुआ न्यायालय में लम्बित।	-
10	मे0 मोदी रबर लिमिटेड बनाम अधेशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय मेरठ ।	श्री एस0एन0माथुर, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 रा0 वि0 प0 ।	संशोधित बिल प्रस्तुत करने एवं बिलम्ब अधिभार की धनराशि रु01,10,986.47 को वापस करने के आदेश है । भुगतान नहीं हुआ । प्रकरण न्यायालय में लम्बित है ।	-
	भान प्रकाश तथा अन्य बनाम केसा	श्री बी0एन0 सिंह, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ।		- परिषद् के पक्ष में ।

सत्यमेव जयते नेगी

1	2	3	4	5
12	मे0 मोती कोल्ड स्टोरेज बनाम महानिदेशक, ट्रेनिंग एण्ड ह्यूमन रिसोर्स, लखनऊ ।	श्री आर0 एन0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता उ0प्र0 रा0 वि0 प0 ।	-	पारेषद् के पक्ष में ।
13	मे0 सक्सेना एण्ड सक्सेना, गाजियाबाद बनाम अधीक्षण अभियंता, विद्युत 400 के0वी0 सब स्टेशन डिजाइन सर्किल, लखनऊ ।	श्री ओम प्रकाश, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 राज्य विद्युत पारेषद् ।	-	पारेषद् के पक्ष में ।
14	मे0 जे0एस0 पोखरियाल बनाम अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत जनपद मण्डल निर्माण देहरादून ।	श्री एन0के0 साहनी, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0रा0वि0प0	रु0 22,174.00 भुगतान कर दिया गया है ।	--
15	मे0यूनाईटेड ट्रेड एजेन्सी, मिर्जापुर बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड ।।, आनपारा ।	स्व0 बी0पी0 चोपड़ा अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता उ0प्र0 रा0 वि0 प0	रु0 1,06,049.44 भुगतान नहीं हुआ न्यायालय में लम्बित ।	--

भारत सरकार विधान सभा

16	मे0 नियामत अली अन्सारी बनाम अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद अनुरक्षण खण्ड-प्रथम, आनपारा ।	श्री लक्ष्मी बिहारी, जिला जज, मिर्जापुर	रु0 4,00,660.68 भुगतान नहीं हुआ न्यायालय में लम्बित	-
17	मे0 यूटिलिटि इंजीनियर्स इण्डिया लि0 देहली, बनाम अधीक्षण अभियन्ता, सब स्टेशन डिजाइन सर्किल, लखनऊ ।	श्री आर0डी0 महेश्वरी, अवकाश प्राप्त, मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0	-	परिषद् के पक्ष में ।
18	मे0 शिवकुमार एण्ड राजकुमार बनाम अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत उत्पादन मण्डल, प्रथम कासिमपुर।	श्री जे0पी0 पाठक एडवोकेट सिविल कोट, अलीगढ़ न्यायालय द्वारा नियुक्त	रु0 94,74,598.00 भुगतान नहीं हुआ न्यायालय में लम्बित ।	--

उ0 प्र0 विद्युत परिषद सभा

नत्थी "च"

(देखिये अता0प्र0सं0 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर का संलग्नक

टेलीफोन विभाग द्वारा रोड कटिंग के सड़कों की सूची	बिजली विभाग द्वारा रोड कटिंग की सड़कों की सूची
1-बेनिया बाग पार्क से हड़डा सराय तक ।	1-विशेश्वरगंज चौराहे से भैरोनाथ मन्दिर तक ।
2-लहुराबीर से बेलिया तक ।	2-जी0टी0 रोड कोनिया से रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज तक व 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तक ।
3-मैदागिन चौराहे से विशेश्वरगंज तक ।	
4-बेनिया से बंदना होटल तक व बेनिया से पिशाच मोचन तक ।	
5-कबीर चौरा से पिपलानी कटरा होकर पिशनहरिया कुंआ तक ।	3-गिरिजाघर क्रासिंग से बेनियाबाग तक ।
6-अम्बिया मंडी से 2034/18, हनुमान पाठक आदमपुर पुलिस स्टेशन तक-कतुआपुरा कुतबन शहीद से हरतीरथ के 46/234 तक ।	4-भेलूपुर उपकेन्द्र से बेनियाबाग तक ।
7-नाटी इमली चौराहा से के0 66/1 तथा कबीर चौराहा से मैदागिन तक ।	5-डुमराव कालोनी से अस्सी क्रासिंग अभय सिनेमा तक ।

नत्थी "छ"

(देखिये अता0 पं0 सं0 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

अनुलग्नक-I

पत्रांक 401 दिनांक 23-9-92 का बिन्दुवार ब्यौरा

1-सहायक भण्डारपालों के वरिष्ठता निर्धारित कर वरिष्ठता सूची निर्गत की जा चुकी है।

2-तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, पारेचालकीय एवं अवर अभियन्ताओं के संबंध में मुख्य लेखाधिकारी (भविष्य निधि) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त भविष्य निधि लेखा पर्ची सम्बन्धित कर्मियों को वितरित कर दी गई है।

3-कर्मचारियों की प्रोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, स्थानान्तरण एवं शिफ्ट ड्यूटी लेने आदि कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

4-लिपिक वर्गीय कर्मियों की प्रोन्नतियां कर दी गई हैं। कोई मामला लम्बित नहीं है।

5-132 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर को आवासीय कालोनी के तृतीय व द्वितीय मंजिल आवासों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध संसाधनों के अनुसार की गई है।

6-132 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर की आवासीय कालोनी में निर्मित टाइप प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी आवासों में आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था उपलब्ध धन के अनुसार किया गया।

7-कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता बीजकों का भुगतान धन की उपलब्धता के अनुसार किया गया।

8-कर्मचारियों के समस्त लम्बित देयों का भुगतान सम्बन्धित मद में धन की उपलब्धता के अनुसार किया गया है।

9-उ0प्र0 राज्य विद्युत मजदूर संघ से सम्बन्धित कोई भी समस्या लम्बित नहीं है।

10-कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 से अग्रिम दी जाने वाली धनराशि का भुगतान इस मद में निधि आवंटित होने पर किया जाता है।

11-कर्मचारियों की वर्दी इस मद का धन उपलब्ध होने पर वितरित कर दी जाती है।

12-सेवा निवृत्त कर्मियों एवं दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को देय भुगतान संबंधित मद का धन आवंटित होने पर किये जाते हैं।

अनुलग्नक-2

पत्र संख्या 402 दिनांक 23-8-92 का बिन्दुवार ब्यौरा

1-संदर्भित परिषदादेश का पालन किया जा रहा है।

2-कर्मचारियों को अवशेष देयों का भुगतान सम्बन्धित मद में धन आवंटित होने पर वरीयता के आधार पर किया जाता है।

3-कर्मचारियों के लम्बित देयों तथा यात्रा भत्ता बीजक, जी0पी0एफ0 अग्रिम, अवकाश नकदीकरण आदि का भुगतान संबंधित मद में धन आवंटित होने पर वरीयता के अनुसार तथा भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान चिकित्सा व विवाह आदि की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

4-अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, जौनपुर तथा इसके खण्डों में विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 लेखा पर्ची निर्गमन की स्थिति है जिसकी लेखाधिकारी जी0पी0एफ0 से पुष्टि होती है निम्नवत् है :-

अवर अभियन्ता	परीक्षण खण्ड	वर्ष 91-92 तक
	वितरण खण्ड (प्रथम)	वर्ष 88-89 तक
	वितरण खण्ड (द्वितीय)	91-92 तक
लिपिकीय कर्मचारी	परीक्षण खण्ड	वर्ष 91-92 तक
	वितरण खण्ड (प्रथम)	वर्ष 90-91 तक
	वितरण खण्ड (द्वितीय)	वर्ष 92-93 तक
	वितरण मण्डल कार्यालय	वर्ष 92-93 तक
परिचालकीय संवर्ग	परीक्षण खण्ड	वर्ष 91-92 तक
	वितरण खण्ड (प्रथम)	वर्ष 88-89 तक
	वितरण खण्ड (द्वितीय)	वर्ष 91-92 तक

5-सेवा निवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों के देयों का भुगतान नियमानुसार प्राथमिकता पर किया जाता है।

6-132 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर की आवासीय कालोनी में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है।

7-132 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर की आवासीय कालोनी में टाइप-प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय आवासों में परिषदीय नियमानुसार सीलिंग फैन एवं बत्ती की व्यवस्था कर दी गई है।

8-भौगोलिक कार्यक्षेत्र से बाहर की गई यात्राओं को नियमानुसार प्रदेश से बाहर की गई यात्राओं के समान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

9-विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, जौनपुर में परिषदादेश संख्या 2822/के0/रा0 वि0 प0/1972, दिनांक 12-7-72 जो अधीनस्थ कर्मचारियों से निजी काम लेना प्रतिबन्धित करता है, का पालन किया जा रहा है।

10-कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण परिषदीय नियमानुसार उपलब्ध कर दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0 एल0 340 विधान सभा (547)-1995-813 (ई0टी0)।